लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र]

Eighth Session

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 1 अगस्त, 1969/10 श्रावण, 1891 (शक)
No. 10, Friday, August 1, 1969/ Sravana 10, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
271. केन्द्रीय सरकार द्वारा लद्दाख का प्रशासन अपने हाथ में ले लेने की मांग	Demand for taking over of Ladakh by Central Government	1—2
281. लद्दाख का विकास	Development of Ladakh ..	2—11
272. पश्चिम बंगाल में 'शतरंज' चलचित्र के प्रदर्शन पर आन्दोलन	Agitation in West Bengal over showing of Film 'Shatranj' ..	11—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
273. होटल कार्य पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन	Hotel Review and Survey Committee Report ..	15
274. चौथी पंचवर्षीय योजना में नये राजपथों का निर्माण	Construction of New Highway during Fourth Plan ..	15—16
275. भाषा के प्रश्न पर तमिल नाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Tamil Nadu Chief Ministers Statement on Language Issue ..	16
276. इण्डियन नेशनल चर्च	Indian National Church ..	16—17
277. पंजाब से हिमाचल प्रदेश में तबादले पर गये हुए कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion to Staff on Transfer from Punjab to Himachal Pradesh ..	17

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
278. चीनियों द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं पर भारतीय लोगों का एक दल बनाना	China preparing a party of Indian People on Northern Borders of India ..	17—18
279. जांच आयोग अधिनियम 1952 में संशोधन	Amendment of Commissions of Inquiry Act, 1952	18
280. भारत और जापान के बीच व्यापार की भाड़ा दर	Freight Rates for Trade between India and Japan	18—19
282. जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की उपस्थिति	Presence of Pak Spies in Jammu and Kashmir	19
283. मध्यावधि चुनाव सम्बन्धी दौरों के समय प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर खर्च	Expenditure on Security of Prime Minister during Her Mid-term Election Tours ..	19—20
284. दिल्ली परिवहन की बसों और यात्रियों की दयनीय स्थिति	Miserable condition of the DTU Buses and the passengers ..	20
285. गांधी हत्या कांड की जांच	Gandhi Murder Inquiry Case ..	21
286. शिक्षा प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिये स्टाफ कालेज	Staff college for training of education Administrators ..	21
287. दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central University in South India ..	22
288. नक्सलवादियों की कार्य-वाहियां	Activities of Naxalites	22
289. फरीदाबाद में कांग्रेस अधि-वेशन आयोजित करने के लिये सरकारी मशीनरी का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of Government Machinery for holding Congress Session at Faridabad ..	22
290. भारत में रूस के के० जी० बी० का समारोह	Russian KGB Celebrations in India ..	23
291. चौथी पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य शिक्षा	Compulsory education in the Fourth Plan ..	23—24
292. केरल में मालापुरम जिले का निर्माण	Formation of Malappuram District in Kerala ..	24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
293. विदेशी गुप्तचर अभिकरणों द्वारा संस्थाओं और संगठनों को धन का दिया जाना	Financing of Institutions and organisations by foreign intelligence agencies ..	24—25
294. कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement age of employees ..	25—26
295. आर्थिक प्रगति, नई दिल्ली को अनुदान	Grants to institute of Economic Growth, New Delhi ..	26
296. दिल्ली में दो सीट वाले स्कूटरों के किराये में वृद्धि	Rise in fares of two-seater scooters in Delhi ..	27
297. विश्वविद्यालयों के शिक्षा शुल्क में वृद्धि	Enhancement of tuition fees in Universities ..	27—28
298. 1971 की जनगणना	1971 Census ..	28—29
299. दिल्ली में स्थानीय निकायों के बारे में मुरारका आयोग का प्रतिवेदन	Report of Morarka Commission on Finances of Local Bodies in Delhi ..	29—30
300. राष्ट्रीय सेवा दल योजना को लागू करना	Introduction of National Service Corps Scheme ..	30
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1724. डी० सी० 9-40 विमानों के स्थान पर बोंइग विमान	Replacement of DC 9-40 by Boeing Aircraft ..	30—31
1725. विमानों के मूल्यांकन के लिये दो सदस्यीय समिति का गठन	Formation of Two Man Committee on Aircraft Evaluation ..	31
1726. नये विमानों की उपयुक्तता के बारे में समिति	Committee on suitability of new Aircrafts..	31
1727. विमानों की खरीद	Purchase of Aircrafts ..	31—32
1728. नये विमानों की उपयुक्तता के बारे में समिति	Committee on suitability of new Aircrafts ..	32
1729. हुसैनीवाला सीमा पर व्यवस्था	Arrangements at Hussainiwala Border ..	32—33
1730. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद में विलम्ब	Delay in purchase of Aircraft by IAC ..	33

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1731. नेपाली नक्सलवादी	Nepalese Naxalites	..	34
1732. राष्ट्रीय झण्डे का अपमान	Disrespect to National Flag	..	34
1733. अदालती प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Forensic Science Laboratory	..	34—35
1734. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक द्वारा मकान भत्ता लिया जाना	Drawal of House Rent Allowance by Director, Zoological Survey of India	..	35
1735. आसाम राइफल्स की 7वीं और 21वीं बटालियनों को मांस की सप्लाई	Supply of Meat to 7th and 21st Battalions of Assam Rifles	..	36
1736. केन्द्रीय सरकार द्वारा देहात की सड़कों के लिये 40 प्रतिशत अनुदान	Grant of 40 per cent by Central Government for Rural Roads	..	36
1737. गोंडा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Gonda police officials	..	36—37
1740. मानव बलि	Human Sacrifices	..	37
1741. दिल्ली में कालेज	Colleges in Delhi	..	37—38
1742. हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिये नियतन	Allocation to Himachal Pradesh for Development of Tourism during Fourth Plan	..	38
1743. राष्ट्रीय शोक दिवस 5 मई, 1969 को गोरखपुर में फिल्मों का प्रदर्शन	Exhibition of Films in Gorakhpur on 5th May, 1969 National Mourning Day	..	38—39
1744. साम्प्रदायिक घटनाएं	Communal Incidents	..	39
1745. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह	International Youth Festival in India	..	39—40
1746. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा की गई हवाई यात्रा	Air Trips undertaken by Chairman AIC	..	40—41
1747. जयपुर संग्रहालय से चित्रों की चोरी	Thefts of Paintings from Jaipur Museum	..	41
1748. नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध बजट में कथित गड़बड़ी तथा दुराचरण के आरोप	Charges of Alleged Budget Tampering and Misconduct Against NDMC	..	41—42

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1749. गणतन्त्र दिवस पुरस्कार (1969)	Republic Day Awards (1969)	..	42—43
1750. मालापुरम जिला	Malappuram District	..	43
1751. पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति	Re-employed pensioners		43—44
1752. मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी के प्रमाणपत्रों को मान्यता	Recognition of Matriculation/Higher Secondary Certificates		44
1753. केन्द्रीय सरकार के निदेशों को क्रियान्वित करने से इन्कार करना	Refusal to Implement Central Government Directives	..	44—45
1754. भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत बंगले/मकान	Bungalows/houses under India Tourism Development Corporation		45
1755. विश्राम गृहों का भारतीय पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरण	Transfer of Rest Houses to India Tourism Development Corporation	..	45
1756. चौथी योजना में भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए अलग रखी गई धन-राशि	Investment set aside for India Tourism Development Corporation during Fourth Plan	..	45—46
1757. तट दूर क्षेत्रों में तेल निकालने के लिये जहाज	Ships for oil drilling in off-shore areas	..	46
1758. सम्पूर्ण विश्व में विमान द्वारा यात्रा का प्रबन्ध	Around the world Air Service	..	47
1759. माओवादियों का विद्रोह	Maoists' Revolt		47—48
1760. दिल्ली के स्कूलों में हिन्दी के माध्यम द्वारा विज्ञान तथा गणित पढ़ाने की व्यवस्था	Hindi as medium of instruction for Teaching Science, Mathematics in Delhi Schools	..	48
1761. दिल्ली नगर निगम को देय बकाया राशि	Dues of Delhi Municipal Corporation	..	48—49
1762. भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting India	..	49
1763. आर्यों का उद्भव	Origin of Aryans	..	49—50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1764. शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार	Reforming Education and Examination system ..	50
1765. गालिब शताब्दी समारोह की भांति राष्ट्रीय कवियों के शताब्दी समारोह	Centennial Celebrations of National poets on lines of Ghalib Centenary Celebrations ..	50—51
1766. विद्रोही मिजो लोगों की समस्या	Problem of Mizo Hostiles	51
1767. फरीदाबाद (हरियाणा) में इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट	Engineering institute at Faridabad (Haryana)	51—52
1768. हवाई अड्डों का विकास	Development of airports	52—53
1769. जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pakistani Infiltrators in J and K	53
1770. बेरोजगार प्राइमरी अध्यापक	Unemployed Primary Teachers	53—54
1771. हिमाचल प्रदेश में योजना पर किया गया व्यय	Plan Expenditure incurred in Himachal Pradesh ..	54—55
1772. हिमाचल प्रदेश का व्यय तथा राजस्व आय	Expenditure and Revenue Income of Himachal Pradesh	55—56
1773. हिमाचल प्रदेश में विकास योजनाओं के अतिरिक्त व्यय	Non-Development Expenditure of Himachal Pradesh ..	56
1774. सरकार द्वारा नियुक्त समितियों में दलों का प्रतिनिधित्व	Representation to parties on Committees appointed by Government ..	57
1775. लड़कियों के लिये गृह विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करना	Introduction of Home Science for Girls ..	57
1776. दल बदल सम्बन्धी समिति	Committee on Defections	58
1777. रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली	Employment Oriented Education System ..	58—59
1778. दिल्ली/नई दिल्ली में मूर्तियों का लगाना	Installation of Statues in Delhi/New Delhi	59
1779. मूर्तियों, चित्रों तथा सिक्कों आदि की चोरियां	Thefts of Statues, Paintings, Coins etc. ..	59—60
1780. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय में एक इसरायली शिक्षाविद् पर हमला	Assault on an Israeli Educationist in Muslim University, Aligarh ..	60

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1781. जालकंडेश्वर मन्दिर में मूर्ति की स्थापना	Installation of Idol in Jalkandeswar Temple ..	60
1782. ग्रामीण सड़क समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Rural Roads Committee ..	61
1783. विधायकों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना	Codification of Privileges of Legislators ..	61
1784. दिल्ली के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC recommendations Re : Delhi	61—62
1785. हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Himachal Pradesh	62
1786. दिल्ली में पकड़े गये पुलिस सिपाही (कान्स्टेबल्स)	Constables held in Delhi ..	62—63
1787. लद्दाख को संसदीय प्रतिनिधि मण्डल	Parliamentary Delegations to Ladakh	63
1788. डरडेनलीज में भारतीय तथा रूसी मालवाहक जहाज में टक्कर	Collision between an Indian and Soviet Freighter in Dardanelles ..	63—64
1789. पंजाब सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को भत्ता	Payment by Punjab Government to unemployed Engineers	64
1790. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की बैठक	Meeting of the National Shipping Board ..	64—65
1791. लोक-सभा के लिये उप-चुनाव में विदेशी धन का प्रयोग	Use of foreign money in Bye-election to Lok Sabha	65
1792. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएं	Regional languages in UPSC Examinations ..	65
1793. विमानों में भोजन देने के लिये शान्ताक्रुज, (बम्बई) में हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया द्वारा पाकशाला की स्थापना	Flight Kitchen by Air India at Santa Cruz, Bombay ..	66
1794. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखना	Reinstatement of striking Central Government Employees	66—67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1795.	कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों की संख्या में कमी	Decline in the number of ships coming to Calcutta Port ..	67
1796.	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिकों का उद्योगों में भेजा जाना	Sending of Scientists from National Laboratories to work in Industries ..	67—68
1797.	दिल्ली के स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनक्रम	Grades of Laboratory Assistants in Delhi Schools ..	68—69
1798.	गोरखपुर के सैनिक हवाई अड्डे से विमान चलाने का प्रस्ताव	Proposal to operate aircrafts from Defence Airport of Gorakhpur ..	69
1799.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान खरीदने का निर्णय स्थगित करना	Postponement of decision to purchase Aircrafts for IAC ..	69—70
1800.	अधिकारियों को अपने पद की शपथ पर दृढ़ रहने के आदेश जारी करना	Issue of Instructions to Officers to stick to their oath of office ..	70—71
1801.	केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम	Central Civil Service (Conduct) Rules	71
1802.	राजभाषा अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of official languages Act ..	71
1803.	ईस्ट कोस्ट रोड बनाने के बारे में अभ्यावेदन	Representations for construction of East Coast Road ..	71—72
1804.	चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चोरी	Theft in court room of Special Judge, Chandigarh ..	72
1805.	इम्फाल कालेज में डाका	Robbery at Imphal College ..	72
1806.	विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों का सम्मेलन	Conference of Vice-Chancellors of Universities ..	73
1807.	विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों के स्तर का मूल्यांकन	Assessment of Standard of Teaching and Research in Universities ..	73—74

1808. भारतीय वन सेवा में आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती — Recruitment of Scheduled Tribes to Indian Forests Service .. 74

1809. आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति — Recruitment of Scheduled Tribes to IAS/IPS and other Central Services .. 74—75

1810. सिन्धी भाषा की लिपि बदलना — Changes in Script of Sindhi Language 76

1811. व्यवहारिक विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में रूस के साथ सहयोग — Collaboration in Applied Sciences and Technology with USSR 76

1812. स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में संग्रहालय — Museum in Memory of Late Dr. Zakir Hussain .. 77

1813. हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनिर्णीत पड़े मामले — Cases pending against striking Employees .. 77

1814. पंजाबी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार — Enlarging Jurisdiction of Punjabi University .. 77—78

1815. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के गांवों को मिलाने वाली सड़कें — Approach Roads to Villages of Union Territory of Chandigarh .. 78

1816. उड़ीसा में चमड़ा उद्योग विद्या तथा खाल उद्योग सम्बन्धी कालेज — College for Leather Technology and Hide Industry in Orissa .. 78—79

1817. भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर खान-पान सुविधाओं की कमी — Refreshment facilities lacking at Bhubaneswar Airport .. 79

1818. चांदवाली तथा गोपालपुर के छोटे पत्तनों का विकास — Development of Minor Ports of Chandbali and Gopalpur .. 79—80

1819. भारत में भूकम्प विज्ञान का विकास — Development of Seismology in India 80—81

1820. विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां — Appointments in Universities 81

1821. राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् — National Integration Council .. 82

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1822. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवावधि में वृद्धि	Extension of Service to Employees who participated in 19th September, 1968 Strike	82
1823. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के श्रेणी 1 के अधिकारियों की भर्ती तथा पदोन्नति	Recruitment and promotion of scheduled castes/scheduled tribes class I Officers ..	82—83
1824. राष्ट्रीय फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों को नौकरियां देना	Absorption of Instructors of National Fitness Corps ..	84
1825. राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध	Ban on Political Parties ..	84
1826. जहाजरानी के बारे में भारत तथा श्रीलंका के बीच करार	Agreement between India and Ceylon for Shipping ..	85
1827. तेलंगाना आन्दोलन में नक्सलवादियों का हाथ	Naxalites Hand in Telengana Agitation ..	86
1828. दिल्ली विश्वविद्यालय में धन का गबन	Misappropriation of Funds in Delhi University ..	86
1829. एयर इण्डिया द्वारा नये मार्गों पर सेवाओं का आरम्भ किया जाना	Air India to extend its Services on New Routes ..	86—87
1830. केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव से ऊपर के पद के हरिजन अधिकारी	Harijan Officers above the Rank of Under Secretary in Central Government ..	87
1831. सार्वजनिक परिवहन की सुविधायें	Public Transport Facilities for Government Employees	87—88
1832. दिल्ली पुलिस आयोग का प्रतिवेदन	Delhi Police Commission Report ..	88—89
1833. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा	Central Secretariat Stenographers' Service ..	89
1834. दिल्ली परिवहन की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि	Increase in Accidents by DTU Buses ..	89—92
1835. राज्यों में प्रस्तावित तटीय राजपथों की लम्बाई	Length of proposed coastal highways in States ..	92—93

अता० प्र० संख्या
U.S.Q.Nos.

1836. कांडला पत्तन में गाद का जमा होना	Silting in Kandla Port	93
1837. हालैंड से तलकर्षक (ड्रैजर) एस० डी० कांडला की खरीद	Purchase of a dredger S. D. Kandla from Holland ..	94
1838. प्रापेलरों के निर्माण सम्बन्धी बातचीत	Negotiation Re. Productionof Propellers ..	94
1839. हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Haj Pilgrims ..	94—95
1840. डैनिस आयल टैंकर	Danish Oil Tanker ..	95
1841. लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों द्वारा बौद्धों को मारा-पीटा जाना	Manhandling of Buddhist by Ladakh Government Employees	95
1842. व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना	Practical Training stipend scheme	96
1843. विमान चालकों के लिये केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल	Central Flying Training School for Pilots ..	96
1844. मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास	Road Development in Madhya Pradesh ..	97
1845. सेक्टर 2 रामकृष्णपुरम की वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति के चुनाव	Election to the Executive Committee of Welfare Association Sector II, R. K. Puram ..	98
1846. भारत से ट्रिनिडाड के लिये नौवहन मार्ग	Shipping Route from India to Trinidad ..	98
1847. कम्बाटा एविएशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by employees of Cambatta Aviation	98—99
1848. केरल में मल्लापुरम जिले का निर्माण	Formation of Malappuram District in Kerala	99
1849. साहित्य अकादमी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Sahitya Akademi	100
1850. दिल्ली गाजियाबाद सड़कें	Delhi Ghaziabad Road ..	100—101
1851. विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम	Media of Instruction in Universities	101

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1852.	कांडला पत्तन की खराबियों की जांच करने के लिये समिति	Committee to probe into the ills of Kandla Port ..	101—102
1853.	विज्ञान के शिक्षण और उसके विकास पर पूंजी विनियोजन	Investment on teaching of science and its Development	103
1854.	प्रशासन सुधार आयोग का समय बढ़ाना	Extension of Tenure of Administrative Reforms Commission ..	103—104
1855.	केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के वर्ग में पदोन्नति न होने की स्थिति को समाप्त करना	Removal of Stagnation among Assistants in Central Sectt. ..	104—105
1856.	पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का महासंघ	Confederation of West Bengal and East Bengal	105
1857.	विशाखापत्तनम में बाहरी बन्दरगाह	Outer Harbour at Vishakhapatnam ..	105—106
1858.	प्रतिक्रियावादी शक्तियों की गतिविधियों पर रोक	Check on the Activities of Reactionary forces	106
1859.	युवक नेताओं का सम्मेलन	Conference of Youth Leaders ..	106—107
1860.	विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता तथा सुविधाएं	Recognition and facilities to Indian Scientists staying Abroad ..	107—108
1861.	शहरों में बच्चों तथा युवकों के लिये खुले स्थान तथा खेल के मैदानों की आवश्यकता	Requirement of open space and play grounds for children and youth in cities ..	108
1862.	दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ के साथ बैठक	Meeting with Delhi School Teachers Association	109
1863.	छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षकों की समिति	I. G. Ps'. Committee on Students' Agitation	109
1864.	भारत श्रीलंका पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up an Indo-Ceylon Tourist Centre ..	109—110
1865.	चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्व विद्यालय का अधिकार क्षेत्र	Jurisdiction of Chandigarh Based Punjab University ..	110
1866.	राज्य लाटरियां—जाली टिकटों की छपाई	State Lotteries—Printing of Fake Tickets ..	110

1867. मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम — Madhya Pradesh Road Transport Corporation — 111

1868. पर्यटन केन्द्र के रूप में बुरहानपुर — Burhanpur, a place of tourist interest .. 111—112

1869. मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये अनुदान — Grant per student in Madhya Pradesh — 112

1870. मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के बारे में समान नीति — Uniform policy in respect of primary education in Madhya Pradesh .. 112

1871. तेलंगाना आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को हुई हानि — Damage to Central Government property during Telengana Agitation .. 112—113

1872. जनगणना कार्य — Census operations .. 113—114

1873. गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्रथम श्रेणी के (5 स्टार) होटलों के निर्माण का प्रस्ताव — Proposal to set up 5 Star Hotels with Foreign Collaboration in Private Sector .. 114—116

1874. राज्यों द्वारा आवश्यक सेवा संचारण अधिनियम को लागू करना — Adoption of Essential Services Maintenance Act by States .. 116—117

1875. पंजाब में सप्ताह में पांच दिन कार्य — Five Day Week in Punjab — 117

1876. पर्यटकों के आकर्षण स्थानों का वर्गीकरण — Classification of places of Tourist Interest .. 117

1877. गंगा नदी को अरब सागर से तथा दक्षिण की नदियों को एक दूसरे से मिलाना — Linking of river Ganga with Arabian sea and rivers in the Deccan .. 118

1879. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास — Development of Roads in Rural Areas .. 118—119

1880. कन्नड़ की पुस्तकों का अनुवाद — Translation of Kannada Books .. 119—120

1881. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को प्रमाणपत्र — Certificates for Freedom Fighters — 120

1883. भारतीय भाषाओं का विकास — Development of Indian Languages .. 121—122

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1884.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बम्बई स्थित कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of IAC Employees at Bombay ..	122—123
1885.	आवेदकों को उनके आवेदन-पत्रों के निपटान के बारे में सूचित करना	Intimation to applicants regarding disposal of their applications ..	123—124
1886.	रायल्टी पर बसों को किराये पर लेने की प्रणाली का पुनः लागू किया जाना	Re-introduction of Royalty System in Hiring Buses ..	124—125
1887.	मनीपुर के गैर सरकारी कालेजों के लिये अनुदान	Grants to private colleges of Manipur	125
1888.	कलकत्ता का रांची, गया तथा पटना होकर काठमांडू के साथ विमान सम्पर्क स्थापित करना	Air linking of Calcutta with Kathmandu via Ranchi, Gaya and Patna ..	125
1889.	विदेशी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of foreign spies ..	125—126
1890.	गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations ..	126—128
1891.	जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, आसाम और नागा पहाड़ियों में बरामद किये गये शस्त्रास्त्र	Arms recovered in J and K, Rajasthan, Assam and Naga Hills ..	129—130
1892.	विद्रोही नागाओं तथा मिजो लोगों द्वारा मारे गये सुरक्षा दल के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Security force personnel killed by Hostile Nagas and Mizos ..	130
1893.	गीत गोविन्द की मूल पाण्डु लिपि को भारत वापस लाना	Bringing back to India original manuscript of **Geet Govinda**	131
1894.	अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration with International Hotel Chains ..	131
1895.	पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के लिये राज्यवार धन का आवंटन	Allocation on Tourist development in Five Year Plans ..	131—132
1896.	'यू० एस० फैक्ट्स स्पीक अबाउट ऐड एण्ड' एजुकेशन नामक पुस्तक	Booklet entitled US Facts speak about Aid and Education	132

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1897.	दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास का प्रस्ताव	Development proposals for Delhi University ..	132—133
1898.	राष्ट्रीय फिटनेस कोर निदेशालय में नियुक्तियां	Appointments in National Fitness Corps Directorate	133
1899.	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा नेफा सचिवालय की फाइलों का जब्त किया जाना	Seizure of Files of NEFA Secretariat by C. B. I.	134
1900.	मसकी (मैसूर राज्य) में खुदाई कार्य	Excavation work at Maski Mysore State ..	134—135
1901.	मैसूर राज्य स्थित बनवासी में पाये गये पुरावशेषों की जांच	Examination of antiquities found at Banavasi, Mysore State	135
1902.	शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्षति	Wastage at Primary stage of Education	135—136
1903.	अमरीकी सरकार द्वारा मुकाबले की क्रांतिकारी शक्ति आन्दोलनों के मुकाबले के लिये सहायता	Aid by US Government to create Counter Revolutionary power Movements	136
1904.	गांधी शताब्दी तथा गालिब शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary and Ghalib Centenary Celebrations ..	137
1905.	गांधी हत्या काण्ड की जांच	Gandhi Murder Trial ..	137—138
1906.	इंदौर में दंगे	Riots in Indore ..	138—139
1907.	निवासी कल्याण संस्था, सेक्टर 2, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली	Welfare Association Sector II R. K. Puram, New Delhi ..	139—140
1908.	देशान्तर्गत परिवहन के लिये तमिल नाडु में बकिंघम नहर का प्रयोग	Use of Buckingham Canal in Tamil Nadu for Inland Transport ..	140
1909.	मेरठ के समीप नजीबाबाद में पाये गये बम	Bombs found in Najibabad near Meerut ..	141
1910.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्ति	Persons Killed in Road Accidents in Delhi ..	141—143
1911.	आई० सी० एस० अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि	Extension of Service to ICS Officers ..	143
1912.	नर बलि	Human Sacrifice ..	143—144

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1913. दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा	Insecurity of women in Delhi	144
1914. मध्य प्रदेश में गुब्बारे का विस्फोट	Explosion of a Balloon in Madhya Pradesh	145
1915. दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी	Hindi as Medium of Instruction in Delhi University	145
1916. क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल	Investigation by Area Welfare Officer ..	145—146
1917. पर्यटक व्यापार प्रशिक्षण संस्थान	Institute for Training in Tourist Trade ..	146
1918. सड़क सुरक्षा मंडल की स्थापना	Setting up of a Board on Road Safety ..	146—147
1919. केरल में मुस्लिम बहुल जिले के निर्माण के विरोध में आन्दोलन	Agitation against formation of Muslim Majority District in Kerala ..	147—148
1920. मैसूर राज्य में हाम्पी मंदिरों की जीर्णावस्था	Ruinous condition of Hampi Temples, Mysore State	148
1921. शिव सेना	Shiv Sena ..	148—149
1922. कला कृतियों आदि के विक्रय पर प्रतिबन्ध	Ban on sale of Art Pieces etc.	149
1923. मिजो विद्रोहियों तथा मनीपुर राइफल के बीच मुठभेड़	Encounter between Mizo Rebels and Manipur Rifles ..	149
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तैनात करना	Deployment of Central Industrial Security Force in Durgapur Steel Plant ..	150—151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu ..	150
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	150
पश्चिम बंगाल विधान सभा-कक्ष में पुलिस कर्मचारियों द्वारा लूट-खसोट के बारे में	Re. Ransaking of West Bengal Assembly House by Policemen ..	151—152

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुख्य सम्पादक द्वारा क्षमा याचना	Apology by Editor-in-Chief of Hindustan Times	153—154
संसद के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध दिल्ली के उच्च न्यायालय में मुकदमें के बारे में	Re. Suit against former Speaker and other Members of Parliament in Delhi High Court	.. 154—155
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	.. 155—156
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	.. 157
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills, as passed by Rajya Sabha	.. 157
(एक) वक्फ (संशोधन) विधेयक	(i) Wakf (Amendment) Bill	.. 157
(दो) विदेशी विवाह विधेयक	(ii) Foreign Marriage Bill	.. 157
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
81वां प्रतिवेदन	Eighty-first Report	.. 157
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Banaras Hindu University Enquiry Committee Report	.. 158—160
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	158—159, 160
सभा का कार्य	Business of the House	.. 160—162
नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये विषय के बारे में वक्तव्य	Statement re. Matter under Rule 377	.. 162
कार्यकारी राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र	Resignation by Vice-President acting as President	.. 162
श्री एम० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	.. 162
बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	.. 163—171
खण्ड 11 और 12	Clauses 11 and 12	.. 163—171
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
51वां प्रतिवेदन	Fifty-first Report	.. 171
निजी थैलियां समाप्त करने सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re. Abolition of Privy Purses—negatived	.. 171—179
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	.. 172
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 172

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	.. 172—173
श्री अटल बिहारी वाजपेई	Shri Atal Bihari Vajpayee	.. 173
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	.. 173—174
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	.. 174
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanath Menon	.. 174—175
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 175—176
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Shradhakar Supakar	.. 176
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	.. 176
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	.. 176
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 177
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 177—178
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	.. 178
वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में संकल्प	Resolution re. Nationalisation of Foreign Trade, General Insurance, etc.	.. 180—181
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	.. 180—181
आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	.. 181
औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति	Industrial Licences Policy Euquiry Committee	.. 181—185
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	.. 181—182
श्री फख़रुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	.. 182—183, 184—185

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 1 अगस्त, 1969/10 श्रावण, 1891 (शक)
Friday, August 1, 1969/Sravana 10, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 271 श्री यज्ञदत्त शर्मा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रश्न के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है, इसकी आपने कैसे अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। श्री यज्ञ दत्त शर्मा।

श्री मनुभाई पटेल : प्रश्न संख्या 281 को भी इसके साथ ही ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय को इस पर आपत्ति नहीं है तो इसका उत्तर भी साथ ही दे सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लद्दाख का प्रशासन अपने हाथ में ले लेने की मांग

+

*271. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री जय सिंह :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी वर्ग ने केन्द्रीय सरकार से लद्दाख का प्रशासन अपने हाथ में ले लेने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) लद्दाख के बौद्धों के एक वर्ग तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने मांग की है कि लद्दाख केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होना चाहिए।

(ख) सरकार वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करना वांछनीय अथवा आवश्यक नहीं समझती है।

लद्दाख का विकास

+

*281. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री प० मु० सईद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख का विकास करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजे गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान लद्दाख निवासियों में फैली हुई अविश्वास की भावना की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार से लद्दाख में लघु उद्योगों का विकास करने और प्राकृतिक तथा खनिज संसाधनों की खोज करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि 28 मई, 1969 नई दिल्ली में हुई सार्वजनिक सभा में कुछ वक्ताओं ने लद्दाख में अशान्ति का कारण आर्थिक बतलाया था और वक्ताओं में से एक ने कहा था कि लद्दाख के लिये बहुत आवश्यकता वहां उद्योग स्थापित करने तथा शैक्षिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये एक बृहत अभियान चलाने की है।

(घ) लघु उद्योगों तथा धातु संसाधनों की खोज और विकास समेत लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास को तेज करने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों और निर्धारित व्यय के अनुसार की गई है और की जा रही है।

Shri Yajna Datt Sharma : It is obvious that wrong policies of the Government have given rise to economic disparities and consequently an atmosphere of discontentment, frustration and agitation is prevailing in the country, as is apparent in Telangana areas, Gajendragadkar Commission was appointed to inquire into the causes of economic disparities in the Jammu and Kashmir State. But the State Government has not taken any action to implement the recommendations contained in the report of the Commission. A meeting has been convened for that purpose on the 29th of this month.

Will the Government stress upon the State Government to implement the recommendations of the Commission in regard to services, development and education and also with a view to appoint a high power development board-one for Jammu and the other for Ladakh including power to spend money in developmental works. Jammu and Kashmir State has a special status and the matter relates to international politics. So I want a reply from the Hon. Minister.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार का विषय है। उन्होंने इस बारे में अपनी नीति की घोषणा कर दी है। कुछ सिफारिशें उन्होंने स्वीकार कर ली हैं और शेष पर वे अवश्य ही विचार कर रहे होंगे। शिक्षा के मामले में, माननीय सदस्य जानते हैं कि लेह में डिग्री कालेज शीघ्र खोलने की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। क्योंकि यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है इसलिए हमें हर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, यह तर्क ठीक नहीं है।

Shri Yajna Datt Sharma : One of my question was whether Government would constitute a board for the development of these areas. There is, of course, one board in Leh. But its recommendations are not accepted nor it has any power to spend money.

Inspite of economic disparity, political elements are allowed to flourish, who are responsible for creating that disparity and are spreading discontent amongst the people. These elements are arousing the separatist tendency in Jammu and Ladakh and they even talk of demanding autonomy for these regions. The Government has passed Unlawful Activities Bill. Will it try to suppress the separatist tendency? What concrete steps the Central Government would take to remove the economic disparity and tendency of political separatedness.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अब मैं विकास सम्बन्धी कुछ पहलुओं को लेता हूं। लद्दाख की कुछ परियोजनाओं में भारत सरकार की गहरी रुचि है। उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार को पिछले नौ वर्षों में अधिक धन दिया गया है। वास्तव में उन पर अधिक धन व्यय हो रहा है। निश्चय ही केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार इस नियतन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। वहां की जलवायु ऐसी है कि विकास कार्यक्रम वर्ष में 4-5 महीने ही चल पाते हैं। संचार साधनों के अभाव में भी विकास कार्यों की गति धीमी रहती है।

Shri Yajna Datt Sharma : Tendency is the third reason !

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कौनसी मनोवृत्ति जो यहां अभिव्यक्त की जा रही है अथवा वह जो वहां अभिव्यक्त होती है ? इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विरोधी कुछ तत्व हैं जो कुछ भागों में पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उन पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और मैं नहीं समझता कि वे कोई समस्या उत्पन्न कर सकेंगे।

श्री जय सिंह : लद्दाखवासियों की मुख्य आपत्ति यह है कि वहां के विकास के लिये निर्धारित राशि, जिसका 90% केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है, लद्दाख तथा अन्य लद्दाखियों के लिये व्यय नहीं होता। जम्मू व काश्मीर सरकार के कर्मचारियों के बारे में ऐसी ही धारणा है। क्या केन्द्रीय सरकार केवल लद्दाख में कार्य करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त कर्मचारी राज्य सरकार को देगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि जम्मू व काश्मीर सरकार इस समस्या से परिचित है तथा अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ता इसके लिये नियुक्त करती है। फिर भी इस मामले पर और विचार किया जा सकता है।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Is it a fact that a big portion of the central assistance is spent in Kashmir Valley and a small portion on Ladakh and due to that there is discontentment among the people of Ladakh ? Is it also a fact that there is demand in Ladakh for irrigational and power facilities but these have not been made available there ; and for that reason there is discontentment. Is it also a fact that non-Buddhist officials are sent in Ladakh in large number, who behave with simple people harshly, and cunningly and compel them for conversion ? Is it also a fact that a big part of Ladakh is under Chinese occupation and Chinese have built up roads leading to the inner parts of Ladakh and for that reason also people feel themselves unprotected and, therefore, they want protection from the Centre ? Does the Central Government feel the need of looking into these problems of 'Ladakhis' ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि सरकार को इस समस्या पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इस पर हम पर्याप्त ध्यान देते रहे हैं और अधिक ध्यान देने को तैयार हैं।

उनके इस कथन से मैं सहमत नहीं हूं कि धन खर्च करने के मामले में लद्दाख की उपेक्षा की जाती है क्योंकि केवल लद्दाख की समस्याओं के लिये ही विशेष धन का आवंटन किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह धन वहां पर ही खर्च किया जाये। लद्दाख के विद्युतीकरण का कार्य अब प्रारम्भ हो गया है परन्तु उसकी गति धीमी है। यह बात सत्य नहीं कि वहां जानबूझ कर गैर-बौद्धों को भेजा जाता है। मैं समझता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार पर बौद्ध-विरोधी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री रंगा : क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है कि वहां पर अधिक बौद्ध अधिकारी नियुक्त किये जायें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुख्य बात तो यह है कि लद्दाख का कोई प्रतिनिधि मंत्रि-मण्डल में हो अतः ऐसा ही किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वयं मुख्य मंत्री इस समस्या के बारे में सचेष्ट हैं कि नौकरियों में बौद्धों को लिया जाए।

श्री मनुभाई पटेल : अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से लद्दाख की समस्या बहुत उलझी हुई है। वहां की कुछ वास्तविक कठिनाइयां भी हैं, जो न केवल राजनीतिक हैं, अपितु सांस्कृतिक भी हैं। वे लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं, परन्तु उन पर उर्दू भाषा थोपी जाती है। लामाओं को बोधी भाषा नहीं सिखाई जाती। केन्द्र से शत-प्रतिशत अनुदान से वहां बौद्ध-दर्शन का एक स्कूल चल रहा है। उस स्कूल के वर्तमान उप-प्रधानाचार्य श्री भट्ट, जिन्हें लद्दाख में रहना चाहिए, वहां केवल एक दिन के लिए ही रहते हैं और स्कूल के कार्य संचालन में अनेक प्रकार की अड़चने उत्पन्न करते हैं। उसके प्रधानाचार्य जो कलकत्ता में बौद्ध-दर्शन के प्रोफेसर थे, और ज्ञान में दलाई लामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं, स्कूल के संचालन में कठिनाई अनुभव करते हैं। मैंने वहां देखा कि वहां ढेरों पुस्तकें बौद्ध दर्शन पर हैं, जो बक्सों में बन्द पड़ी हैं, क्योंकि वहां पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है।

विकास-आयुक्त के विरुद्ध भी उनकी शिकायत है। मुख्य मंत्री से भी उनकी शिकायतें

हैं कि उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद लद्दाख का दौरा नहीं किया। विकास कार्यों में और भी अनेक बाधाएं हैं। वहां के लोग श्रेष्ठ हैं तथा उनकी भारत के प्रति निष्ठा शत-प्रतिशत है जिसे व्यक्त करने में वे कठिनाई अनुभव करते हैं। वे भारत के अन्य भागों में आना चाहते हैं, परन्तु वायुमार्ग के सिवा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं। लेह और श्रीनगर के बीच कोई सुगम मार्ग नहीं है। क्या केन्द्रीय सरकार उनकी इन कठिनाइयों को राज्य सरकार के सहयोग से दूर करने का यत्न करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं परन्तु जिस ढंग से इन्हें व्यक्त किया गया है, उससे लद्दाख का भला नहीं होगा। यह कहना ठीक नहीं होगा कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार की अपेक्षा हम लोग लद्दाख के विकास के लिए अधिक उत्सुक हैं।

श्री रंगा : हम लद्दाख के विकास के लिए उत्सुक हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग इस बारे में उत्सुक नहीं हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं तो जितनी समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उससे कहीं अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मैं श्री सादिक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह लद्दाख की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक उत्सुक हैं।

श्री मनुभाई पटेल : वह उस स्थान पर कभी नहीं गये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह परीक्षा का आधार नहीं होना चाहिए और माननीय सदस्य यह जानते हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर कुछ व्यक्ति वहां नहीं जा सकते। इसके लिए विशेष शारीरिक स्थिति की आवश्यकता होती है। मैं नहीं समझता कि हम यह कहने के लिये ऐसे तर्क प्रस्तुत करें कि किसी व्यक्ति की इसमें इच्छा नहीं है। जहां तक बौद्ध सभ्यता तथा शिक्षा का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। संचार व्यवस्था इतनी साधारण नहीं है जैसा कि बम्बई और अहमदाबाद के बीच की सड़क उस क्षेत्र में सड़कों के विकास की समस्या को वह अच्छी प्रकार जानते हैं। संचार व्यवस्था की उन्नति करने की ओर हम अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं तथा हम रोहतांग से एक सड़क मार्ग बनाने का भी विचार कर रहे हैं, परन्तु फिर भी यह बहुत आसान कार्य नहीं है।

Shri Kushok Bakula : Government has stated that electrification work is going on expeditiously. I fail to understand where this work has been undertaken. Hydro-electric scheme has not yet been completed there. A diesel engine has been installed there to generate 90 Kilowatt electricity in Leh and Kargil areas. When the Members of Parliament went there last year, power supply was out of order in Leh. Will the Hon. Minister state where electricity is working properly and in full? It is good that all of us are taking interest in the problems of Ladakh. But no development board has been instituted there so far. There was broadcast from the All India Radio yesterday that development boards are already working there. But it is not correct. May I know from the Hon. Minister the number of meetings of these boards and the places where such meetings were held during 1968 and 1969 ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister should not place reliance on the Sadiq report only. He himself should go there and see the actual position.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो कुछ श्री बाकुला ने कहा है वह भी सच है, क्योंकि मैंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि लद्दाख में हम उतनी उन्नति नहीं कर पाए हैं जितनी हम करना चाहते थे। मैंने यह नहीं कहा कि वहां हर काम किया जा रहा है। वस्तुतः वह उनके सम्बन्ध में अधिक जानते हैं, कि क्या कार्य नहीं किया गया, क्योंकि वहां के लोगों की अपेक्षाएं इतनी अधिक हैं और उनको इस ढंग से पूरा नहीं किया गया जिस ढंग से उन्हें करना चाहिए था। परन्तु मैंने यह तो कहा है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिये आंकड़े हैं··(**व्यवधान**)। माननीय सदस्य को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। परन्तु मेरे पास ये आंकड़े हैं और मैं इन्हें बताने के लिये तैयार हूं। विकास कार्यों के लिये 1961-62 में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, 1962-63 में लगभग 24 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। (**व्यवधान**)

Shri Kanwar Lal Gupta : What was the real expenditure ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आपको अपना मत रखने का, तथा सरकार की ओर मेरी आलोचना करने का पूरा अधिकार है, परन्तु मेरे पास यहां पर सारे तथ्य हैं। सर्वप्रथम उन तथ्यों को सुनिए। 1963-64 में 32 लाख रुपये, 1964-65 में 43 लाख रुपये, 1966-67 में 54 लाख रुपये, 1967-68 में 45 लाख रुपये, 1968-69 में 63 लाख रुपये तथा 1969-70 में 72 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इससे केवल यही पता लगता है कि प्रतिवर्ष धन की व्यवस्था में वृद्धि की गई है।

यदि आप वास्तविक खर्च को देखें तो 1961-62 से 1966-67 तक के पांच वर्षों में विकास तथा उन्नति के कार्यों पर 143 लाख रुपये व्यय हुए तथा 1968-69 में खर्चा इस सीमा तक बढ़ गया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह खर्चा 54 लाख रुपये है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह तो एक करोड़ रुपये भी नहीं हुए। घाटी में कितना रुपया खर्च हुआ है ? यह आप हमें बताएं।

Shri Yajna Datt Sharma : My question was specific ; whether there is any development board in existence or not ? If correct reply is not given to my question who will protect my rights here ? Mr. Bakula has told that there was no development board..(**Interruptions**) Manipulation of words will not do here. I am talking of the development boards, whether there is any such board or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाकुला जी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर उन्हें देने दीजिए। (**व्यवधान**) श्री बाकुला ने तथ्यों सहित कुछ प्रश्न उठाएं हैं। माननीय मंत्री को उनके प्रश्न के उत्तर देने दीजिए··(**व्यवधान**)।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि मैंने यह बताया है कि वहां सब कुछ हो रहा है। मैंने स्वयं बताया है कि कार्य की गति उतनी तीव्र नहीं रही है जितनी की अपेक्षा थी। परन्तु फिर भी उत्तरोत्तर कार्य हो रहा हैं। यही जानकारी है जो मैं दे रहा हूं। मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये तथ्य नहीं दे रहा हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : We want reply of the specific question asked whether there was any development board or not, and if so, whether any meeting of that board was

held? Why the Hon. Minister is not giving reply to that question? It does not deliver the goods that Rs. 50 lakh were spent, when an amount of Rs. 50 crores is spent in the Valley? Do you imagine that Rs. 50 lakhs will be sufficient for the hilly areas? I request that you should yourself go there and see the actual position. So many times this question has been raised. **(Interruption).**

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वहां बोर्ड तो है परन्तु बैठक नहीं होती है। यह सच है।

Shri Kushok Bakula: My question has not been replied. I never asked the extent of the expenditure having been spent there. He said that electrification work was on its full swing. But where this work is being done? Five schemes of electricity are still lying incomplete. None of them are being implemented. Therefore, I asked this question as to where the work was on its full swing. Will the Hon. Minister be pleased to state whether any further measures will be taken up in this matter?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां पर ये खर्चे हुए हैं, मैंने उन खर्चों के ब्योरे मांगे हैं। इन बातों के सम्बन्ध में मेरे पास ब्योरे नहीं हैं। मैं इस मामले में जांच करने के लिए तैयार हूं। यदि माननीय सदस्य मुझसे मिलेंगे तो मैं उनके साथ बैठकर इस बात का पता लगाऊंगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या आप स्वयं वहां जायेंगे?

Shri Hukam Chand Kachwai: Where the expenditure was incurred? On what items?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे माननीय सदस्य के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करने तथा सच बात का पता लगाने के लिए तैयार हैं। यही उनका उत्तर है।

Shri Rabi Ray: The Hon. Minister will appreciate that the Buddhist Philosophy provides for the cultural relations of South East Asia with India. Despite the demands for coordinated development of Ladakh having been reiterated in this House, no-body is satisfied with the reply given by the Hon. Home Minister. I want to know from the Hon. Minister whether, in view of the feelings of this House, he is prepared to send a Parliamentary Delegation to Ladakh and appropriate steps should be taken according to the report of that delegation? We had suggested that a Parliamentary Delegation be sent to Telangana but that suggestion was not accepted and as a result we had to lose Telangana. Will you now send a Parliamentary Delegation to Ladakh so that the objection of Shri Bakula may be removed? What is his opinion in this regard?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सदन में इस बात का कई बार उल्लेख किया जा चुका है। एक प्रतिनिधिमण्डल वहां भेजने के लिए काश्मीर के मुख्य मंत्री से बातचीत की है। मैं उनको इस सम्बन्ध में दो बार पत्र भी लिख चुका हूं। इस विशिष्ट प्रश्न के उत्तर की मैं उनसे प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया यही है कि लद्दाख जाने के लिए प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र है।

Shri Rabi Ray: Is it a reply?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार के शिष्टमण्डल भेजने का प्रश्न सामने आया है तो हमें उस राज्य सरकार के सहयोग पर ही निर्भर रहना पड़ा था। जम्मू तथा काश्मीर के मामले में कोई अपवाद नहीं कर सकता।

Shri Rabi Ray : Kindly satisfy Mr. Bakula. He is a member of your party.

श्री बेदव्रत बरुआ : माननीय मंत्री के द्वारा जम्मू तथा काश्मीर सरकार का बचाव करने में उनका समर्थन करता हूं . . (**व्यवधान**) । परन्तु इसके साथ ही यह कहूंगा कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को इस आरोप से मुक्त कर दिया जाये कि वह लद्दाख के विकास कार्य की सदा अवहेलना करता रहा है । वहां की भौगोलिक स्थिति तथा अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए । यही कारण है कि लद्दाख की यात्रा के पश्चात श्री मणिभाई ने तथा मैंने यह बात कही है । जून के पश्चात् वहां क्या हुआ है । कुछ अति शान्त व्यक्तियों के एक वर्ग ने उपायुक्त के कार्यालय को भूमिसात् कर दिया । उन्होंने कुछ स्पष्ट मांगें उठाई थीं जिनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया था । वे उसे "दस सूत्री मांग" कहते हैं । मुझे पता नहीं कि उन्होंने उसे कैसे लिया । असम के पर्वतीय क्षेत्रों में भाषा समस्या जैसी अनेक समस्याएं वहां हैं । हमने अपनी राज्य भाषा को वहां लागू नहीं किया । वे चाहते हैं कि उन पर उर्दू भाषा न लादी जाए । भौगोलिक दृष्टि से वह क्षेत्र छः मास तक हिमाच्छादित रहता है । 300 अथवा 400 मील से भी अधिक दूर जो जिला दर्रे से वर्ष में छः मास तक बन्द रहता है, आप प्रबन्ध करते हुए वहां किस प्रकार उस विशेष क्षेत्र का विकास कर सकते हैं ? श्री मणिभाई तथा अन्य सदस्यों के द्वारा उठाई गई समस्या यही है । एक व्यक्ति को प्रतिमास 1100 रुपये देकर वहां पर रखा जाता है जो कुछ भी तो नहीं करता ।

अतः सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 'दस सूत्रीय मांग' के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है । क्या आप इस मामले को काश्मीर सरकार के हाथों में सौंपना चाहते हैं अथवा केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिये वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कोई विकास निकाय वहां स्थापित करने का विचार है ? वहां धन वितरित करने के लिए अधिकार प्राप्त कुछ एक अधिकारियों के हाथों में इस मामले को देना ठीक नहीं है । मेरी यह आपत्ति नहीं है कि वहां धन व्यय किया जा रहा है, मेरी तो शिकायत यह है कि वहां धन उचित ढंग से व्यय किया जाए और उसका ठीक उपयोग हो । तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों को दी हुई स्वायत्तता के समान क्या इन्हें भी कुछ सीमाओं के अन्तर्गत यह स्वायत्तता दी जा सकती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सर्वप्रथम उनके अन्तिम प्रश्न का उत्तर दूंगा । स्वायत्तता के प्रश्न का राजनीति से सम्बन्ध है और मैं इस मामले पर वक्तव्य देना ठीक नहीं समझता । जहां तक उनके विकास कार्यों के मामलों की स्वयं देख-रेख करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने का प्रश्न है, तो यह बोर्डों की नियुक्ति करके भी किया जा सकता है । एक बोर्ड की स्थापना कर दी गई है और अब उस बोर्ड को सक्रिय बनाने का प्रश्न है । मैं यह मानता हूं कि वहां अवश्य ही कुछ कमियां हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं काश्मीर सरकार से इस मामले पर बातचीत करूंगा । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं इस मामले की देखभाल करूंगा ।

श्री बलराज मधोक : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि

लद्दाख सदा ही अपने आप में विशिष्ट अभिन्नता लिये हुए था और काश्मीर के महाराजा द्वारा काश्मीर की घाटी में आधिपत्य किये जाने से बहुत पूर्व ही लद्दाख जम्मू तथा काश्मीर के अन्तर्गत आ गया था, और जब 1947 में काश्मीर के महाराजा ने शेख अब्दुल्लाह के हाथों में अधिकार सौंपने का निश्चय किया तो लद्दाख के निवासी महाराजा के पास यह प्रार्थना लेकर गये थे कि "हम अब काश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते; या तो हमें अलग सत्ता दी जाए अन्यथा जम्मू अथवा पंजाब के साथ हमारा विलय किया जाये।" इसके पश्चात् 1950 में उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था और उन्होंने कहा था कि उन्हें काश्मीर सरकार का कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए या तो उनका विलय जम्मू अथवा पंजाब में कर दिया जाए या उन्हें अलग सत्ता दी जाए। लद्दाखवासियों की यह मांग नई नहीं है परन्तु 22 वर्षों से लगातार वे यह मांग कर रहे हैं तथा पिछले 22 वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर सरकार जिस रूप में भी उनके साथ व्यवहार करती रही है, उसने उनके इस गम्भीर आशंका को और भी पक्का कर दिया है, यहां तक कि गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन में भी लद्दाख के लिये अलग विकास बोर्ड तथा अलग रोजगार दिलाने वाले बोर्डों की स्थापना के लिए कहा गया है। इसे भी काश्मीर सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया है। इन सब बातों को देखते हुए मैं दो विशिष्ट प्रश्न करना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि क्या भारत सरकार काश्मीर राज्य सरकार पर गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन की दो सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये जोर डालेगी कि काश्मीर राज्य लद्दाख के लिये अलग विकास बोर्ड तथा अलग रोजगार दिलाने वाले बोर्डों की स्थापना करे ? दूसरे यह कि लद्दाख की अपनी संस्कृति होने के कारण उसके विशिष्ट पृथक सत्व को देखते हुए क्या वे उनकी दीर्घकालिक मांग पर ध्यान देंगे और समय रहते इस पर निर्णय करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कुछ एक सिफारिशों पर तो उन्होंने निर्णय कर लिया है और अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं। पृथक विकास बोर्डों की मांग का मामला उन मामलों में से एक है जो अभी तक विचाराधीन हैं। मैं अवश्य ही इस मामले में काश्मीर सरकार से बातचीत करूंगा।

श्री बलराज मधोक : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? मैं नहीं चाहता कि उसे अब लिया जाए। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं और क्या आप इसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक पृथक प्रशासन का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह बात न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री स्वैल : श्रीमान जी, निर्दलीय सदस्यों की संख्या इस सदन में 50 है और हमें भी अन्य राजनीतिक दलों से सम्बन्धित सदस्यों के समान प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। हमारी इस प्रकार अवहेलना नहीं की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी की भी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है।

Shri Prem Chand Verma : You nave not given us any chance. You always say like this. You always give chance to the Members from that side, and never give chance to put questions to this side.... **(Interruptions)**

श्री स्वैल : आप हमारे शुद्ध आचरण को गलत न समझें तथा गलत व्याख्या न करें और हमारे प्रति आप अपनी यह धारणा सदा के लिये नहीं बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं यथासम्भव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देना चाहता था।

श्री स्वैल : मेरे कहने का आशय यही है कि आप सदा के लिये यह धारणा न बनाएं क्योंकि हम लोग न तो चिल्लाते हैं और न ही शोर मचाते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 272 के बारे में

Re. S. Q. No. 272

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न नियमों के विरुद्ध स्वीकार किया गया है.....

श्री वासुदेवन नायर : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मेरा केवल एक निवेदन है....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

Shri Prem Chand Verma : You have not given an opportunity to me to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न अब समाप्त हो गया है। यदि माननीय सदस्य इस पर आधा घण्टा खर्च करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं तो वे अन्य तरीकों से इसे उठा सकते हैं।

Shri Ahmad Aga : You do not give us any opportunity....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। श्री आगा काश्मीर से आते हैं और उन्हें अवसर मिलना चाहिये था। मुझे खेद है कि अब हम इस प्रश्न को नहीं ले सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके सचिवालय ने अपने नियमों का उलंघन किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government of Bengal is behaving like a Chinese agent on the Indian soil.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं।

श्री वासुदेवन नायर : ऐसी बातों को बिना चुनौती के कैसे कहने दिया जा सकता है ? हम इस प्रश्न की ग्राह्यता पर विरोध प्रकट करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य उपयुक्त अवसर पर इस बारे में मुझ से मिल सकते हैं और मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री वासुदेवन नायर : क्षति तो पहले ही हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब चार दिन पहले उन्हें प्रश्न सूची मिली थी, उन्हें तभी मुझे पत्र लिख देना चाहिये था। अब कुछ नहीं हो सकता, कृपया आप बैठ जाएं।

पश्चिम बंगाल में 'शतरंज' चलचित्र के प्रदर्शन पर आन्दोलन

+

*272. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री अटल बिहारी बाजपेई :
श्री हेम बरुआ :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रणजीत सिंह :
श्री सूरज भान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के छवि-गृह मालिकों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह 'शतरंज' के प्रदर्शन से क्षुब्ध हुए साम्यवादी आन्दोलनकारियों से उनके छवि-गृहों की रक्षा करें ;

(ख) क्या सरकार ने फिल्म सेन्सर बोर्ड से उक्त चलचित्र के प्रदर्शन की अनुमति देने के बारे में पूछताछ की है ;

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में जनता के दिलों से साम्यवादी लोगों के डर को तत्काल निकालने तथा इस चलचित्र के बिना किसी डर के प्रदर्शित करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने फिल्म सेन्सर बोर्ड से यह भी कहा है कि वह ऐसी फिल्मों को पास न करें जो देश या विदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित हों ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पश्चिम बंगाल के छवि-गृह मालिकों से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। तथापि "शतरंज" चलचित्र के बनाने वाले मेसर्ज एन० एन० सिप्पी प्रोडक्शन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उस चलचित्र के दिखलाये जाने के विरोध में कलकत्ता में प्रदर्शनों के बारे में शिकायत की गई है।

(ख) सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर ने 28 फरवरी, 1969 को उक्त चलचित्र के सम्बन्ध में एक "यू" प्रमाण पत्र दिया था।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस चलचित्र को दिखाने वाले एक छवि-गृह के सामने 17 और 23 मई को दो प्रदर्शन किये गये और दूसरे प्रदर्शन के परिणामस्वरूप प्रबन्धकों ने चलचित्र को आगे दिखाना बन्द कर दिया। राज्य सरकार ने बतलाया है कि प्रबन्धकों ने पुलिस संरक्षण की कोई मांग नहीं की। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि एक अन्य छवि-गृह के सामने 28 मई

को एक और प्रदर्शन हुआ जिसके परिणामस्वरूप इस चलचित्र का दिखाया जाना बन्द करना पड़ा ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

Shri Mahant Digvijai Nath : Whenever the question of anti-national elements is raised, the Government always evades it by saying that it is a State matter. This malady emanates from Naxalbari and percolates down to the South. The press reports of today are a pointer to the fact that lawlessness is spreading like a wild fire. Is it a fact that the film "Shatranj" does not contain any obscene scene which can be taken objection to ? Is it also a fact that only pro-Chinese Communist elements have objected to the exhibition of this film ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : चूंकि इस फिल्म को प्रमाणित करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड ने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था इसलिए इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं हो सकती । यह बिल्कुल स्पष्ट है । जिन्होंने इस फिल्म के दिखाये जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किये हैं, वे चीन समर्थक तत्व ही थे ।

Shri Mahant Digvijai Nath : Is it a fact that there is a particular scene in this film where a young man is shown protecting Indian women who were being harassed and oppressed by Chinese invaders ? Is it also a fact that it is a Hindi film and the anti-Hindi elements are against it ?

Shri Y. B. Chavan : What he has said can be one of the reasons also.

श्री सु० कु० तापड़िया : हमें अत्यन्त क्षोभ है और मुझे विश्वास है कि आप भी हमारे साथ संवेदना रखते हैं कि इस सभा में एक बड़ी ही खतरनाक प्रवृत्ति आरम्भ हो रही है । यहां कुछ लोगों ने, जिनकी वफादारी सन्देहास्पद है, एक ऐसा रवैया अपनाया है.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-भवन में माननीय सदस्यों की वफादारी के बारे में टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है । अतः वह ये शब्द वापस लें ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ।..... **(व्यवधान)**

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं आपके निर्णय से पूर्णरूपेण बंधा हूं, परन्तु आप यह अनुभव करेंगे कि मैंने 'कुछ लोग' कहा था । मैंने किसी का नाम नहीं लिया था ।.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ये शब्द तो वापस ले लिये हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मुझे खेद है कि हमारे कुछ साथियों ने ऐसा रवैया अपनाया है कि जो मेरा है सो मेरा है और 'जो तुम्हारा है उस पर बातचीत कर लो ।' यह भी खेद की बात है कि जब ऐसे लोग उन आन्दोलनों या प्रदर्शनों को नजर अन्दाज करते हैं, या उन्हें आयोजित अथवा प्रोत्साहित करते हैं .... **(व्यवधान)** इसे लोगों की आवाज कहते हैं । परन्तु जब वही लोग अपनी न्यायसंगत भावनाओं तथा कठिनाइयों को प्रकट करते हैं जिनसे कि साम्यवादियों की पोल खुलती है तो ये उसे षडयंत्र कहते हैं....

Shri Prakash Vir Shastri. This House cannot be allowed to become the property of 10 or 15 people .... **(Interruptions)**

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या केन्द्रीय बोर्ड के निर्णय सभी राज्यों पर लागू होते हैं, अथवा नहीं ;

(ख) क्या चलचित्र 'शतरंज' इससे पूर्व निर्मित दूसरा चलचित्र "मनुष्य जाव्वा ये" से अधिक राजनैतिक था ;

(ग) क्या सरकार 'शतरंज' चलचित्र को प्रदर्शित करने वाले इस स्तर के छविगृहों को अवैध समझती है ?

क्या उन्होंने इसकी पूछ-ताछ की है ? क्या वह यह जांच करेगी कि क्या इन प्रदर्शनों में किसी राजनैतिक दल का हाथ था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, इसका उत्तर 'हां' है । ये सभी नियम सभी राज्यों पर लागू होते हैं । जहां तक इस चित्र की दूसरे राजनैतिक चित्र के साथ तुलना का प्रश्न है, सो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । निष्पक्ष रूप से मुझे उसी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है जो मुझे प्राप्त होती है । छबिगृहों के स्वामियों ने पुलिस से सुरक्षा के लिये आवेदन नहीं किया ।

श्री हेम बरुआ : नक्सलवादियों का साम्यवादी दल बन जाने से भारत में लाल त्रिकोण अब पूरा हो गया है । मुर्शिदाबाद के कुछ छविगृह इस चित्र को दिखा रहे थे । क्या इसलिये कि यह चित्र चीन-विरोधी है ? अब मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह प्रदर्शन देश में कार्य कर रहे चीन-समर्थकों ने आयोजित किया था । यदि ऐसा है तो देश में कार्य कर रहे चीन-समर्थकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने एक सामान्य प्रश्न पूछा है । रिपोर्ट में वर्णित बातों को पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये लोग युयुत्सु होकर तथा सुयोजित ढंग से गये और छविगृहों के सामने प्रदर्शन किया । नारों आदि से पता लगा कि वे चीन-समर्थक तत्व थे तथा मेरे विचार से ऐसे चीन-समर्थक तत्व कलकत्ता में बहुत पाये, देखे तथा सुने जाते हैं । इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में कठोर कार्यवाही करें । इधर-उधर प्रदर्शन हुए थे । मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर दें ।

यशवन्तराव चह्वाण : मैं श्री बरुआ द्वारा पूछे गये सामान्य प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि सरकार ने आम भारत-विरोधी अथवा चीन-समर्थक भावनाओं अथवा राजनैतिक विचारों के बारे में जो देश में प्रचालित किये जा रहे हैं, क्या कार्यवाही की । जैसा कि मैंने इस सभा में कहा है, इन गतिविधियों को रोकने अथवा न रोकने से सम्बन्धित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में मैंने कुछ राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करने का प्रयास किया है । कुछ राजनैतिक दलों ने मुझसे विचार-विमर्श किया भी था, मैं विचार-विमर्श के लिये अभी भी कुछ दलों की प्रतीक्षा में हूं ।

श्री म० ला० सोंधी : यह कोई उत्तर नहीं है । वह चीनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे । गृह-कार्य मंत्री 50 तिब्बतियों को तो उकसा रहे हैं पर चीनी एजेन्टों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । ये तिब्बती जिनको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तथा इस सभा

ने सहायता का वचन दिया था, तथा जिनके बच्चे मार डाले गये थे, जबकि सारा तिब्बत नष्ट हो गया था.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी..... (रिकार्ड नहीं किया गया।)

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने ठीक ही बताया है कि यदि कोई माननीय सदस्य बिना अनुमति चर्चा में हस्तक्षेप करता है तथा सभा का समय नष्ट करता है, तो यह एक गम्भीर बात है और हमें इस बात पर विचार करना होगा। मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को भी चेतावनी दे चुका हूं और अब मैं एक अन्य युवक सदस्य को चेतावनी देता हूं। श्री म० ला० सोंधी अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमें हस्तक्षेप करने को बाध्य कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मेरा सुझाव है कि जब कोई सदस्य प्रश्न पूछता है अथवा कुछ कहता है—यदि यह अपमानजनक नहीं तो उसे किसी भी स्तर पर न रोका जाय। यदि हम यह प्रक्रिया अपनायें तो इससे हमें अपने दृष्टिकोण पेश करने में सहायता मिलेगी, चाहे इसे कोई माने अथवा न माने, चाहे यह प्रश्नकाल हो अथवा कोई अन्य समय।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इसलिये चुप है क्योंकि नक्सलवादी श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध हैं ?

Shri Suraj Bhan : The conditions in West Bengal are very serious and everybody is aware of the incidents that have taken place in the State Assembly yesterday. Military goods-wagons are looted there and Mao's posters are stuck in the bazars and at key-points. The story of the film Shatranj states about the kidnapping of an Indian girl by the Chinese gundas and the Indian youth rescues her, what is wrong in it ? There are some gundas who are pro-Chinese and have created trouble there. I want to know what action does the Home Minister propose to save the democracy there ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि सम्बन्धित दल राज्य सरकार से सुरक्षा की बात करते हैं तो वह सुरक्षा उन्हें मिल जायेगी, और यदि वह सुरक्षा उन्हें न दी गई तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस बारे में निवेदन कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात नियमानुकूल ही होनी चाहिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अनुरोध करने के लिये किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियमों का तो पालन करना ही पड़ता है। मंत्री महोदय प्रयत्न करके देखें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am surprised to hear the Hon. Minister's reply. Will the police intervene only when it is requested to do so ? If a cinema hall is attacked, the manager of the theatre is threatened, and undesirable activities are undertaken, will the police keep on looking ? It is not only in West Bengal, but Bihar is also under President's rule. In Muzaffarpur also there were demonstrations against this film 'Shatranj' and the

screening of this film had to be abandoned. Prior to that the statue of Mahatma Gandhi was also smashed there. May I know whether police should not have intervened as it is President's rule in Bihar ? We are aware that police in West Bengal have been rendered ineffective, but the administration is in the hands of the Centre. If the screening of films is stopped in such a way and the Centre keeps mum, it is certainly a serious matter. The Hon. Home Minister may kindly give a satisfactory answer to the House.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

होटल कार्य पुनरावलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

*273. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 9 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल कार्य पुनरावलोकन तथा सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सरकार ने इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). होटल पुनरावलोकन एवं सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट आज सभा-पटल पर रखी जा रही है । सरकार ने रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है तथा इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

Construction of New Highways during Fourth Plan

*274. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a proposal for constructing new highways during the Fourth Five Year Plan period is under consideration ;

(b) whether it is a fact that the repair work of old National Highways is also not being carried out properly ; and

(c) If so, whether Government are considering a proposal for making improvements in those National Highways also ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) Presumably the Members are referring to the question of new addition to the existing National Highway System under the Fourth Five Year Plan. This matter is being examined in the light of the availability of funds.

(b) and (c). Adequate repairs, within available funds, are being carried out to the extent possible. Provision has also been made in the Fourth Five Year Plan for improvement to the existing National Highway System.

भाषा के प्रश्न पर तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*275. **डा० सुशीला नैयर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 मार्च, 1969 को राज्य विधान सभा में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के वक्तव्य को देखा है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को भाषा-समस्या को बड़ी सावधानी और चतुराई से सुलझाना चाहिये, जिससे पुन: हिन्दी विरोधी आन्दोलन न भड़के क्योंकि इससे जन-सम्पत्ति को क्षति हो सकती है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उस राज्य सरकार से हिन्दी नीति को धीरे-धीरे चलाने के सम्बन्ध में कोई अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indian National Church

*276. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that British Government during its rule in India had framed some British Church Laws viz. Ordination for Colonies Act, 1819, Colonial Bishops Act, 1852 and 1853, Colonial Clergy Act, 1874 and Indian Church Act and Measure, 1927 in order to keep the Christian Church of India under the British Church ;

(b) whether it is also a fact that the Anglican Bishop of Calcutta has got full rights over the Indian Church under Section 4 of Indian Church Act and Measure, 1927 and he performs his duties under the British Colonial Bishops Act, 1852-53 and Colonial Clergy Act, 1874 ;

(c) whether it is also a fact that the Indian National Church has raised a voice that it be encouraged and made independent of foreign domination and finance ; and

(d) if so, action which Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Indian Church Act, 1927 was repealed by the British Statutes (Application to India) Repeal Act, 1960.

The Ordination for Colonies Act, 1819 provided for the ordination of priests and deacons by Bishops in England.

The Colonial Bishops Acts, 1852-53 were more of an enabling nature to enable colonial and other Bishops to perform certain episcopal functions on behalf of Bishops in England, Ireland, etc.

The Colonial Clergy Act, 1874 dealt with the competence of colonial and certain other clergy to perform espiscopal functions in England.

The Indian Church Measure, 1927 specifically provided for severance of the union then legally existing between the Church of England and the Church of England in India.

These Acts do not have the effect of placing the Churches in India under the control of the Church in England nor do they have the force of law in this country.

(c) Certain memoranda on the subject have been received from time to time from an organisation calling itself the Indian National Church.

(d) The matter relates to the affairs of the Church organisation and it is for them to deal with it.

पंजाब से हिमाचल प्रदेश में तबादले पर गये हुए कर्मचारियों की पदोन्नति

*277. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई तथा विद्युत, भवन तथा सड़क और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले उन इंजीनियरों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिनका तबादला पंजाब से हिमाचल प्रदेश में किया गया है तथा उनकी नियुक्ति की तारीख क्या-क्या है ;

(ख) क्या इन अधिकारियों की वरिष्ठता हिमाचल प्रदेश में समान पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के समकक्ष निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं तथा क्या तत्सम्बन्धी निर्णय को गत ढ़ाई वर्षों से स्थगित किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे पदों पर हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले अधिकारी उनसे कनिष्ट हैं तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन वरिष्ठ पदों पर उनकी तदर्थ पदोन्नति कर रहा है ताकि पंजाब से भेजे गये वरिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जायें ; और

(ङ) इन विभागों में जून, 1969 के अन्त तक कितनी तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं तथा उन्हें किस आधार पर पदोन्नत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे सम्बन्धित सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इसे प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

चीनियों द्वारा भारत के उत्तरी सीमाओं भारतीय लोगों का एक दल बनाना

*278. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन भारत की उत्तरी सीमाओं पर भारतीयों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करके उनका एक दल तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह दल अपने सदस्यों को हथियारों से सुसज्जित करने के लिये गुप्त रूप से तैयारी कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम की सरकारों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना प्रतीक्षित है ।

जांच आयोग अधिनियम 1952 में संशोधन

*279. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के संशोधन के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो उनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के संशोधन के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशें उनके चौबीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट हैं । यह प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर 30 अगस्त, 1963 को रख दिया गया था ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को बताने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1478/69] इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान शीघ्र बनाया जायगा ।

Freight Rates for Trade between India and Japan

*280. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister **of Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present the freight rates for trade between India and Japan are not based on equity ;

(b) whether it is also a fact that the freight rates for certain goods sent from India to Japan are more than the freight rates for goods coming from Japan to India which adversely affects India's exports ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to remedy this situation ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) For the tramp trades there is no fixed rate schedule and the freight rates fluctuate according to the law of demand and supply. In the liner trades the freight rates are laid down by the various Conferences concerned taking into account all relevant factors.

(b) and (c). There is a large number of commodities in the tariffs showing rates for trade from India to Japan and from Japan to India. In some cases the rates from India are higher while in some other cases rates from Japan are higher. As freight rates are generally fixed in relation to what the trade can bear and they are one of the several factors which influence our foreign trade it is difficult to isolate the effect of a single factor on our exports. Government have not received any complaints so far about discrimination in fixing freight rates covering Indo-Japanese trade, but if any specific instances are quoted, Government will certainly look into the matter.

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की उपस्थिति

*282. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में अनेक घटनायें हुई हैं जिनसे पता चलता है कि जम्मू तथा काश्मीर में बहुत से पाकिस्तानी जासूस विद्यमान हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इश्तहारों, पुस्तिकाओं और नारों तथा मस्जिदों के प्रार्थना स्थलों के प्रयोग के जरिये बहुत अधिक पाकिस्तानी प्रचार हो रहा है ;

(ग) क्या उक्त गतिविधियों से कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है ;

(घ) यदि हां, तो जासूसी की गतिविधियों तथा प्रचार आन्दोलन का ब्योरा क्या है ;

(ङ) इन गतिविधियों को समाप्त करने के लिये तथा सम्बन्धित राजनीतिज्ञों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). इस अवधि में विशेषतः पाकिस्तान समर्थक कोई इश्तिहार या पुस्तिकाएं ध्यान में नहीं आई हैं । कुछ राजनैतिक नेताओं ने पाकिस्तान की प्रशंसा और भारत की निन्दा करते हुए कुछ भाषण और वक्तव्य दिये हैं । इनमें से कुछ मस्जिदों में दिये गये थे । किन्तु राज्य में इस अवधि के दौरान जासूसी गतिविधियों में ग्रस्त कोई प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ नहीं पाये हैं ।

(ङ) और (च). जम्मू व कश्मीर सरकार इस मामले में सतर्क है और जब आवश्यक होगा उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

Expenditure on security of Prime Minister during her Mid-Term Election tours

*283. **Shri Onkar Singh :**
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by the various State Governments on the

security of the Prime Minister and on other items separately, in connection with her Election tour during the mid-term elections;

(b) the amount realised out of it and the parties from whom it has been realised;

(c) the parties to whom the bills for unrealised amounts have been sent by the State Governments and the steps taken by those Governments to realise them; and

(d) the names of the authorities under whose orders expenditure was incurred on items other than those concerning security of the Prime Minister.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). Arrangements for the protection of the Prime Minister and for the maintenance of order in any public assembly are made by the State Governments. The State Governments have to make adequate police, security and other related arrangements so that the safety of the Prime Minister is not jeopardised and meetings, etc. can be held in peaceful conditions.

As these arrangements are part of the overall arrangements of the States for the maintenance of public order, it will not be possible to indicate expenditure attributable to the arrangements for the security of Prime Minister.

Miserable condition of the D.T.U. Buses and the Passengers

*284. **Shri Valmiki Choudhary:**
Shri Himatsingka:
Shri Tulsidas Dasappa:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times of the 26th January, 1969 under the heading 'Miserable condition of the Delhi Transport buses and the passengers';

(b) if so, whether Government have taken steps to verify the veracity of the complaints;

(c) if so, the nature thereof; and

(d) the steps being taken during the current year to improve the service of the Delhi Transport Undertaking?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): There is no such news item in the Hindustan Times of the 26th January, 1969 City Edition.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The Delhi Transport Undertaking has drawn up a programme for adding 200 new buses to its fleet and withdrawing 134 old buses during the current financial year. The Delhi Transport Committee has recently decided to allow an additional 200 buses owned by private operators to operate on payment of a sum of Rs. 750/- per bus per month to the Undertaking. So far 46 buses have been allowed to operate under this arrangement. Further, the Stores and Workshops are being streamlined by the Undertaking to achieve better results by way of deploying maximum number of buses on the road.

गांधी हत्या-कांड की जांच

*285. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी हत्याकांड की जांच पूरी हो गई है और तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और यदि नहीं, तो वह प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 1969 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिये स्टाफ कालेज

*286. **श्री गु० च० नायक :**
श्री दे० अमात :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शिक्षा प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक स्टाफ कालेज बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यह कालेज कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ; और

(ग) यह कालेज कहां पर स्थापित किया जायेगा और इसके कृत्य क्या होंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सम्भवतः कालेज 1972-73 में स्थापित हो जायेगा।

(ग) कालेज के नई दिल्ली में स्थित होने की सम्भावना है। इस कालेज में केन्द्र की तथा राज्यों की शिक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा और शिक्षा प्रशासन तथा आयोजन में अनुसंधान की व्यवस्था होगी।

दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*287. **श्री क० सकप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या उसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ग) यह कब तक कार्य आरम्भ कर देगा ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

नक्सलवादियों की कार्यवाहियां

*288. **श्री रा० वे० नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में काम कर रहे नक्सलवादी और अन्य उग्रवादी संगठनों की कार्यवाहियों के बारे में उच्च स्तर पर जांच करवाई है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने नक्सलवादी और अन्य उग्रवादी संगठनों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) केन्द्रीय सरकार देश में उग्रवादियों की गतिविधियों पर सावधानी से नजर रख रही है।

(ख) राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध नहीं किया गया है।

फरीदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने के लिये सरकारी मशीनरी का कथित दुरुपयोग

*289. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करने के लिये फरीदाबाद में नेकीराम शर्मा नगर बनाने के हेतु सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बारे में जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का हरियाणा विधान मण्डल विधायक दल ने 11 मई, 1969 को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Russian K. G. B. Celebrations in India

*290. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the report appearing in 'March of the Nation', a weekly', published from Bombay that Russian K. G. B. have held their annual celebrations in U.S.S.R. Embassy in India ;

(b) whether some tickets were also issued by K.G.B, in this connection, photos of which had also appeared in the said newspaper ;

(c) whether Government had made any inquiry into it ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government have seen the report published in the 'March of the Nation' in its issue dated 29th March, 1969.

(b) to (d). According to information available with Government, there is no truth in the news item in so far as it relates to India.

चौथी पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य शिक्षा

*291. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा और युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक निदेश का मूल्यांकन स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाना अपेक्षित है या साक्षरता के आधार पर ;

(ख) यदि साक्षरता के आधार पर ऐसा किया जाना अपेक्षित है तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 63 प्रतिशत बच्चों में से जो स्कूलों में प्रविष्ट हुए हैं, कितने बच्चे साक्षर हुए हैं ;

(ग) साक्षरता को बढ़ाने तथा बर्बादी और गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को ऐसा निदेश देने में क्या आपत्ति है कि स्कूलों में प्रविष्ट हुए छात्रों पर कम से कम बालकों पर तो अनिवार्यता लागू की जाय ; और

(घ) अध्यापकों की छात्रों में रुचि बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार सिलेक्शन ग्रेड करने के लिये धन क्यों नहीं देती, जिससे बर्बादी और गतिरोध कम हो ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) संविधान के अनुच्छेद 45 में दिये निदेशक सिद्धान्तों की पूर्ति को संख्या तथा गुणों की दृष्टि से देखना होगा। संख्यात्मक दृष्टि से 6-14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना होगा और गुणों की दृष्टि से इस बात का प्रबन्ध करना हो कि प्रत्येक बालक न केवल साक्षर बनता है बल्कि आज के युग में लोकतन्त्र का नागरिक होने के नाते उसे न्यूनतम सामान्य ज्ञान प्राप्त है।

(ख) यह पहले ही कह दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा के प्रभाव को मालूम करने के लिये साक्षरता एक कसौटी है। यह मानी हुई बात है कि एक बच्चे को ठीक साक्षरता

प्राप्त करने के लिए कम से कम चार वर्षों तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। प्रथम कक्षा में दाखिल होने वाले 100 बच्चों में से अब केवल 60 बच्चे चौथी कक्षा तक पहुंचते हैं। उन्हें साक्षर कह सकते हैं। शेष 40 प्रतिशत निरक्षर ही रह जाते हैं।

(ग) स्कूल शिक्षा के बारे में राज्य सरकारों को आदेश देने का केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है। यह एक राज्यों का विषय है।

इसमें सन्देह है कि वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक हालत में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूरी अनिवार्यता सफल सिद्ध होगी।

(घ) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये सिलैक्शन ग्रेड पहले ही कुछ राज्यों में लागू है। शिक्षा आयोग ने उनके सभी राज्यों में लागू करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश राज्यों के सरकारों के ध्यान में लायी गई है।

सिलैक्शन ग्रेडों, जो कि एक वांछनीय सुधार है, से स्थिरता और जाय होने पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय तथा अन्य कारणों से भारत सरकार अध्यापकों के वेतनों में सुधार हेतु राज्य सरकारों को सहायता नहीं दे सकी।

Formation of Malappuram District in Kerala

*292. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 44 on the 19th February, 1969 and state:

(a) whether the possibilities of the law and order situation of the country being adversely affected by the reported formation of the Malappuram Muslim majority District in Kerala have been considered;

(b) whether this aspect has also been considered that this would affect other States and thereby endanger the national unity; and

(c) if so, the preventive measures taken by Government and the details of the advice rendered to Kerala and other States in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c). The State Government have intimated that the district was formed purely on administrative considerations. The State Government have also reported that law and order situation in the State is satisfactory. The formation of districts is within the competence of State Governments.

विदेशी गुप्तचर अभिकरणों द्वारा कुछ संस्थाओं और संगठनों को धन दिया जाना

*293. **श्री रवि राय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी समाचार पत्रों में हुए रहस्योद्घाटन तथा उनके मंत्रालय द्वारा की गई जांच पड़ताल से यह पता चला है कि भारत में शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों को धन देना विदेशी गुप्तचर अभिकरणों के लिये सम्भव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). मैं पिछले आम चुनावों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 14 मई, 1969 को इस सदन में दिये गये अपने वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं ।

कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

*294. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्य सरकारों में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को घटाकर 55 वर्ष किया गया है ;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में, कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु का किस वर्ष में 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया था और उसके क्या कारण थे ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित राज्य सरकारों द्वारा सेवा निवृत्ति की आयु को घटाये जाने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित कारणों से और विशेषकर बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा युवा कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों का अभाव होने के कारण सेवा निवृत्ति की आयु को घटाने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के श्रेणी I, II, तथा III के कर्मचारियों की वार्धक्य निवर्त्तन की आयु सभी सम्बन्धित तत्वों की विस्तृत परीक्षा के बाद तथा द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 30 नवम्बर, 1962 से 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्धक्य निवर्त्तन की आयु, जो 60 थी, अपरिवर्तित रही । तत्पश्चात तमिल नाडु (तब मद्रास), केरल, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु भी 55 से बढ़ाकर 58 कर दी थी । 1966 में केरल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की वार्धक्य निवर्त्तन की आयु बढ़ा दी ; किन्तु 1967 में इसे घटा कर फिर 55 कर दिया । मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों ने अब अपने कर्मचारियों की वार्धक्य निवर्त्तन की आयु 58 से घटा कर 55 कर दी है ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिये सक्षम हैं अतः भारत सरकार को उनके द्वारा लिए गये निर्णय की आवश्यकता के कारणों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) और (ङ). जैसा पहले ही बताया जा चुका है केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्धक्य निवर्त्तन की आयु सभी सम्बन्धित तत्वों की विस्तृत परीक्षा के बाद केवल कुछ ही वर्ष पहले 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के लिए परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

आर्थिक प्रगति संस्थान नई दिल्ली को अनुदान

*295. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति संस्थान नई दिल्ली को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या वह संस्थान इस प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के विनियमों में उल्लिखित कसौटी पर सही उतरता है ;

(घ) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्ततोगत्वा अगस्त 1966 में इन अनुदानों को बन्द करने का निर्णय किया था ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय के बावजूद अगस्त, 1966 के बाद अनियमित रूप से इस संस्थान को अनुदान दिये जाते रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तथा (ख). संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सीधे कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1963 से 1968 तक संस्थान में रीतिविधान में अनुसंधान के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की योजना के लिये 4.12 लाख रुपये दिये ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सीधे अनुदान प्राप्त करने की शर्तों को संस्थान पूरा नहीं करता ।

(घ) से (च). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त,1966 में रीतिविधान के पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान न देने का कोई निर्णय नहीं किया था। फरवरी, 1967 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहमति का एक प्रस्ताव पारित किया था। जो इस प्रकार है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्थिक विकास संस्थान में रीतिविधान अनुसंधान जारी रखने के लिए 31-5-1968 तक वर्तमान स्तर पर सहायता जारी रखी जाये।"

दिल्ली में दो सीट वाले स्कूटरों के किराये में वृद्धि

296. **श्री अबिचन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली और नयी दिल्ली में दो सीट वाले स्कूटरों के किराये में 1 जून, 1969 से वृद्धि की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि के लिये और स्कूटर के किराये की संशोधित दरें क्या है ;

(ग) इस वृद्धि की अनुमति देने के क्या कारण है ;

(घ) क्या इस वृद्धि के बावजूद स्कूटर-चालक यात्रियों की सुविधा की परवाह न करते हुये गंतव्य स्थान स्वयं निश्चित करते हैं तथा कम दूरी वाले यात्रियों को नहीं बैठाते और यात्रियों को उन स्थानों को नहीं ले जाते, जहां जाना वे पसन्द न करें ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे स्कूटर-चालक यात्रियों को परेशान न कर सकें और यात्रियों को असुविधा न होने पाये ?

संसद्-कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). राज्य परिवहन अधिकरण, दिल्ली ने 16-5-69 को हुई अपनी बैठक में दो सीटर मोटर रिक्शा का $1\frac{1}{2}$ किलोमीटर (या उसके भाग) जिसके लिए मौजूदा 40 पैसे की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद की दूरी के लिए किराया 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे प्रति किलोमीटर करने का निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न मोटर रिक्शा संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए बढ़ाए गये किराये को 1-6-69 से लागू करने की अनुमति दी गई है।

(घ) जी हां। दिल्ली प्रशासन की दो सीट वाले रिक्शाओं के चालकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने, अधिक किराया लेने और चलाने से इन्कार करने की शिकायतें अभी भी मिल रही हैं।

(ङ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1479/69]

Enhancement of Tuition Fees in Universities

*297. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proposals are under way to enhance the tuition fees in the Universities in various States ;

(b) if so, names of those States and Universities ;

(c) whether it is also a fact that students of Uttar Pradesh have planned for organising demonstrations and gheraos of the authorities against this enhancement ;

(d) whether it is also a fact that Government have opposed the proposal of enhancement in tuition fees ;

(e) if so, whether Government intend to hold a meeting or conference of Vice-Chancellors of all the Universities in the country and other officers to discuss this problem ; and

(f) if not, reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Government has no information about any proposals for the enhancement of fees in Universities in the various States, except in Uttar Pradesh. Latest enquiries made from the State Government, however, reveal that the proposal has since been shelved.

(d) On receipt of a representation from the Allahabad Students Union, I had requested the Chief Minister, U. P. that the proposal for increase in fees may be dropped.

(e) and (f). In view of the position stated above, there is no proposal to hold a meeting of the Vice-Chancellors to discuss the matter.

1971 की जनगणना

*298. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 में होने वाली अगली जनगणना में कुछ नई बातें शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे घरेलू बातों की जानकारी की जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इन नई बातों का विवरण क्या है और उनको शामिल करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य बातों के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में जानने का विचार छोड़ दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) 1961 की जनगणना की तुलना में 1971 की जनगणना पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ; और

(च) व्यय में यथास्थिति वृद्धि अथवा कमी होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1971 की जनगणना में निम्नलिखित नयी विशेषताएं आरम्भ करने का विचार है :

(i) **मकान-सूची :** दो नये कालम यह सूचना एकत्रित करने के लिये जोड़े गये हैं कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम का हैं और क्या वह परिवार भूमि जोतता है ।

यह सूचना जनगणना के समय परिगणना की सुविधा के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के परिवारों का पता लगाने और आगामी अध्ययनों के लिये अवलम्बन के रूप में कार्य करने के लिए एकत्रित की जा रही है ।

(ii) **स्थापना-अनुसूची :** 1961 की जनगणना में निर्माणकारी स्थापनाओं के सम्बन्ध में सूचना मकान-सूची के द्वारा एकत्रित की गई थी । 1971 की जनगणना में एक पृथक स्थापना

सूची मांगी जायेगी और एकत्रित किये जाने वाली सूचना के सभी प्रकार की स्थापनाओं को आवृत्त करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक बनाया गया है। इस अनुसूची को सामग्री के विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा आगामी अध्ययनों के लिये सभी प्रकार की स्थापनाओं के हेतु एक अवलम्बन प्रदान करने के लिये व्यापक बनाया गया है।

(iii) **व्यक्ति-पर्ची**—(i) वर्तमान जनन-क्षमता (ii) पिछला निवासस्थान (iii) मुख्य कार्य-कलाप तथा (iv) गौण कार्य के सम्बन्ध में सूचना मालूम के लिये चार नये प्रश्न जोड़े गये हैं। 1961 की जनगणना में आर्थिक प्रश्न कार्य के विचार पर आधारित थे अर्थात् क्या व्यक्ति किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में लगा है चाहे अंशकालिक ही क्यों न हो, जब कि 1971 की जनगणना में उन कार्य-कलापों के आधार पर, जिन पर व्यक्ति अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, व्यक्तियों को श्रमिकों और गैर-श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत करने का इरादा है। गौरकार्य मुख्य गतिविधि के अलावा, चाहे वह अंशकालिक आधार पर ही क्यों न हो, अन्य आर्थिक गतिविधि को बतलायेगा। अध्ययन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिये यह अतिरिक्त सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये एक साधारण अनुसूची का मार्च-अप्रैल, 1969 के दौरान पूर्व-परीक्षण किया गया था। पूर्व-परीक्षण के अनुभव से प्रकट हुआ कि जनगणना की कार्यवाही के भाग के रूप में यह सूचना एकत्रित करना निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं होगा :

(i) उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे ;

(ii) वह प्रक्रिया समय लेने वाली थी ;

(iii) ऐसे सर्वेक्षण के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित अन्वेषकों की कमी।

(ङ) 1971 की जनगणना के कार्य पर होने वाला अनुमानित कुल व्यय 17.63 करोड़ रुपये हैं जब कि 1961 की जनगणना में 12.13 करोड़ रुपया व्यय हुआ था।

(च) इस वृद्धि के कारण ये हैं :

(i) 1971 की जनसंख्या में 12.1 करोड़ की प्रक्षिप्त वृद्धि ;

(ii) कर्मचारी-वर्ग के वेतन के ढांचे में सामान्य वृद्धि।

(iii) परिगणकों और परिगणना अभिकरण के कर्मचारियों को प्रस्तावित मानदेय भुगतान में वृद्धि ; और

(iv) कागज, फर्नीचर तथा आकस्मिक व्यय की अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि।

Report of Moraka Commission on Finances of Local Bodies in Delhi

*299. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Morarka Commission appointed to look into the finances of the local bodies in Delhi ;

(b) if so, the main recommendations thereof;

(c) the recommendations out of them which have not been implemented by Government and the reasons therefor;

(d) the recommendations out of them which have been implemented by Government so far;

(e) whether Government have consulted the Officers of the Delhi Municipal Corporation and local Members of Parliament in this connection; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (f). The Morarka Commission submitted its interim report to the Government in September, 1968. The report was laid on the Table of the House on 22nd November, 1968. A series of meetings were held to discuss the report and the representatives of the Delhi Municipal Corporation participated in the deliberations. No discussions with the Members of Parliament on the report of the Commission were held. Government have requested the Corporation to raise its resources and effect economies in accordance with the recommendations of the Commission so that it may qualify to receive financial assistance from the Government according to the pattern recommended by the Commission. The Corporation has sent its views only recently and the matter is under examination.

राष्ट्रीय सेवा दल योजना को लागू करना

*300. **श्री बलराज मधोक :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस शिक्षा वर्ष से राष्ट्रीय छात्र सेना दल योजना को वैकल्पिक कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय सेवा दल, योजना आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय सेवा दल योजना की रूप रेखा तैयार कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०): (क) से (ग). 9 विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों ने पिछले शिक्षा सत्र से एन० सी० सी० को वैकल्पिक बना दिया था। वर्तमान शिक्षा सत्र के लिये 9 विश्वविद्यालयों के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है। राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित वर्तमान प्रस्ताव के अन्तर्गत यह योजना भी वैकल्पिक होगी। योजना की रूपरेखा तथा विस्तृत कर ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि अगले कुछ ही दिनों में उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

डी० सी० 9-40 विमानों के स्थान पर बोइंग विमान

1724. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स के निदेशक मंडल द्वारा डी० सी० 9-40

विमान खरीदने का निर्णय किये जाने के बाद सरकार द्वारा इनके स्थान पर बोइंग विमान खरीदने के लिये अनेक प्रयास किये गये थे और अभी किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वप्रथम बोइंग 727-200 विमानों के लिये प्रयत्न किये गये थे परन्तु उनमें असफल रहने के बाद अब उड्डयन विभाग के श्री ए० मित्र तथा वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० एन० रे की दो सदस्यीय समिति नियुक्त किये जाने पर बोइंग 737-300 विमान खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स बोर्ड की पांच डी० सी० 9-40 विमानों को खरीदने की सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है और निर्णय शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है। सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

विमानों के मूल्यांकन के लिये दो सदस्यीय समिति का गठन

1725. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस विशेष परामर्श अथवा अभ्यावेदन के आधार पर विमानों का अग्रेतर मूल्यांकन करने के लिये श्री ए० मित्र, असैनिक उड्डयन विभाग, तथा श्री एच० एन० रे, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय की दो सदस्यीय समिति का सरकार द्वारा गठन किया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी थी।

नये विमानों की उपयुक्तता के बारे में समिति

1726. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्विसदस्यीय समिति जिसके असैनिक उड्डयन विभाग के श्री ए० एन० मित्र और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० एन० रे सदस्य हैं, की उड्डयन तकनीकी अथवा अन्यथा अर्हतायें, ज्ञान तथा अनुभव क्या हैं जिससे वह विभिन्न दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के 'रूट' पर चलाने के लिए विमानों की उपयुक्तता के बारे में परामर्श दे सकें और निर्माताओं, विशेषज्ञों अथवा निहित हित वाले व्यक्तियों अथवा अन्य लोगों द्वारा दिये गये सही अथवा गलत अभ्यावेदनों तथा आंकड़ों से सुरक्षा गुणकों का पता लगा सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

विमानों की खरीद

1727. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों (जो कि जुलाई, 1968 में डी० सी० 9-40 था और जिसे खरीदने

के लिये बोर्ड मान गया था) के खरीदने के लिये विमान चयन करने वाली दो सदस्यीय समिति ने, जिसके सदस्य असैनिक उड्डयन विभाग के श्री ए० मित्र और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० एन० रे थे, असैनिक उड्डयन महानिदेशक से वरीयता के बारे में सलाह की है;

(ख) यदि हां, तो असैनिक उड्डयन महानिदेशक की राय अब क्या है और उसने दो सदस्यों की समिति को क्या राय दी थी;

(ग) दो सदस्यों की समिति ने निर्माताओं की बात के अतिरिक्त और किन विशेषज्ञों की सलाह तथा जानकारी पर अपना निर्णय किया था; और

(घ) क्या दो सदस्यों की समिति ने सभी निर्माताओं, विशेषज्ञों और निहित स्वार्थों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी तथ्यों और जानकारी की स्वतन्त्र जांच की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नये विमानों की उपयुक्तता के बारे में समिति

1728. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फ्लग रिव्यू' पत्रिका के जर्मन भाषा के मार्च, 1969 के अंक में प्रकाशित हुए 'ट्रबल विद दि सिटी जैट्स' शीर्षक वाले लेख (सिटी जैट्स 737-300 बोइंग विमानों के लिए जर्मन एयरलाइन्ज, टर्मिवोलोनी) के बारे में उड्डयन विभाग के श्री एन० मित्र और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एच० एन० रे की द्विसदस्यीय समिति को पता है; और

(ख) क्या इस समिति ने इस बात पर विचार किया है कि जर्मनी विमान कम्पनियों में चल रहे इन विमानों के बारे में इतना अधिक विवाद क्यों है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी समिति नियुक्त नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हुसैनी वाला सीमा पर व्यवस्था

1729. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे हुसैनी वाला सीमा क्षेत्र पर कर्मचारियों के लिए कार्यालय भवन, बैठने की व्यवस्था, बिजली के पंखे और प्रकाश तथा लू और ठंडी हवा से बचने की समुचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारी सीमा के उस पार सीमा रक्षक पुलिस एवं विश्व भर के पर्यटकों की सुख सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो हमारी सीमाओं पर इस प्रकार की शोचनीय दशा के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हुसैनी वाला सीमा चौकी पर नियुक्त विभिन्न विभागों के हमारे कर्मचारियों के लिये कार्यालय आवास, बैठने की व्यवस्था इत्यादि में सुधार करने की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए एक सम्मेलन कमरे, सन्तरी पोस्ट तथा बैरकों की निर्माण प्रगति पर है। सभी विभागों के कर्मचारियों के लिये पर्याप्त कार्यालय आवास तथा सीमा पार से भारत में आने वाले पर्यटकों और अन्य यात्रियों की सुविधायें उन्नत करने के लिये योजना पहले ही हाथ में ले ली गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद में विलम्ब

1730. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रवि राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स की तकनीकी समिति ने जिसकी बैठक मई, 1968 में हुई थी, इण्डियन एयर लाइन्स के विमान बेड़े के लिये अमरीकी डी० टी०-9 विमानों की बजाय रूसी टी० यू० 134 विमानों को खरीदना श्रेयकर समझा है, क्योंकि इन में अधिक व्यक्तियों को बैठने का स्थान है तथा इन का संचालन खर्च कम है ;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन एयर लाइन्स के लिए पांच नये विमान की खरीद के अन्तिम रूप देने में हुए अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बात को देखते हुए कि विमानों की सप्लाई क्रयादेश देने के दो वर्षों बाद की जाती है, विमानों की खरीद के स्थगन का इण्डियन एयर लाइन्स के कारोबार पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) इण्डियन एयर लाइन्स कब तक अन्तिम रूप से क्रयादेश दे देगी, किस प्रकार के विमानों का चयन किया जायेगा, प्रत्येक विमान की लागत कितनी होगी तथा वे कब तक प्राप्त हो जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जुलाई, 1968 में इण्डियन एयरलाइन्स बोर्ड ने सरकार से पांच डी० सी०-9-40 विमान खरीदने की सर्वसम्मति से सिफारिश की है।

(ख) से (घ). बोर्ड की सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

नेपाली नक्सलवादी

1731. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में शस्त्रास्त्र से लैस बहुत से नेपाली नक्सलवादी उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर, खेड़ी तथा पीलीभीत जिलों में घुस आये थे और वहां उन्होंने डकैतियों, लूटपाट तथा आगजनी की वारदातें की थीं ;

(ख) अब तक कितने नेपाली नक्सलवादी पकड़े गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ स्थानीय साम्यवादी उन नक्सलवादियों को आश्रय देते रहे हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) भारत में नेपाली नक्सलवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). अपनी सीमाओं पर निरन्तर सतर्कता बरती जाती है ।

राष्ट्रीय झंडे का अपमान

1732. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 से जून, 1969 तक राज्यवार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्रीय झंडे का खुले तौर पर अपमान किया गया है, राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किन-किन व्यक्तियों द्वारा किया गया तथा ये घटनाएं किस-किस तारीख को हुईं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं । यह एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अदालती प्रयोगशाला की स्थापना

1733. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण में सम्भवतः कब तक अदालती प्रयोगशाला स्थापित हो जायेगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधीन केन्द्रीय अदालती प्रयोगशाला अब नई दिल्ली में स्थापित की जा चुकी है ।

इस प्रयोगशाला के "अभिलेख प्रभाग" तथा "फोटो अनुभाग" ने पूरी तरह काम करना आरम्भ कर दिया है ।

विभिन्न प्रभागों के लिये देशी वैज्ञानिक उपस्करण, उपकरण इत्यादि का मुख्य सामान प्राप्त कर लिया गया है । सूक्ष्मकर्म उपस्करण, जो देश के भीतर उपलब्ध नहीं हैं, आयात किये जा रहे हैं और उनके पहुंचते ही अन्य प्रभाग भी पूरी तरह काम करना आरम्भ कर देंगे ।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग निदेशक द्वारा मकान भत्ता लिया जाना

1734. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ने पूरा मकान भत्ता लिया था जब कि वास्तव में वह अपने अन्य सम्बन्धियों के साथ, जो अन्यतर नौकरी पर थे तथा मकान भत्ता ले रहे थे, रह रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे मकान भत्ते का कुछ भाग वापस लिया गया है, उन्हें कितनी राशि वापस करने को कहा गया था तथा कब ; और

(ग) मकान भत्ता वापस लेने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध की गई अन्य कार्यवाही का ब्योरा क्या है ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क)भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक, अपनी अविवाहित आश्रित पुत्री के, जो उनके साथ रह रही थीं, 26-5-1966 को एक प्राइवेट फर्म में 100 रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकर हो जाने के बाद भी पूरी दरों पर मकान किराया भत्ता लेते रहे थे । उनकी पुत्री को अपने नियोजक से कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिला था ।

(ख) जी हां । निदेशक से मार्च, 1969 में 846.75 रु० की राशि लौटाने के लिए कहा गया था जो कि उन्होंने 26-5-66 से 31-12-67 तक की अवधि में मकान किराए के रूप में अधिक ली थी । उक्त राशि को उन्होंने, मार्च और अप्रैल, 1969 महीनों को अपने वेतन बिलों के जरिए दो किस्तों में वापस कर दी थी ।

(ग) क्योंकि, निदेशक ने नियम का गलत तकनीकी परिभाषा करने के फलस्वरूप अधिक मकान किराया लिया था, इसलिए और आगे कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

आसाम राइफल्स की 7वीं और 21वीं बटालियनों को मांस की सप्लाई

1735. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी शिकायत आई है कि आसाम राइफल्स की 7वीं और 21वीं बटालियनों केलिए जैरामपुर में मांस की सप्लाई करने का आदेश अधिक दर बताने वाले टेन्डर को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत का स्वरूप क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). स्थानीय प्राधिकारियों को एक ठेकेदार से इस आरोप की एक शिकायत मिली है कि जैरामपुर स्थित आसाम राइफल्स के कर्मचारियों के लिये मांस की सप्लाई करने हेतु उसके द्वारा दी गई न्यूनतम दरें स्वीकार नहीं की गईं और माल अधिक दरों पर प्राप्त किया जा रहा है। उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण प्रशासन उक्त शिकायत की जांच कर रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा देहात की सड़कों के लिये 40 प्रतिशत अनुदान

1736. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार आश्वासन के अनुसार देहाती सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : जी, नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों के लिये कोई "उद्दीष्ठ" केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है।

गोंडा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच

1737. **श्री रामगोपाल शालवाले** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री गोंडा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के बारे में 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के खुफिया विभाग ने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। श्रीमती राम मूर्ति देवी के साथ बलात्कार करने के आरोप सही नहीं पाये गये हैं। फिर भी, यह स्थापित हुआ है कि 5 मई, 1968 की सायं को उसे थाने में लाया गया और 6 मई, 1968 को प्रातः छोड़ा गया। संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) खुफिया विभाग का प्रतिवेदन गोपनीय होने के कारण उसे सभा-पटल पर रखना संभव नहीं होगा।

मानव बलि

1740. **श्री बेधर बेहेरा :** क्या गृह-काय मत्रा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ क्षेत्र में आदिम जाति के सरगुजा जिले के सभारी गांव में मानव बलि की घटना होने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान सरगुजा जिले के समारी गांव में मानव बलि का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Colleges in Delhi

1741. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of colleges in Delhi which have their own buildings and number of colleges which do not have buildings of their own ;

(b) the time by which Government will get the buildings constructed for those colleges which do not have buildings ;

(c) the number of new colleges being opened in Delhi this year and the number of students who would be admitted therein ; and

(d) whether it is a fact that the rules regarding admission to the Delhi University are different from those in other universities?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Of the 43 Colleges affiliated to Delhi University, 25 have their own buildings.

(b) It is not possible to indicate precisely the time by which the Colleges would be able to get their own buildings constructed. However, the University of Delhi is impressing upon the Colleges concerned to construct and shift to their own buildings as early as possible.

(c) The Institute of Home Economics, South Extension, New Delhi has been granted affiliation by the Delhi University to start B.Sc. (Home Science) course from this year with an intake of 120 students in the first year. The Delhi Administration has also started a Women's College in Tagore Garden with an admission of 500 students.

(d) No such comparative study has been undertaken in this matter.

हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिये नियतन

1742. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन केन्द्रों के मामले में हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है और यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन के विकास के लिये, हिमाचल प्रदेश को चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल 25 लाख रुपये देने के क्या कारण हैं जब कि जम्मू तथा काश्मीर को 320 लाख रुपये और गुजरात तथा हरियाणा को 50 लाख दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि राज्यों की तुलना में संघ राज्य क्षेत्रों के विकास की ओर कम ध्यान दिया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). विभिन्न कार्यक्रमों के लिये, जिनमें पर्यटन भी शामिल है, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नियतन राज्यों की योजनाओं के लिये साधनों की उपलब्धि, अर्थ-व्यवस्था के अन्य प्रतिस्पर्धी खण्डों की आवश्यकताओं और राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों को दी गई आपेक्षिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही तय किये गये थे। निश्चय ही सरकार की यह नीति नहीं है कि राज्यों की तुलना में संघ राज्य क्षेत्रों के विकास पर कम ध्यान दिया जाये।

Exhibition of Films in Gorakhpur on 5th May, 1969—National Mourning Day

1743. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 5th May, 1969, films were being exhibited in all

the Cinema halls in Gorakhpur (Uttar Pradesh) while the whole Nation was mourning the sad and sudden demise of President, Dr. Zakir Hussain on that day; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken against the persons responsible therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid down on the Table of the House.

साम्प्रदायिक घटनायें

1744. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में साम्प्रदायिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) नई दिल्ली में गत मई, 1969 में जब इस विषय पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुई थी, उस समय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस बैठक का क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी से 22 मई, 1969 तक उस राज्य में 39 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई। इस अवधि में साम्प्रदायिक घटनाओं का मासिक औसत 1 जनवरी, 1969 से पहले के छः महीनों की अवधि के मासिक औसत से अधिक था। शेष राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद की साम्प्रदायिकता विषयक उप समिति ने, जिसकी 22 मई, 1969 को नई दिल्ली में बैठक हुई, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न वर्गों के बीच तनावों से निपटने, घटनाओं को रोकने तथा उन क्षेत्रों में, जहां साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप लूट और आगजनी होती रहती है, साम्प्रदायिक मेल-जोल सुनिश्चित करने के लिये, विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की समितियां स्थापित करने की सिफारिश की। गृह मंत्री ने 7 जुलाई, 1969 को सभी मुख्य मंत्रियों को उप समिति की इस सिफारिश पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लिखा है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह

1745. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह इस वर्ष भारत में सितम्बर में

किसी समय आयोजित किया जायेगा ;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी तथा इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ; और

(ग) इस समारोह में किस-किस देश द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक देश से कितने व्यक्ति भाग लेंगे तथा समारोह की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोमेक्स भारत, द्वारा जो एक गैर-सरकारी संस्था है सितम्बर, 1969 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रमण्डल युवक समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) आयोजकों द्वारा समारोह पर लगभग 2 लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, समारोह पर विदेशी मुद्रा के रूप में कोई व्यय नहीं किया जायेगा ।

(ग) समारोह में भारतीय विद्यार्थियों के अलावा राष्ट्रमण्डल देशों, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कनाडा, इंग्लैंड, केन्या, मलेशिया, मारीशस, न्यूजीलैंड, नाईजीरिया, घाना, सिंगापुर, तन्जानिया और युगान्डा के लगभग 500 विद्यार्थियों के भाग लेने की संभावना है, जो ब्रिटिश विश्व-विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं इनके अतिरिक्त पड़ोसी देशों में विशेषकर अफगानिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया, ईरान, कुवैत, नेपाल, थाईलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य को भी आयोजकों द्वारा समारोह में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया है । युवक समारोह की महत्वपूर्ण विशेषताएं नाटक, लोक-गीत, लोक-नृत्य आदि होगी ।

इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा की गई हवाई यात्रा

1746. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन ने यात्रा विदेशी विमान सेवा कम्पनियों द्वारा उनको सम्मानार्थ दिये गये टिकटों पर की थी अथवा कुछ संगठनों के निमंत्रण पर ;

(ख) यदि उन्होंने यह यात्रा सम्मानार्थ दिये गये टिकटों पर की थी तो इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया ने पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग विदेशी विमान कम्पनियों के चेयरमैनों अथवा अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों को ऐसे कितने सम्मानार्थ टिकट दिये ; और

(ग) यदि उन्होंने यह यात्रा निमन्त्रण पर की थी तो उनको किन संगठनों ने निमंत्रण दिया था, उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और उनकी यात्रा पर अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, और संकलित की जा रही है।

जयपुर संग्रहालय से चित्रों की चोरी

1747. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री अदिचन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री जय सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर संग्रहालय के चित्रों की चोरी के सम्बन्ध में, जो चोरी छिपे अमरीका भेजी गई थीं, की जा रही जांच-पड़ताल के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सिटी पैलेस, जयपुर के भण्डार गृह में 46 ऐलबमों में रखे लगभग 1700 चित्रों की चोरी का 11-1-69 को पता चला। 452 चित्रों को विभिन्न स्थानों से ढूंढ़ निकालने में जयपुर पुलिस सफल रही। उनमें से 440 को सिटी पैलेस की सम्पत्ति के रूप में पहचान लिया गया है। इनमें वे 55 चित्र भी सम्मिलित हैं, जिन्हें श्री संग्राम सिंह, निदेशक, सिटी पैलेस संग्रहालय, जयपुर के घर से निकाला गया था। ऐसी सूचना मिली है कि श्री संग्राम सिंह ने 37 चित्रों को एक विदेशी को बेच दिया था। ये चित्र 23-4-69 को एक एयर-लाइन के दफ्तर से उस समय प्राप्त किये गये जबकि वे अमरीका को स्थानांतरित किये जाने वाले थे।

श्री संग्राम सिंह और उसका साथी श्री मदन सिंह निम्बी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। 24 जुलाई, 1969 को दिल्ली, बीकानेर और कलकत्ता में खोजें की गईं और 156 चित्र 3 फोटो और एक पाण्डलिपि दिल्ली और बीकानेर से प्राप्त की गई। सन्देह है कि इनका सम्बन्ध जयपुर के चोरी के मामले से है। कलकत्ता में की गई खोज के परिणाम की अभी प्रतिक्षा है। आगे छानबीन चल रही है।

नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध बजट में कथित गड़बड़ी तथा दुराचरण के आरोप

1748. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद् सदस्य ने इस वर्ष मई के अन्तिम सप्ताह में नयी

दिल्ली नगरपालिका के प्रधान के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने बजट में गड़बड़ी की है एवं दुराचरण किया है, एक पत्र उनको लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उन आरोपों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). बैठक कार्यवृत्त में गड़बड़ी, साथी सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार आदि के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर पालिका के प्रधान के विरुद्ध कुछ आरोपों वाला एक पत्र डा० भाई महावीर से प्राप्त हुआ था। मामले की सावधानी से जांच की गई थी। नई दिल्ली नगरपालिका के प्रधान को सलाह दी गई है कि उत्तेजना की बात कुछ भी हो किन्तु सभी परिस्थितियों में शान्त और भद्र रहना चाहिये। कार्यवृत्तों में गड़बड़ी के आरोप को सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं था।

गणतन्त्र दिवस पुरस्कार (1969)

1749. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री गणतन्त्र दिवस पुरस्कारों के सम्बन्ध में 16 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनकी सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल एवं मुख्य कार्यकारी पार्षद ने की थी, और जिनके नाम गणतन्त्र दिवस पुरस्कार देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने शामिल कर लिये थे, तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार ने शामिल नहीं किये, परन्तु उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल किए गये ;

(ख) उपराज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद् द्वारा सुझाए गए नामों को सरकार ने किन कारणों से बदला ; और

(ग) अन्य संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के क्या नाम हैं, जिनके द्वारा सुझाए गए नामों में इसी प्रकार का परिवर्तन किया गया था तथा इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में पद्म पुरस्कारों के लिये सिफारिशें करने के लिये केवल दिल्ली प्रशासन ही प्राधिकारी नहीं है किन्तु बहुत से अन्य प्राधिकारी भी ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं और करते हैं। इस प्रकार दिल्ली के निवासियों में, जिन्हें 1969 के गणतंत्र दिवस पर पद्म अलंकरणों से अलंकृत किया गया था, उपराज्यपाल/मुख्यकार्यकारी पार्षद, दिल्ली द्वारा सिफारिश किये गये कुछ व्यक्ति और अन्य प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश किये गये दूसरे व्यक्ति शामिल थे। अतः प्रशासन द्वारा सिफारिश न किये गये दिल्ली के निवासियों को पुरस्कारों के दिये जाने का

अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सुझाये गये नामों को बदला गया था।

विभिन्न प्रवर्तक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष काफी व्यक्तियों के लिये सिफारिश की जाती है किन्तु सभी सिफारिशों को उसी रूप में मानना सम्भव नहीं है। कार्यप्रणाली, चयन का ढंग और पद्म पुरस्कार देने में अपनाये गये सिद्धांत गोपनीय होते हैं और पुरस्कारों के लिये सुझाये गये या विचारे गये व्यक्तियों के नाम अथवा उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा जिन्होंने विशेष व्यक्तियों के नामों का प्रवर्तन किया।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यों समेत किसी प्राधिकारी द्वारा सुझाये गये नामों में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों की जांच करने के बाद।

मालापुरम जिला

1750. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प० मु० सईद :
श्री राम चरण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में मालापुरम नामक नया जिला बनाने के केरल सरकार के तथाकथित निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें मुसलमानों का बहुमत होगा और जो केरल का दसवां हिस्सा होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या यह निर्णय किये जाने पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 833 दिनांक 25 जुलाई, 1969 के भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (घ). जिलों का निर्माण राज्य सरकारों के अधिकार में है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

Re-employed Pensioners

1751. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Class I, II and III employees of various Ministries, who are getting pension from the Central Government and are re-employed in Government service ; and

(b) the reasons for re-employing the pensioners in Government service ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Recognition of Matriculation/Higher Secondary Certificates

1752. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students who leave school after passing 10th Class or those who fail in Higher Secondary Examination are considered equal to matriculates in all affiliated colleges of the Delhi University ;

(b) whether students who pass eleventh class from colleges affiliated to the U. P. Board or fail in Intermediate are not treated equal to Higher Secondary ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative, the reasons for this discrimination in these two States ; and

(d) action taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No parity is drawn by the University of Delhi between the students who leave schools after passing 10th class or those who fail in Higher Secondary Examination, and the Matriculates, as none of these qualifications is recognized for the purpose of admission to the University.

(b) The students who pass eleventh class from colleges affiliated to the U. P. Board or fail in Intermediate Examination are also not considered to have passed the Higher Secondary Examination.

(c) and (d). Do not arise.

केन्द्रीय सरकार के निदेशों को क्रियान्वित करने से इन्कार करना

1753. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकार ने गत एक वर्ष में कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार के निदेशों की अवहेलना की अथवा उनको क्रियान्वित करने से इन्कार किया है ;

(ख) नीति में मतभेद होने के कारण कितने मामलों में गतिरोध उत्पन्न हो गया ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों से इस आशय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पश्चिमी बंगाल तथा केरल में राज्य की नीतियों के कारण उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और यह कब तक काम आरम्भ कर देगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के लिये संविधान के अनुच्छेद 256 अथवा 257 के अधीन निदेश जारी करने का कोई अवसर नहीं आया है ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है ।

(ग) ऐसे कोई सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । जब किसी निश्चित प्रश्न पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो विषय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत की जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत बंगले/मकान

1754. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत कितने बंगले/मकान हैं और उनमें कितने व्यक्तियों के रहने का स्थान है ;

(ख) क्या इन सभी स्थानों पर खाना उपलब्ध करने की व्यवस्था है ; और

(ग) निगम के कार्य में विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन बीस यात्री लाज और एक होटल है, जिनमें कुल मिलाकर 213 शय्याओं की व्यवस्था है । भारत पर्यटन विकास निगम छः यात्रियों के रेस्टोरेंट भी चलाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कतिपय यात्री लाजों के नवीकरण और विस्तार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, तथा इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है ।

विश्राम गृहों का भारतीय पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरण

1755. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव किया है कि लोक निर्माण विभाग के तथा अन्य सभी प्रकार के विश्राम गृह भारतीय पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित कर दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना में भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिये अलग रखी गई धन-राशि

1756. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगम में लगाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि रखी गई है; और

(ख) राशि किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 10.77 करोड़ रुपये।

(ख) राशि को निम्न स्कीमों पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है :

(i) **पिछली योजना से चली आ रही स्कीमें**

	(लाख रुपयों में)
सार्वजनिक क्षेत्र में होटलों का निर्माण ..	100.00
(ii) **नई स्कीमें**	
(1) सार्वजनिक क्षेत्र में होटलों का निर्माण ..	525.00
(2) मोटलों का निर्माण ..	150.00
(3) पर्यटक बंगलों और रेस्टोरेंटों का नवीकरण और विस्तार ..	100.00
(4) परिवहन एककों (ट्रांस्पोर्ट यूनिट्स) की स्थापना ..	150.00
(5) पर्यटक कुटीरों का निर्माण ..	50.00
(6) शुल्कमुक्त दुकानों का निर्माण और सुधार ..	2.00
	1077.00

Ships for Oil Drilling in Off-Shore Areas

1757. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a Ship-building Company of Holland is building a ship which, apart from being less costly, will bring about greater efficiency in oil-drilling in the off-shore areas and will be put to this use in the Netherland seas ; and

(b) if so, keeping in view the feasibility of using such ships in the Gulf of Cambay, whether any steps are being taken by Government to build such ships in the country ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Mobile off-shore drilling platforms have been built by certain firms in the Netherlands. Information pertaining to the areas in which these mobile platforms have been or will be used for drilling is not available. Likewise, information is also not available as to how the cost and efficiency of such platforms compare with those manufactured elsewhere.

(b) A study is being made to decide which of the various types of mobile off-shore drilling platforms, including those that are known to have been built in the Netherlands, will be the most suitable type for drilling in the Gulf of Cambay and the adjoining area in the Arabian Sea. It is only after a decision in this regard has been taken, the question of building the mobile platform in India can be examined.

Around-the-World Air Service

1758. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Gadilingana Gowd :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3918 on the 21st March, 1969 and state the decision taken by Government in regard to starting around-the-world air service, for which a private company was asked to conduct traffic survey from Tokyo to USA, and also to look into its financial implications?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): The report rendered by the firm of consultants has been examined by Air-India, who are of the view that operations across the Pacific would not be economic at this moment for a variety of reasons.

माओवादियों का विद्रोह

1759. **श्री ओंकार सिंह :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री राम सिंह अयरवाल : **श्री शारदानन्द :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान माओवादियों के विद्रोह के लिये चीनी दूतावास द्वारा दी गई सहायता के बारे में 22 मार्च, 1969 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि उनको इस सम्पर्क का तथा षडयंत्र का पता पिछले नवम्बर, 1968 में माओवादियों द्वारा पुलिस स्टेशनों पर किये गये आक्रमणों की जांच के दौरान लगा था ;

(ग) सरकार द्वारा पकड़े गये तथा चीनी दूतावास के अधिकारियों द्वारा कुछ अपराधियों को लिखे गये पत्रों का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त समाचार के सम्बन्ध में आगे और जांच करवाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस जांच कार्यवाही के क्या परिणाम निकले तथा चीनी दूतावास की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने अखबार में प्रकाशित समाचार देखे हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर, 1968 के पुलपल्ली पुलिस बाह्य चौकी तथा तेल्लीचेरी पुलिस स्टेशन पर उग्रवादियों द्वारा किये गये आक्रमणों के सम्बन्ध में कोजीकोडे के जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) के न्यायालय में 149 व्यक्तियों के विरुद्ध 19 मार्च, 1969 को एक आरोप पत्र दायर किया गया था। यह मामला न्यायाधीन है। जांच-पड़ताल के दौरान कुछ अभियुक्त व्यक्तियों से कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे और इन दस्तावेजों

से पता लगा कि नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास मलयालम भाषा में माओवादी साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में उनसे पत्राचार कर रहा था।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) चीनी दूतावास को अपने सभी कर्मचारियों को हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए सावधान कर देने की कड़ी चेतावनी दी गई है।

Hindi as Medium of Instruction for Teaching Science, Mathematics in Delhi Schools

1760. **Shri J. Sunder Lal :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to adopt Hindi as the medium of instruction for teaching Science, Mathematics etc. in the schools of Delhi from the next session ;

(b) if so, whether the students studying in schools where Hindi is the medium of instruction would be denied admission in those educational institutions where the medium of instruction is English ;

(c) if so, whether Government would consider the advisability of adopting Hindi as the medium of instruction and as the medium for holding examinations for admission in the Indian Institute of Technology and in Medical colleges, keeping in view the difficulties of the students of the Hindi speaking areas ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir, with provision to give relaxation to the schools, wherever there are special difficulties in implementing the decision.

(b) No such difficulty is expected to arise.

(c) and (d). The question of conducting common entrance examination for admission to Indian Institutes of Technology in Hindi and other regional languages is under consideration.

So far as the medium of instruction in Medical Colleges is concerned, it has been ascertained from the concerned authorities that the Indian Medical Council has passed a resolution stating that for medical education English should continue to be the medium of instruction in all the Medical Colleges.

Dues of Delhi Municipal Corporation

1761. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Balraj Madhok :**
Shri J. Sunder Lal : **Shri P. M. Sayeed :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri V. Narasimha Rao :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 335 on the 7th March, 1969 and state :

(a) the action since taken by the various Ministries of the Government of India in

regard to the claim of outstanding dues preferred by the Delhi Municipal Corporation against those Ministries ;

(b) the amount decided to be paid to the Corporation out of the amount referred to in the aforesaid claim ;

(c) whether it is a fact that considerable delay is being caused in settling this issue ; and

(d) if so, the steps being taken for the expeditious disposal of these claims ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government cleared the claim of the Delhi Municipal Corporation in respect of arrears of Motor Vehicles Tax during the last financial year, viz. 1968-69. The orders of the Government authorising payment to the Corporation in respect of arrears of educational grant is expected to be issued shortly. The claim of Rs. 21.72 lakhs relating to the arrears of Entertainment Tax is also receiving attention and is likely to be cleared during the current financial year. Some of the claims of the Corporation in respect of property tax/ service charges have been settled by the various Ministries of the Government. The disputed claims and the claims where details are lacking are being looked into by the various Ministries of the Government in consultation with the Corporation.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Foreign Tourists visiting India

1762. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of foreign tourists who visited India during the last three years ;

(b) the amount of foreign exchange earned through tourist trade during that period ; and

(c) the steps being taken by Government to attract more tourists and to augment foreign exchange earnings from the tourist trade in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The figures are as follows :

Year	No. of Tourist arrivals	Foreign exchange earned (Rs. in crores)
1966	1,59,603	22.61
1967	1,79,565	25.23
1968	1,88,820	26.54

(c) Government have drawn up a comprehensive programme for the development of the tourist plant and infra-structure. This includes improvement of existing facilities, creating more facilities in accommodation and transport, setting up holiday resorts, liberalisation of charter and visa regulations and improved and more comprehensive publicity abroad.

Origin of Aryans

1763. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a controversy among the world histo-

rians as to whether the Aryans were the exotic people or the original inhabitants of India;

(b) if so, whether Government propose to conduct a research in this matter;

(c) whether Government propose to issue instructions to the schools and colleges to present both the view-points before the students till the correct position is established; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) Yes, Sir. Government is aware of the controversy among historians regarding the origin of Aryans.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Prescribing and publication of text-books (including books on History) in schools and colleges is the responsibility of State Governments and Universities; and the question of issuing "instructions" does not arise so long as they do not contain matter detrimental to national integrity or security or incitements to violations of law and order or serious detriments to the public interest.

Reforming Education and Examination System

1764. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether in the light of the past 21 years of experience, Government feel the necessity of reforming the present education and the examination system;

(b) if so, the nature of the reforms; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). Yes, Sir. The learning process has to be made, not merely less-time consuming but also more interesting and exciting, both to the student and to the teacher. This will need reorientation of curricula, teaching methods and evaluation systems. Apart from the acquisition of necessary knowledge and essential skills, the curricula will have to emphasise training in citizenship in the context of the current Indian situation, i.e., in democracy, national integration, secularism and social awareness. The Methods of teaching should be such as to awaken curiosity and promote the love of learning, habits of self-study, capacity to think and judge for oneself and problem-solving ability. The methods of examination will have to be reformed accordingly by reducing the dominance of external examinations, introduction of a good system of internal evaluation and adoption of more scientific methods of marking answer scripts.

Centennial Celebrations of National Poets on Lines of Ghalib Centenary Celebrations

1765. **Shri J. Sunder Lal:** **Shri Narain Swarup Sharma:**
Shri Om Prakash Tyagi: **Shri P. M. Sayeed:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi: **Shri Kanwar Lal Gupta:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure incurred by Government on the Ghalib Centenary Celebrations;

(b) whether Government propose to extend their cooperation in organising functions in commemoration of other great poets such as Kalidas, Tulsi, Kabir, Rahim etc. likewise ;

(c) if so, whether Government have prepared a list of such ancient national poets ; and

(d) the names of the poets included in that list ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A total amount of Rs. 20.00 lakhs was agreed to by the Government of India as grants-in-aid to the All India Ghalib Centenary Committee out of which Rs. 15.00 lakhs was released in the year 1968-69 and the balance of Rs. 5 lakhs will be released during the current financial year.

(b) Each such proposal will be considered on its merits.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Problem of Mizo Hostiles

1766. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Himatsingka :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken during the last three years to tackle the problem of the Mizo hostiles ;

(b) the movement of the Mizo hostiles noticed these days, the number of Mizos returning from China and Pakistan with arms, who surrendered themselves during this period, the types of the weapons surrendered by them to the Government, the number of such Mizos who have not so far surrendered themselves and the steps being taken in this regard ; and

(c) the scheme finalised to restore normalcy in the Mizo Hill Districts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Security Forces had undertaken vigorous operations against hostiles since the outbreak of hostilities in Mizo Hills District of Assam and there has not been recently any major encounter in the district. Till the 15th June 1969, 3732 Mizo hostiles have surrendered to the Security Forces, and 3070 weapons have so far been recovered from the hostiles. The introduction of the grouping scheme and its subsequent extension has isolated the hostiles and it is suspected that some of them have taken refuge in East Pakistan. Efforts are also being made to intensify development activities in the district and strengthen civil administration.

फरीदाबाद (हरियाणा) में इन्जीनियरिंग इन्स्टीच्यूट

1767. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में फरीदाबाद में एक इन्जीनियरिंग इन्स्टीच्यूट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ; यदि हां, तो किससे और किन शर्तों पर ; और

(घ) इस इन्स्टीच्यूट पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होगा अथवा हरियाणा सरकार का ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । हरियाणा की राज्य आयोजना के अन्तर्गत संस्थान की स्थापना की जा रही है ।

(ख) प्रायोजना की कुल लागत अनावर्ती खर्च के लिए 132.03 लाख रुपये और आवर्ती खर्च के लिए 8.02 लाख रुपये वार्षिक है ।

(ग) इस प्रायोजना में भारत की वाई० एम० सी० ए० की राष्ट्रीय परिषद् हरियाणा सरकार से सहयोग कर रही है, जिसे पश्चिम जर्मनी अपनी सह संस्था से जर्मनी मुद्रा में 47.50 लाख रुपये के बराबर की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। इस राशि में से 35.20 लाख रुपये का उपयोग पश्चिम जर्मनी से वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर आयात करने के लिये तथा शेष का संस्थान के लिए जर्मन विशेषज्ञों की सेवाओं के खर्च के लिये तथा साथ ही भारतीय शिक्षकों को पश्चिम जर्मनी में प्रशिक्षित करने के लिये किया जाएगा ।

(घ) संस्थान की स्थापना राज्य आयोजना के अन्तर्गत की जा रही है किन्तु यह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान के प्रबन्धक मंडल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं । संस्थान स्थापित करने के लिये भारत सरकार राज्य सरकार को सहायता दे रही है ।

हवाई अड्डों का विकास

1768. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य ब्योरे सहित उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि में उन पर कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में स्थित चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए चौथी योजना में 55.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहां किये जाने वाले निर्माण-कार्यों में धावनपथों का सुधार, एप्रन और टैक्सी ट्रैक, नयी टर्मीनल कौम्प्लेक्सों का निर्माण, तथा संचार

एवं मार्ग निर्देशन सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित है। अन्य हवाई अड्डों पर धावनपथों तथा टर्मीनल सुविधाओं के सुधार के लिये अपेक्षित निर्माण-कार्यों के लिये योजना में 2.07 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये

1769. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये प्रायः आते रहे हैं ;

(ख) क्या मई और जून, 1969 में कुछ घुसपैठिये गिरफ्तार भी किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी, कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक, अधिकतर तस्करी के प्रयोजन से, राज्य में घुसे थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार मई और जून, 1969 में छः व्यक्ति पकड़े गये जिनमें से चार के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं और दो के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की जा रही है।

बेरोजगार प्राइमरी अध्यापक

1770. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 मई, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इन समाचारों को देखा है कि देश के विभिन्न राज्यों में बेरोजगार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्राथमिक स्कूलों के बेरोजगार अध्यापकों को अन्य कोई काम देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) 1959 और 1963 के मध्य प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधा में जो प्रत्याशित वार्षिक अतिरिक्त शिक्षकों के आधार पर वृद्धि हुई, तथा वह स्वतः ही 1980-81

तक प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में संवैधानिक निदेशों को पूरा करने के लक्ष्य पर आधारित है। (ये प्रत्याशित गलत सिद्ध हुये)।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षण के लिये उपलब्ध फण्ड में गम्भीर कटौती की गई जो 330 करोड़ रु० प्रत्याशित से 200 करोड़ रुपये मात्र है। दूसरी ओर शिक्षकों के वार्षिक वेतन में 1965-66 में लगभग 1,100 रुपये और 1968-69 में लगभग 2,100 रुपये की वृद्धि हुई है। परिणामतः अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या जिन्हें प्रतिवर्ष चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नियुक्त किया जा सकता था 30,000 की कटौती 10,000 प्रत्याशित रोजगार जो इस समय शिक्षण संस्थानों की वार्षिक उत्पत्ति है, के विपरीत हुई। परिणामतः कुछ राज्यों में प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकों के मध्य तीव्र बेरोजगारी है।

राज्य सरकारों ने इस स्थिति का निम्नलिखित साधनों से सामना करने की कोशिश की है :

(i) कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में भीषण कटौती की गई है, जिससे कि प्रशिक्षित शिक्षकों के उत्पादन में कमी हो गई है ;

(ii) कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष बढ़ा दी गई है—बहुत समय पूर्व का वांछित सुधार—जिससे कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का उत्पादन आधा रह गया है ; और

(iii) कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, का एक प्रशिक्षण संस्थानों को ऐसे संस्थानों के रूप में बदल दिया गया है जो कि प्राथमिक शिक्षकों को लघु कार्य-काल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

(ग) उपरोक्त तथा विभिन्न मिलान दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाया गया है। किसी भी राज्य सरकार के समक्ष बेरोजगार प्राथमिक अध्यापकों को अन्य विकल्प रोजगार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है और यह सरलता से सम्भव भी नहीं। फिर भी भारत सरकार, राज्य सरकारों से अनुनय कर रही है कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक धन निर्धारण करें जिससे बेरोजगारी कम हो सके और प्राथमिक शिक्षण के विस्तार में तीव्रता लाई जा सके, साधनों का अतिक्रमण प्रमुख कठिनाई है।

हिमाचल प्रदेश में योजना पर किया गया व्यय

1771. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967, 1968 में हिमाचल प्रदेश में योजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई और वर्ष 1969 में कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इसमें से कितनी राशि दी और राज्य सरकार ने अपने राजस्व से कितनी राशि खर्च की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकारी लेखा वित्तीय वर्षवार रखा जाता है और सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (रुपये लाखों में)
1966-67 (वास्तविक)	946.05
1967-68 (वास्तविक)	1451.20
1968-69 (असमादित वास्तविक)	1531.77
1969-70 (लागत)	1550.00

(ख) हिमाचल प्रदेश में समस्त शुद्ध योजना व्यय (राजस्व और पूंजीगत दोनों) संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता-अनुदान (शुद्ध संचालन व्यय के लिये) और ऋण (शुद्ध पूंजीगत व्यय के लिए) देकर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र के समस्त आंतरिक राजस्व को योजनेतर राजस्व बजट की कमी को पूरा करने के लिये समायोजित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान द्वारा भी पूरा किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश का व्यय तथा राजस्व आय

1772. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में अब तक हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में प्रशासनिक व्यय कितना हुआ तथा राजस्व से कितनी आय हुई ; और

(ख) इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दी तथा हिमाचल प्रदेश ने अपने राजस्व संसाधनों से कितना धन जुटाया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकारी लेखे-जोखे वित्तीय वर्षवार आधार पर रखे जाते हैं और हिमाचल प्रदेश का संस्थापन व्यय अर्थात् उनका शुद्ध अनियोजित राजस्व आय इस प्रकार है :

वर्ष	संस्थापन व्यय	आन्तरिक राजस्व
1967-68 (वास्तविक)	2893.77	1424.15
1968-69 (स० प्रा०)	3258.25	1549.03
1969-70 (ब० प्रा०)	3526.59	1834.34

(ख) हिमाचल प्रदेश के अनियोजित राजस्व व्यय और आन्तरिक राजस्व का अन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योगदान

में दी गई रकम और हिमाचल प्रदेश द्वारा जुटाई रकम इस प्रकार है :

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा योगदान में दी गई रकम	हिमाचल प्रदेश का आन्तरिक राजस्व
1967-68 (वास्तविक)	1469.62	1424.15
1968-69 (स० प्रा०)	1709.22	1549.03
1969-70 (ब० प्रा०)	1692.25	1834.34

हिमाचल प्रदेश में विकास योजनाओं के अतिरिक्त व्यय

1773. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में 1966, 1967 तथा 1968 में विकास योजनाओं के अतिरिक्त कितना व्यय किया गया था और 1969 में कितना व्यय किया जायेगा ; और

(ख) इसमें से कितनी राशि केन्द्रीय सरकार ने दी थी और कितनी राशि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अपने संसाधनों से जुटाई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के योजनागत तथा योजनेतर दोनों सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें शुद्ध राजस्व व्यय के लिए सहायता अनुदान और शुद्ध पूंजीगत व्यय के लिये ऋण देकर पूरे किये जाते हैं। तथापि, क्षेत्र का आन्तरिक राजस्व उसके योजनेतर राजस्व बजट में कमी पूरा करने में समायोजित किया जाता है। सरकारी लेखे वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं। सम्बन्धित वर्षों के दौरान का विकास योजनाओं के अतिरिक्त व्यय, जैसा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बतलाया गया है, इस प्रकार है :

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	मूल
1966-67 (वास्तविक)	482.35	100.26	582.61
1967-68 (वास्तविक)	753.87	744.37	1498.24
1968-69 (बिना समाधान किये गये वास्तविक)	829.85	21.72	851.57
1969-70 (बजट प्राक्कलन)	834.82	100.25	935.07

Representation to Parties on Committees Appointed by Government

1774. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Onkar Singh : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up many Committees on which some parties have not been given any representation at all, while some other parties have been given considerably large representation ;

(b) whether Government propose to take steps to ensure that every party gets representation on the Committees appointed by Government in proportion to its strength in Parliament;

(c) whether Government propose to appoint the members of those parties to the Committees set up by Government, which have not been given any representation so far ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) to (d). It is presumed that the Member is referring to the recently formed Consultative Committees for the various Ministries. There is representation for all Parties in these Committees on the basis of their strength in Parliament.

लड़कियों के लिये गृह विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करना

1775. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने छोटी कक्षाओं से ही गृह-विज्ञान का कोई पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में किये गये उपायों की जांच की है जिससे इस विषय के सम्बन्ध में लड़कियों की रुचि में वृद्धि हो ;

(ख) क्या खेलों द्वारा अध्ययन, विशेषरूप से बालिकाओं के लिये नृत्य तथा संगीत तथा बालकों के लिये खेलकूद, के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा शिक्षा के विभिन्न माध्यमों की दक्षता तथा अध्ययन के सतत पाठ्यक्रमों में उनके आकर्षण की जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कृषक शिक्षा तथा व्यावसायिक साक्षरता के कार्यक्रम का, यदि कोई मूल्यांकन किया गया है, तो क्या ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् इन विषयों के अध्ययनों का अनुसंधान हाथ में लेने की वांछनीयता तथा सम्भाव्यता पर विचार कर रही है। अब तक इन क्षेत्रों में उनके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

(घ) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मूल्यांकन-समिति स्थापित की थी और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है।

Committee on Defections

1776. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri B. K. Das Chowdhury :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri K. Lakappa :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri A. Sreedharan :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri R. K. Birla :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the report of Committee on Defections has been considered by Government ;

(b) if so, the details thereof, the steps taken thereon and the results thereof ;

(c) if not, the causes of inordinate delay in the matter ;

(d) whether Government have called a meeting of the All India political parties to consider the recommendations of the Committee ; and

(e) if so, the response of political parties thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The report of the Committee on Defections has already been placed on the Table of the House. As the Committee was appointed in pursuance of the resolution passed by the Lok Sabha, Government would seek the views of Parliament on the report. Preliminary action is, however, being taken to draft legislation in accordance with the recommendations of the Committee on Defections.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Employment Oriented Education System

1777. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Bhagaban Das :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shrimati Susheela Gopalan :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri C. K. Chakrapani :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Satya Narain Singh :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Suraj Bhan : **Shri D. C. Sharma :**
Shri N. K. Sanghi : **Dr. Karni Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the Conference of student leaders called by his Ministry and the University Grants Commission in Delhi, it has been suggested that the educational system should be employment-oriented and more stress should be laid on the professional and technical subjects at the graduation level ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the details of action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. The relevant recommendation of the Conference is as under :

"Education system should be job-oriented and linked with employment needs. Greater emphasis should be placed on the introduction of vocational subjects in the degree course, such as Secretarial Practice, Stenography, Management, etc."

(b) The proceedings of the Conference have been circulated by the University Grants Commission to the Universities and the State Governments for eliciting their views. It may be added that the Delhi University has already introduced, with effect from the current academic year, B. Com. (Pass) course which is a job-oriented course.

Installation of Statues in Delhi/New Delhi

1778. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri R. K. Birla :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the parties which have made proposal for the installation of the statues of great men in Delhi and New Delhi together with the names of such great men; and

(b) the details of the proposals accepted and rejected together with the reasons for their acceptance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) and (b). While suggestions have been received from time to time regarding the installation of statues of various national leaders, there have been definite proposals backed by offer of finances to instal the statues of the leaders mentioned below :

Name of leader	**Name of the organisation or person who sponsored the proposal**
(1) Lala Lajpat Rai	Lala Lajpat Rai Centenary Celebrations Committee.
(2) Swami Vivekanand	Swami Vivekananda Centenary Celebrations Committee.
(3) Pandit Madan Mohan Malviya	Shri N. H. Bhagwati, Vice Chancellor, Banaras University.
(4) Swami Shradhanand	Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha
(5) Poet Thiruvalluvar	Valluvar Kalai Manram.

The proposals are under consideration.

Thefts of Statues, Paintings, Coins etc.

1779. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the details of the Important annual thefts of statues, paintings, coins etc. of historic importance which took place during the last three years and the total annual value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1480/69]**

Assault on an Israeli Educationist in Muslim University, Aligarh

1780. **Shri Jagannath Rao Joshi:** **Shri Suraj Bhan:**
Shri Ram Gopal Shalwale: **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Ranjeet Singh: **Shri Balraj Madhok:**
Shri Atal Bihari Vajpayee: **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Brij Bhushan Lal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Abdul Karim, an education expert of Israel in the Aligarh Muslim University was insulted and stabbed a few months ago;

(b) if so, the names of the persons found guilty, the action taken against them; and

(c) whether any foreign element was behind this incident?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Attention is invited to the answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 4696, dated 28th March, 1969.

(b) Two persons, namely Sarvashri A. H. Goharey and Khalid Dawood are facing trial in a court of law.

(c) According to information furnished by the State Government no foreign element is reported to be behind this incident.

Installation of Idol in Jalkandeswar Temple

1781. **Shri Jagannath Rao Joshi:** **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Ram Gopal Shalwale: **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Ranjeet Singh: **Shri Suraj Bhan:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4575 on the 28th March, 1969 and state:

(a) whether the Government of Tamil Nadu have considered a proposal that in the historic fort of Vellore, where a mosque and a church are situated on the one side, Hindus may also be allowed to place an idol in the old Jalkandeswar temple;

(b) if so, the measures adopted in this regard and the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh): (a) and (b). A proposal was received from the Government of Tamil Nadu for reviving religious practices in the Jalkandeswar Temple in the Vellore Fort. This proposal is under examination.

Recommendations made by Rural Roads Committee

1782. **Shri Ranjeet Singh** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Rural Roads Committee ;

(b) the action taken so far in the Union Territories in this connection ; and

(c) the progress made so far in this direction in various States and that expected to be made during the next year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : A statement giving the main recommendations of the Rural Roads Committee is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1481/69]**

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Codification of Privileges of Legislators

1783. **Shri Ranjeet Singh :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Jyotirmoy Basu :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Dr. Ranen Sen :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Samar Guha :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the views expressed in a Seminar of Legislators held recently at Ootacamund that privileges etc. of Legislators should be codified ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b). The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies which organised the Seminar has been requested to furnish the proceedings, when ready.

A. R. C. Recommendations regarding Delhi

1784. **Shri Ranjeet Singh** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri D. N. Patodia :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the Administrative Reforms Commission pertaining to Delhi have been considered .

(b) if so, the measures taken in this regard and the results thereof;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether Government would consult the political parties and the Members of Parliament representing Delhi before taking any final decision in the matter; and

(e) the details of reactions, if any, conveyed to Government in this regard and the names of persons who have conveyed their reactions?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). The recommendations of the A. R. C. are being examined in consultation with Delhi Administration. That Administration have informed us that the Metropolitan Council of Delhi has set up a Committee to examine the recommendations and the report of the Committee is awaited. Government propose to consult leaders of public opinion, Members of Parliament representing Delhi at the appropriate stage.

(e) The following persons have conveyed orally or in writing their reactions to the Government about the recommendations of the A. R. C.

(1) Shri Kanwar Lal Gupta, M.P.

(2) Shri Atal Bihari Vajpayee, M.P.

(3) Shri Jagannath Rao Joshi, M.P.

(4) Shri Vijay Kumar Malhotra, Chief Executive Councillor; and

(5) Shri Jag Parvesh Chander.

These persons have more or less expressed the view that Delhi suffers from multiplicity of authorities and that there is a need for a better structure.

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देना

1785. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के बारे में नवीनतम घटनाओं को देखते हुए उसके सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग तथा मुरारका अध्ययन दल के प्रतिवेदन पुराने हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य मंत्री को सूचित किया गया था कि इस तथ्य से, कि केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय व्यवहार्यता के प्रश्न पर अलग से विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गई है, हिमाचल प्रदेश समेत संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए ।

दिल्ली में पकड़े गये पुलिस सिपाही (कान्स्टेबल्स)

1786. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मई, 1969 को कोतवाली (दिल्ली) पुलिस ने पुलिस के दो सिपाहियों

को गांधी नगर के लखपत राय नामक सोना-चांदी के एक दलाल को ठगने के आरोप में हिरासत में लिया था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) कांस्टेबलों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/170/506/34 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और उसकी जांच-पड़ताल की गई थी । उनके विरुद्ध मामला अब न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ।

लद्दाख का संसदीय प्रतिनिधिमंडल

1787. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री सूरज भान :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृजभूषण लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने इस सुझाव का समर्थन नहीं किया है कि लद्दाख की स्थिति का अध्ययन करने के लिये वहां एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). इस विषय में अभी तक राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

डरडेनलीज में भारतीय तथा रूसी मालवाहक जहाज में टक्कर

1788. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री विश्वनाथ पांडे :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमध्यसागर को जाते हुए गलीबोलु नगर के निकट डरडेनलीज में रूसी तथा भारतीय मालवाहक जहाजों में टक्कर हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मालवाहक जहाज को कितनी हानि हुई ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । इंडिया स्टीम शिप कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का एस० एस० 'इण्डियन ड्रेजर' रूसी जहाज 'सेवरनी डीमेटस' से गालीबोलू से दूर डार्डनलीज पर 19 अप्रैल, 1969 को अर्धरात्रि के लगभग उस समय टकराया जब वहां जहाज चालक के रक्षण में था ।

(ख) दोनों जहाजों को काफी क्षति पहुंची। इण्डियन ट्रेडर की इस्तांबुल में स्थायी मरम्मत की गई और वह 18 जून, 1969 को सुरक्षित कलकत्ता पहुंचा। जहाज की अब स्थायी मरम्मत की जा रही है अर्थात स्टीम और वो प्लेटिंग का पुनर्नवीनीकरण / मरम्मत की अनुमानित लागत 1,00,000 रुपये हैं। किसी की मृत्यु नहीं हुई।

पंजाब सरकार द्वारा बेरोजगार इन्जीनियरों को भत्ता

1789. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री ज्ञा० सुन्दर लाल :
श्री प० मु० सईद :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री एम० एस० ओबराय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य में बेरोजगार इन्जीनियरों को प्रति मास 250 रुपये देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी ऐसा निर्णय लिया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार सभी बेरोजगार इन्जीनियरों को कुछ राशि देने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि पंजाब सरकार स्थानीय उद्योग द्वारा इन्जीनियरी अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के नियोजन को आर्थिक सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की बैठक

1790. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस बैठक में बोर्ड ने यह सुझाव दिया था कि

नौवहन उद्योग की कार्य करने की हालातों के बारे में जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समुद्र आयोग स्थापित किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). जी हां। सरकार मामले की जांच कर रही है।

लोक-सभा के लिये उप-चुनाव में विदेशी धन का प्रयोग

1791. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि बंसकांथा तथा मिदनापुर से लोक-सभा के लिये हाल में हुए उप-चुनावों में विदेशी धन खर्च किया गया था और उनमें विदेशियों का हाथ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार जांच करेगी ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएं

1792. **श्री गु० चं० नायक :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री दे० अमात :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री जनार्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिये माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग ने इस बीच कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अभी तक इस वर्ष में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की भर्ती के लिये सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को दो अनिवार्य विषय अर्थात निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान के अपने उत्तर अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा में लिखने का विकल्प देने का निश्चय किया गया है।

विमानों में भोजन देने के लिये शान्ताक्रूज, (बम्बई) में हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया द्वारा पाकशाला की स्थापना

1793. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के विमानों में भोजन देने के लिये शान्ताक्रूज में अपनी पाकशाला की स्थापना का निर्णय किया है ताकि किस्म पर नियन्त्रण हो सके और उड़ान के समय अतिरिक्त भोजन सप्लाई किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) स्कीम के अनुसार एक आधुनिकतम स्व-पर्याप्त फ्लाइट-किचन की स्थापना की जायेगी जो एयर इण्डिया की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं तथा इण्डियन एयरलाइन्स की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा । यह सम्भवतया बम्बई से होकर परिचालन करने वाले कई विदेशी वाहकों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकेगा ।

(ग) फ्लाइट किचन तथा उसकी सहायक सेवाएं शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर किन्हीं मौजूदा बिल्डिगों में स्थापित की जायेगी । इस स्कीम पर 31.50 लाख रुपये का अनुमानित अतिरिक्त पूंजी-व्यय होगा । आशा है फ्लाइट किचन आर्थिक दृष्टि से एक स्वनिर्भर यूनिट सिद्ध होगा ।

Reinstatement of Striking Central Government Employees

1794. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri D. N. Patodia :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Vasudevan Nair
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Suraj Bhan :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inspite of the announcement of lenient treatment for the Government employees who took part in the strikes in September, 1968 a good number of Central Government employees still stand dismissed and suspended;

(b) if so, the break-up of the number of such employees ;

(c) the reasons for not reinstating them on their original posts ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in their case ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). On the basis of the information available so far, there have been 33 cases of dismissals of employees on account of their participation in the strike of September, 1968. The number of employees suspended but who have not so far been reinstated in service on the basis of data available, is 1173.

(c) and (d). The policy of the Government in regard to the reinstatement of employees has been indicated in the statements made in the Sabha by the Minister in the Ministry of Home Affairs on 13th March, 1969 and 30th April, 1969. According to this policy, except in cases in which there is a complaint of violence, intimidation or active instigation, the employees will be reinstated in service. Employees not fulfilling these conditions are not eligible for reinstatement in service.

कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों की संख्या में कमी

1795. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों की संख्या काफी कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों की संख्या में गिरावट आई है । यह पत्तन पर यातायात में कमी होने के कारण से है । अर्थ व्यवस्था में धीमी गति के कारण व्यापार में मंदी खाद्यान्न और परियोजना सामग्री के आयात में गिरावट और कोयले और खनिज लोहे के निर्यात में कमी अंशदायी कारण है ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिकों का उद्योगों में भेजा जाना

1796. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री अदिचन :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिकों को उद्योगों में भेजने का विचार कर रही है ताकि वे उद्योगों की समस्याओं को जान सकें ;

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जिस समय विज्ञान के बदले उत्पादनशील विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाई करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों तथा उद्योगों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखने के लिये, 50 अथवा 60 महत्व पूर्ण उद्योगों को मालूम करके प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को इनमें से एक अथवा एक से अधिक उद्योगों के साथ सम्बद्ध करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आयोजना आयोग के उद्योग सदस्य की अध्यक्षता में, एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में रसायन उद्योग ; औजार उद्योग ; इन्जीनियरी उद्योग ; महानिदेशक, तकनीकी विकास, आयोजना आयोग और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बर संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को अपने अपने कार्यक्रम तैयार करने में मार्गदर्शन।

(ii) महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाना।

(iii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों का सार्वजनिक और निजी उद्योगों के कार्यकलापों में तालमेल रखना।

दिल्ली के स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनक्रम

1797. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनक्रम में दो वर्ष पूर्व परिवर्तन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यद्यपि दो वर्षों से अधिक हो गए हैं तथापि उन्हें परिवर्तित वेतनक्रम नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में नये प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्तियां परिवर्तित वेतनक्रम में की जा रही हैं ;

(घ) यदि, हां तो दिल्ली में पहले से प्रयोगशाला सहायकों के रूप में कार्य करने वालों को परिवर्तित वेतनक्रम न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) ऐसे असाधारण विलम्ब के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) वेतन की बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान (जिनमें प्रयोगशालाओं के वे सहायक भी शामिल हैं जो विज्ञान

के साथ मैट्रिक हैं) 16 जनवरी, 1968 को संशोधित किये गये थे। यह संशोधन 21-12-67 से लागू किया गया था।

(ख) जी नहीं। उन प्रयोगशालाओं के सहायकों को, जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा जिन्होंने नये वेतनमानों को स्वीकार कर लिया है, उन्हें वही वेतनक्रम मंजूर कर दिये गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) संशोधित वेतनमान उन प्रयोगशाला सहायकों को ग्राह्य हैं, जो विज्ञान के साथ मैट्रिक हैं। ऐसे प्रयोगशाला-सहायकों को, जो बिना साइंस के मैट्रिक हैं अथवा जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया है उनकी ग्राह्यता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें बकाया का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि वास्तव में केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार (ए० जी० सी० आर०), नई दिल्ली को उनके वेतन ठीक नियत करने की जांच करनी है। जैसे ही ए० जी० सी० आर० की स्वीकृति मिल जायेगी, तो बकाया वेतन का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।

गोरखपुर के सैनिक हवाई अड्डे से विमान चलाने का प्रस्ताव

1798. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर के सैनिक हवाई अड्डे से असैनिक जहाजों की उड़ान का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार असैनिक हवाई जहाजों की उड़ान के लिए एक पृथक् हवाई पट्टी बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). फिलहाल गोरखपुर को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की कोई योजनायें इण्डियन एयरलाइन्स के विचाराधीन नहीं हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान खरीदने का निर्णय स्थगित करना

1799. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के लिये पांच नये विमान

खरीदने का अपना निर्णय स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या विमानों की सप्लाई के लिये अमरीका से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या रूस से भी ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है ; यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा किस प्रकार के विमान विक्रय के लिए पेश किये गये हैं, उनकी गति कितनी है तथा यात्रियों और भार की क्षमता कितनी है ;

(घ) उक्त दोनों देशों द्वारा क्या शर्तें पेश की गई हैं ; और

(ङ) सरकार किस देश से विमान खरीदने पर विचार कर रही है ; और यह विमान कब तक खरीदे जाने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ). इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा नये विमानों को खरीदने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है, और निर्णय शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है ।

अधिकारियों को अपने पद की शपथ पर दृढ़ रहने के आदेश जारी करना

1800. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि सचिव द्वारा सम्बन्धित मंत्री को दी गई सलाह पर हाल में उत्पन्न हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए क्या उनके मंत्रालय ने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भय अथवा पक्षपात से दूर रह कर अपना कार्य करते रहने के लिये अपने पद की शपथ पर दृढ़ रहने के बारे में कोई उपयुक्त हिदायतें जारी की हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो असैनिक कर्मचारियों को इस परेशानी से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ii) के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो इस प्रकार है :—

"कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्य के निष्पादन में अथवा उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अलावा कार्य नहीं करेगा सिवाय इसके कि जब वह अपने उच्च अधिकारी के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो और ऐसे निर्देश के अधीन कार्य करते समय, जब कभी व्यवहार्य हो, ऐसे निर्देश लिखित रूप में प्राप्त करेगा, और यदि लिखित निर्देश प्राप्त करना व्यवहार्य न हो तो उसके बाद जितनी जल्दी सम्भव हो उतनी जल्दी निदश की लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा ।"

स्पष्टीकरण—उपनियम (2) के खण्ड (ii) में कही गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी अथवा प्राधिकारी से अनुदेश अथवा उसकी स्वीकृति मांग कर, जबकि शक्तियों व उत्तरदायित्यों के वितरण की योजना के अधीन ऐसे अनुदेश आवश्यक न हों, अपने उत्तरदायित्व से बच निकलने की शक्ति मिल गई है ।

Central Civil Service (Conduct) Rules

1801. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay a copy of the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 laying down code of conduct for Government Servants on the Table ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) A copy of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 was laid on the Table of the House on 31st May, 1967 in reply to Unstarred Question No. 961.

(b) and (c). Do not arise.

Implementation of Official Languages Act

1802. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 657 on the 21st March, 1969 and state :

(a) whether the views of the State Governments in respect of implementation of Section 7 of the Official Languages Act have been received by the Central Government ;

(b) if so, the details thereof, State-wise ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1482/69]**

(c) This is an important matter and various implications of the proposal are being examined by the State Governments in consultation with the respective High Courts.

ईस्ट कोस्ट रोड बनाने के बारे में अभ्यावेदन

1803. **श्री सेझियान :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु की सरकार तथा संसदसदस्यों की ओर से ईस्ट कोस्ट रोड को शीघ्र बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या प्रारम्भिक जांच-पड़ताल कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) इस परियोजना को कब तक आरम्भ करने की सरकार को आशा है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। ये अभ्यावेदन ईस्ट कोस्ट सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने के लिए थे। उनके अनुरोध की जांच की गई है परन्तु उसे स्वीकार करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। यह पहले से ही विद्यमान राज्य सड़क है और वहां महावलीपुरम् और माकानम के बीच गायब कड़ी के सिवाय सारी दूरी में सड़क मौजूद है। इस गायब कड़ी का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत लागत की पूर्ति के लिये मंजूर 16 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से हो रहा है।

चंडीगढ़ में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चोरी

1804. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मई, 1969 को स्पेशल जज, चण्डीगढ़ के न्यायालय में कुछ दस्तावेजों वाला मुहरबन्द बक्स चोरी हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार किया है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो व्यक्तियों ने जिन पर चोरी में साथ देने के आरोप थे, अदालत में आत्मसमर्पण किया। सूचित चोरी के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामले की तहकीकात की जा रही है।

इम्फाल कालेज में डाका

1805. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1969 में इम्फाल कालेज में कोई डाका डाला गया था जिसमें कालेज के प्रिंसिपल से 10,000 रुपये लूट लिये गये थे ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा अपराधियों को दण्ड दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि 15-5-1969 को जब इम्फाल कालेज का खजांची कालेज के अहाते के भीतर कालेज के कार्यालय में प्रवेश कर रहा था तो उससे 10,000 रु० लूट लिये गये।

इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा भारतीय दण्डसंहिता की धारा 392/397 तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल के दौरान अब तक 18 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का सम्मेलन

1806. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की हाल में हुई बैठक में विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि से उत्पन्न समाचारों के बारे में विचार-बिमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सम्मेलन ने "जनशक्ति की आवश्यकता के अनुपात में दाखिला" पर विचार-विमर्श किया था और सिफारिश की थी :

(i) व्यावसायिक विषयों में विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों का विविधीकरण किया जाना चाहिये तथा डिग्री स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ;

(ii) विश्वविद्यालय डिग्री के स्थान पर, अर्हताओं के विभिन्न अवस्थाओं तथा स्तरों पर व्यक्तियों की नियुक्तियां की जानी चाहिए और चुनाव के बाद, व्यवसाय के दौरान ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ; और

(iii) मध्यम दर्जे के तकनीशियन तैयार करने के लिए, रोजगार उन्मुख अल्प-कालिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों के स्तर का मूल्यांकन

1807. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के स्तर का मोटे तौर से सर्वेक्षण तथा मूल्याकंन करने के लिये वर्ष 1969 में गणित तथा सांख्यिकी शास्त्र के लिये एक पुनरावलोकन समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उस समिति ने स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये आदर्श पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश की थी तथा उनके बारे में हर पांच वर्ष के पश्चात् पुनरावलोकन तथा संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ग) क्या इस समिति ने पंजाब, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता तथा इलाहाबाद

विश्वविद्यालयों में गणित विषय के अनुसंधान केन्द्र खोलने की सिफारिश की थी तथा कुछ अन्य सिफारिशें की थीं ;

(घ) क्या सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा उन्हें कहां-कहां क्रियान्वित किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई सिफारिशों से विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया है कि, जहां तक सम्भव हो वे उन्हें कार्यान्वित करें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में गणित के अग्रिम अध्ययन हेतु केन्द्र स्थापित किये हैं ।

भारतीय वन सेवा में आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती

1808. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में, भारतीय वन सेवा में आदिम जातियों के सुरक्षित कोटे के पदों पर जो अभ्यर्थी भर्ती किये गये थे वे सभी असम राज्य के रहने वाले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यर्थियों के नाम क्या हैं तथा वे किन जिलों के रहने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का जिला/राज्य
1.	श्री थेप्फुलहौवी अन्गामी	नागालैण्ड
2.	श्रीफ्रेंकिन्सेन्स सुचियांग	असम
3.	श्री कैखोगिन वैफेई	मनीपुर

आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति

1809. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस

सेवा तथा प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सेवाओं के लिए आदिम जातियों के सुरक्षित कोटे से भर्ती किये गये अभ्यर्थियों में 90 प्रतिशत अभ्यर्थी असम राज्य के थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन जिलों के रहने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के जिले तथा राज्य का नाम
	1. भारतीय प्रशासनिक सेवा :	
1.	श्री चरणदास परशीरा	लहोल तथा स्पीती, हिमाचल प्रदेश ।
2.	श्री रिनसान्गा	मिजो, असम ।
3.	श्री एस० एस० पंगटे	पिथोरागढ़ उत्तर प्रदेश ।
4.	कुमारी बिन्दु तेसेरिंग	दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
	2. भारतीय पुलिस सेवा :	
5.	तेशी दावा	लहोल तथा स्पीती, हिमाचल प्रदेश ।
6.	एम० तुमसंगा	मिजो, असम ।
7.	टी० डब्ल्यू० पार्केटिन	यु० के० तथा जे० पहाड़ी, असम ।
8.	नमो नारायण मीना	सवाई माधोपुर, राजस्थान ।
	3. केन्द्रीय सेनाएं, प्रथम श्रेणी :	
9.	शेखोलेन कोपजेन	मनीपुर ।
10.	डी० लाकरा	चम्पारन, बिहार ।
11.	केगवालो थोन्ग	कोहिमा, नागालैण्ड ।
12.	उरोस लैंगडोह	खासी पहाड़ियां, असम ।
13.	के० एल० नेगी	किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ।
14.	टी० आर० ठाकुर	किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ।
15.	इंदीबार देवरी	लखीमपुर, असम ।
16.	एच० टी० संगलियाना	चुराचांदपुर, मनीपुर ।
17.	सुनिला दयाल (कुमारी)	रांची, बिहार ।

सिन्धी भाषा की लिपि बदलना

1810. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए अखिल भारतीय सिन्धी साहित्यिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सम्मेलन में सरकार द्वारा मनमाने ढंग से सिन्धी की लिपि सिन्धी में बदल कर देवनागरी कर देने की कार्यवाही पर चिन्ता व्यक्त की गई थी;

(ख) क्या सम्मेलन ने मांग की है कि करंसी नोटों पर सिन्धी भाषा में भी लिखा जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अखिल भारतीय सिंधी साहित्यिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्मेलन ने समाचार-पत्रों में उक्त समाचार दिया था, किन्तु शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को सम्मेलन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

कुछ समय पहले, वित्त मंत्रालय को, अखिल भारत सिंधी बोली तथा साहित्य सभा, बम्बई की ओर से इस आशय का पत्र मिला था कि करेंसी नोटों का मूल्य मूल सिंधी लिपि में होना चाहिए । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

व्यावहारिक विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में रूस के साथ सहयोग

1811. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री नि० रं० लस्कार :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस, दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच व्यावहारिक विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में रूसी प्रतिनिधिमण्डल के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने, जो समन्वेषी के रूप में था, अनुभव किया कि दोनों देशों के बीच, व्यावहारिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में सहयोग की काफी गुंजाइश है । अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों का संबंध, जिनमें प्रतिनिधिमण्डल ने रुचि प्रकट की थी, वस्त्र तथा वस्त्र मशीनरी उद्योग, रसायन उद्योग, उच्च बहुलक उद्योग, पैट्रो-रसायन, रंजक-पदार्थ, कांच तथा मृत्तिका उद्योग, चमड़ा प्रौद्योगिकी, कच्ची धातु-समपरिष्करण, लोहयुक्त-मैंगनीज प्रौद्योगिकी तथा जूट प्रौद्योगिकी से है ।

स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में संग्रहालय

1812. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन की स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर निर्मित किया जा रहा है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस संग्रहालय का रूप क्या होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए दिए गए विभिन्न सुझावों को सरकार जांच कर रही है ।

Cases Pending against Striking Employees

1813. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of employees against whom cases are pending in various courts for their participation in the strike on the 19th September, 1968 ;

(b) whether it is a fact that considerable delay is being caused in the disposal of their cases ; and

(c) if so, whether Government propose to take steps to expedite disposal of these cases and to withdraw them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) It is not intended to withdraw any prosecution cases, except those in which there is not sufficient evidence. The State Governments/Union Territories concerned have been requested to take steps for the expeditious disposal of the pending cases.

पंजाबी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार

1814. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ने अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने तथा पटियाला, संगरूर, भटिंडा तथा रोपड़ जिलों के कालेजों को अपने क्षेत्राधिकार में शामिल करने तथा उनको अपने से सम्बद्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में न तो पंजाब सरकार की सलाह ली गई है और न ही यह पग उठाने से पहले राज्यपाल अथवा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यवाही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि पंजाब के मूल विश्वविद्यालय की, जिसके क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त जिले आते हैं, इस मामले में सलाह भी नहीं ली गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने इस बारे में, एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की वैधता तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार में मतभेद है।

(ङ) ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय से परामर्श नहीं किया है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के गांवों को मिलाने वाली सड़कें

1815. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के गांवों को मिलाने वाली सड़कों की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में चमड़ा उद्योग विद्या तथा खाल उद्योग सम्बन्धी कालेज

1816. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चमड़ा उद्योग विद्या तथा खाल उद्योग के विकास सम्बन्धी एक कालेज की स्थापना पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में इस प्रकार का कोई उद्योग तथा उद्योग विद्या पहले विद्यमान है; और

(ग) क्या इस उद्योग से कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उड़ीसा में चमड़ा प्रौद्योगिकी कालेज स्थापित करने के लिए राज्य की चौथी आयोजना में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) दो संस्थाएं, एक कलकत्ता में तथा एक अन्य मद्रास में, चमड़ा प्रौद्योगिकी विषयक डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही हैं । सारे देश में चमड़ा उद्योग व्यापक रूप मे फैला हुआ है ।

(ग) हमारे चमड़ा तथा चर्म उद्योग ने 1968-69 में लगभग 77.35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है ।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर खान-पान सुविधाओं की कमी

1817. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर खान-पान की कोई सुविधा नहीं है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे पर ये सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर खान-पान व्यवस्था की सुविधायें प्रदान करने के लिए पार्टी ढूंढ निकालने के बार-बार किये गये भी प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुए हैं । राज्य सरकार से इस मामले में सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

चांदवाली तथा गोपालपुर के छोटे पत्तनों का विकास

1818. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चांदवाली तथा गोपालपुर के छोटे पत्तनों का विकास करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में किन-किन छोटे पत्तनों का विकास करने का विचार है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजनावधि में उड़ीसा के दो पत्तनों अर्थात चांदवली और गोपालपुर में से एक को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में विकसित करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए 1 मई, 1969 को पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय के विकास सलाहकार की अध्यक्षता में

एक समिति स्थापित की गयी है जिसके श्री बी० आर० पटेल, सचिव, उड़ीसा सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग एवम् श्री एम० सी० डवियाह, सहायक निदेशक (मत्स्य बंदरगाह), कृषि विभाग, भारत सरकार, सदस्य होंगे। समिति की अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(ग) छोटे पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। जहां भी मांग की जाती है तथा आवश्यक समझा जाता है भारत सरकार तकनीकी सहायता देती है और छोटे पत्तनों के विकास से संबद्ध (केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के नाम से पुकारी जाने वाली) विशिष्ट स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालीन ऋण के रूप में वित्त सहायता भी देती है।

राज्य सरकारों के परामर्श में प्रत्येक राज्य के एक पत्तन को उसकी परिवहन क्षमता की संगति में चौथी योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लेने का निश्चय किया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत इन पत्तनों को विकसित करने का विचार है—उड़ीसा में गोपालपुरा चांदवाली, आंध्र प्रदेश में काकीनादा, तामिलनाडु में कुड्डीलार, केरल में वाइपोर, मैसूर में कारबार, महाराष्ट्र में मिरया बे (रत्नगिरी) और गुजरात में पोरबंदर।

भारत में भूकम्प-विज्ञान का विकास

1819. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भूकम्प-विज्ञान के विकास की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय प्राप्त करने तथा इसके हेतु की जा रही कोशिशों का पूरा लाभ उठाने के लिये समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) भूकम्प-विज्ञान में भारत का क्या योगदान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1947 से भूकम्प विज्ञान ने लगातार प्रगति की है। भारत में नियमित भूकम्प वेधशालाओं की संख्या 1947 में 5 से बढ़ कर 1969 में 17 हो गयी है। सब वेधशालाओं में उपस्कर का आधुनिकीकरण कर दिया गया है तथा अनुसंधान एवं विकास विषयक कार्यकलाप में काफी प्रगति की जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग का भूकम्पीय प्रभाग आंकड़ों तथा अनुसंधान प्रकाशनों के विनिमय के रूप में अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग से कार्य करता आया है। यू० एस० ए०, यू० के०, यू० एस० एस० आर० जैसे अन्य देशों में स्थित अनेक संगठनों को नियमित रूप से विशेष आंकड़े-पत्र (डेटा शीट्स) भेजे जाते हैं।

यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट और जिओडेटिक सर्वे ने विभाग को भूकंपलेखियों (सीस्मोग्राफों) के चार सेट सप्लाई किये हैं जो नई दिल्ली, शिलांग, पूना और कोडेकनाल में कार्य कर रहे हैं। वे समय-समय पर विश्व भर को भूकंप विषयक सूचना के बारे में एक बड़ी संख्या में प्रसाधित आंकड़े (प्रोसेस्ड डेटा) भी प्रदान करते रहते हैं।

(घ) भारत मौसम विज्ञान के अतिरिक्त, जो कि पिछले 75 वर्षों से भूकम्पीय कार्य करता आ रहा है, इस प्रकार की अन्य संस्थायें जैसे नेशनल जियो-फिजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद, दि स्कूल आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, रुड़की और दि भाभा ऐटामिक रिसर्च सैन्टर, बंबई, भी भूकम्पीय कार्य कर रही हैं।

पिछले कुछ दसाब्दों में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है :

(i) भूकम्पीय आंकड़े, भूकम्पों की आवृति के नियम और भूकम्पीय खंडों में भूकम्प के खतरे का अनुमापन।

(ii) भारत की भूकम्पनीयता और उसका भूकम्पीय खंडों में विभाजन।

(iii) भारतीय क्षेत्र में भूपृष्ठ तथा ऊपरी आवरण की रचना।

(iv) समवेदनशील विद्युत चुम्बकीय भूकम्पलेखियों (इलक्ट्रो मैगनेटिक सीस्मोग्राफ्स) का अंशाकन तथा मानकीकरण।

(v) सूक्ष्मकंप, उनका उद्गम एवं रचना, और उनका समुद्रीय तूफानों का यथासंभव पता लगाने के लिये प्रयोग।

(vi) भूकम्पों की कार्य-प्रक्रिया, तहदार रचनाओं में प्रत्यास्थ सतही तरंगों के विस्तार, स्पन्द आकृति परिवर्तन, इत्यादि का सैद्धान्तिक अध्ययन।

Appointment in Universities

1820. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are some Universities where people possessing 3rd class Master's degree have been and are being appointed as lecturers ; and

(b) if so, whether the Central Government will prepare a scheme under which financial aid will be given only to those universities where people holding at least 2nd class Master's degree are appointed ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Government is not aware if there are Universities where persons possessing third class Master's degree have been and are being appointed as lecturers.

(b) The suggestion made by the Hon. member will be passed on to the University Grants Commission for consideration as grants to Universities are given by the Commission.

National Integration Council

1821. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Sub-Committee of the National Integration Council was held in Delhi in the third week of May ;

(b) if so, the main decisions taken therein ; and

(c) the schemes prepared for their implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. The second meeting of the Sub-Committee of the National Integration Council on Communalism was held in New Delhi on May 22, 1969.

(b) and (c). The following decisions were taken :

(i) Permanent Standing Committees should be set up at the State, District and Tehsil levels for maintaining communal harmony.

(ii) Speeches and writings of certain sections of Muslims and Hindus, reflecting a separatist and anti-secular mentality, should be collected, analysed and studied.

As regards (i) the Chief Ministers of the States have been requested to take action immediately to set up 'Integration Committees' or 'Ekta Samitis' at different levels and to issue instructions to the authorities concerned to ensure that these Committees are assisted in every possible way in their efforts for promoting communal harmony. Guidelines for the formation of these Committees have also been provided.

As regards (ii) analysis and studies of such speeches and writings are being made from time to time.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवावधि में वृद्धि

1822. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि उन कर्मचारियों की सेवा में 55 वर्ष के बाद वृद्धि करना अस्वीकार न किया जाये जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश सभी मंत्रालयों को भेजे गये हैं ; और

(ग) क्या उक्त आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर भी रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के श्रेणी-1 के अधिकारियों की भर्ती तथा पदोन्नति

1823. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

आदिम जातियों के श्रेणी-1 के कुछ अधिकारियों की पदोन्नति तथा भर्ती करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई प्रतिशत निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). प्रथम श्रेणी की सेवाओं और पदों समेत भारत सरकार के अधीन सभी सेवाओं और पदों में जिनके लिए सीधी भरती की जाती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पहले से ही आरक्षण किया गया है। अनुसंधान करने के लिये अथवा अनुसंधान के आयोजन करने, पथ-प्रदर्शन करने और निर्देश देने के लिए केवल वैज्ञानिक व तकनीकी पदों को, जो इस प्रयोजन हेतु निर्धारित छूट की शर्तों को पूरा करते हैं, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के आदेशों से छूट दी जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित आरक्षण इस प्रकार हैं :

सीधी भर्ती :

(i) **अनुसूचित जातियां** : सीधी भरती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत जब कि अखिल भारतीय आधार पर पदों व सेवाओं की सीधी भरती खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ली गई खुली प्रतियोगी परीक्षा से की जाती है। जहां भरती खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से की जाती है तो आरक्षण $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत।

(ii) **अनुसूचित आदिम जातियां** : खुली प्रतियोगिता और खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से भरती में आरक्षण 5 प्रतिशत।

मंत्रालयों, आदि में नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को उनके अधीन प्रथम श्रेणी की सेवाओं/पदों में भरती करते समय, इन प्रतिशतों के अनुसार आरक्षण करना होता है जब तक कि इसके लिये निश्चित रूप से छूट न दी गई हो।

जहां तक प्रथम श्रेणी के पदों के लिये पदोन्नति का सम्बन्ध है, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में आदेश कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्थापना (ग), दिनांक 11 जुलाई, 1968 में जारी किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1483/69] । द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की निम्नतम कड़ी या वर्ग में चयन द्वारा पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को कुछ रिआयतें दी गई हैं। किन्तु प्रथम श्रेणी के भीतर चयन द्वारा पदोन्नतियों में कोई आरक्षण नहीं है। सब कुछ ठीक होने पर वरीयता के आधार पर पदोन्नतियों में, जहां कोई आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों को प्रतिस्थापित किये जाने के मामले सम्बन्धित मंत्री अथवा उपमंत्री को पूर्वानुमति के लिये प्रस्तुत करने होते हैं।

राष्ट्रीय फिटनेस कोर के प्रशिक्षकों को नौकरियां देना

1829. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिटनेस कोर के अधीन कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को अन्य रोजगार देने के बारे में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वस्तुत: सभी राज्य सरकारों ने इन प्रशिक्षकों की सेवाओं को लेना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय फिटनेस कोर का भविष्य क्या होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध

1825. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने किसी राजनीतिक दल पर कोई प्रतिबन्ध लगाने तथा किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करने के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही करने से पहले विरोधी दलों की सलाह फिर से ली जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिये उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श के लिये गृह मंत्री ने भारतीय जनसंघ, द्राविड़ मुन्नेत्रकषगम, भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल, प्रजा समाजवादी दल तथा संसद के कुछ निर्दलीय सदस्यों को आमंत्रित किया था । भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल तथा संयुक्त समाजवादी दल के नेताओं ने गृह मंत्री को भेजे अपने पत्रों में ऐसे विधान के प्रति अपना विरोध प्रकट किया । प्रजा समाजवादी दल के नेताओं ने कहा है कि वे इस समय इस राजनैतिक विवाद पर सरकार से सहमत नहीं हैं । स्वतंत्र पार्टी ने ऐसे विधान के बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है । जनसंघ ने मामले पर विचार करने के लिये और समय मांगा है । जनसंघ और द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेताओं से अभी विचार-विमर्श किया जाना है ।

(ग) भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल के नेताओं ने विचार विमर्शों में भाग लेने से अपनी असमर्थता प्रकट की है । इस प्रकार के विचार-विमर्शों में उनके भाग लेने का सरकार स्वागत करेगी ।

जहाजरानी के बारे में भारत तथा श्रीलंका के बीच करार

1826. **श्री रा० बरुआ :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा श्रीलंका सरकार के बीच दोनों देशों के बीच जहाज चलाने के बारे में एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत श्रीलंका सरकार को क्या सहायता दी जा रही है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 19 मई, 1969 को कोलम्बो में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और सिलोन शिपिंग कारपोरेशन के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुये जिसके अन्तर्गत शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, सिलोन शिपिंग कारपोरेशन का परामर्शदाता सहयोगी का कार्य करेगा । यह करार सीलोन शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड की आकांक्षाओं को मान्यता देता है और मूर्तरूप देता है और शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड के विशेष मैत्रीपूर्ण प्रतिक्रिया के बदले यह विश्वास दिलाती है कि सीलोन शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सफल रहे हैं ।

(ख) और (ग). करार की प्रमुख विशेषतायें नीचे दी गई हैं :

(1) करार में अंकित है कि सीलोन शिपिंग कारपोरेशन का उद्देश्य सीलोन के लिये अन्तर्देशीय समुद्री व्यापार में अधिकार-मूलक भाग प्राप्त करना है । इसे प्रारम्भ करने के लिये सीलोन शिपिंग कारपोरेशन, सीलोन यू० के० और सीलोन महाद्वीप व्यापार मार्गों पर मासिक कार्गो लाइनर सर्विस शुरू करेगा ।

(2) सीलोन शिपिंग कारपोरेशन दो पुराने उपयुक्त जहाजों को खरीदेगा और उपरोक्त सर्विस चालन के लिये कुछ थोड़े और जहाजों को अधिकार पत्र देगा ।

(3) शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया, सीलोन शिपिंग कारपोरेशन को प्रशासनात्मिक, व्यापारिक और तकनीकी सलाह देगा और सीमित अवधि के लिये कुछ थोड़े से अधिकारियों को भी सीलोन शिपिंग कारपोरेशन में प्रतिनियुक्त करेगा ।

(4) शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया अपने परामर्श और सहयोग के लिये कोई शुल्क या मेहनताना प्राप्त नहीं करेगा किन्तु शिपिंग कारपोरेशन, इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों को वेतन और भत्ते आदि देगा ।

Naxalites Hand in Telengana Agitation

1827. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are any indications that Naxalites have a hand in the Telangana agitation;

(b) whether any inquiry has been conducted into this matter; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). According to information received from the State Government there is no clear indication that the extremists have a direct hand in the Telengana agitation.

Misappropriation of Funds in Delhi University

1828. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: **Shri K. Lakappa**:
Shri A. Sreedharan: **Shri S. K. Tapuriah**:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether misappropriation of funds amounting to several lakhs of rupees in the Delhi University has been pointed out in the Audit Report of the said University for the year 1967-68;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken against the Officers held responsible for it?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). No, Sir. Certain irrigularities in the Press Accounts have, however, been pointed out specially with reference to outstanding dues which are recoverable. An Enquiry Committee has been appointed by the Executive Council of the University to look into these irregularities and to fix responsibility for them. The Enquiry Committee is yet to complete its deliberations.

एयर इंडिया द्वारा नये मार्गों पर सेवाओं का आरम्भ किया जाना

1829. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया का विचार नये मार्गों पर अपनी सेवायें आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मार्ग कौन-कौन से हैं ;

(ग) इससे व्यय में अनुमानत: कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) इन नये मार्गों पर अनुमानत: कितनी आय तथा लाभ अथवा हानि होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । एयर इंडिया की निकट भविष्य में किन्हीं नये मार्गों पर विमान सेवायें परिचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार में अवर सचिव से ऊपर के पद के हरिजन अधिकारी

1830. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के नई दिल्ली स्थित सब कार्यालयों में अवर सचिव से ऊपर के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें हरिजन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । शेष सूचना सदन के सभा-पटल पर यथासमय रख दी जायेगी ।

विवरण

अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारी
891	6

टिप्पणी : 10 मंत्रालयों/विभागों से सूचना प्रतीक्षित है ।

सार्वजनिक परिवहन की सुविधायें

1831. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने कार्यालय जाने तथा कार्यालय से घर लौटने के लिये सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं ;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को घर से कार्यालय और कार्यालय से घर लौटने के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों, सरकार ने उनकी कार्य कुशलता के हित में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परिवहन के लिये इस समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के इन कर्मचारियों के लिये दिन में दो बार घर से कार्यालय को जाने और कार्यालय से घर लौटने के लिये विशेष परिवहन की व्यवस्था करने का है जिससे सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में अपना उत्तरदायित्व दक्षतापूर्वक निभा सकें ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा परिचालित नगर बस सेवाओं के अलावा कई और तरह के जनता, परिवहन के साधन हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में आने-जाने के लिये इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। आने-जाने के लिये जनता परिवहन को प्रयुक्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम दिल्ली में 62 मुख्य रास्तों और 60 सहायक रास्तों पर बस सेवा परिचालित करता है । इस समय सड़क पर चल रही बसों की संख्या 1180 है। नियमित सेवाओं के अलावा उपक्रम दिल्ली की विभिन्न बस्तियों से केन्द्रीय सचिवालय और अन्य स्थानों जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थिति हैं, तक विशिष्ट यात्राएं (ट्रिप) परिचालित करता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी डी० टी० यू० बसों के अलावा टैक्सियों, आटोरिक्शों और स्कूटरों को भी कार्यालयों में आने-जाने के लिये प्रयुक्त करते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परिवहन प्राप्त करने में होने वाली विशेष कठिनाई का सरकार को पता नहीं है। सरकारी कर्मचारी जिन बस्तियों में रहते हैं उनमें से अधिकांश में कल्याण संस्थाएं हैं जो अपने सदस्यों की परिवहन कठिनाइयां यदि कोई हों, के बारे में डी० टी० यू० प्रबन्ध से लिखा पढ़ी करते हैं। इस प्रकार के सारे अनुरोधों पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहां सुविधा देने के लिये उचित कारवाई की जाती है।

(घ) दिल्ली परिवहन उपक्रम सुबह और शाम दोनों ही समय, निर्धारित सेवाओं के अलावा, विभिन्न बस्तियों से केन्द्रीय सचिवालय और अन्य स्थानों जहां सरकारी कार्यालय स्थित हैं, तक विशेष बस सेवाएं चलाता हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस आयोग का प्रतिवेदन

1832. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस बल के अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, उनके कार्य तथा जीवन निर्वाह की दशा के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या अब तक किन्हीं सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और उसकी सिफारिशों का परीक्षण भी किया जा चुका है ।

(ग) और (घ). अधिकांश मामलों में विभिन्न निर्णयों पर कार्यवाही पूरी कर ली है और कुछ मामलों में जहां कार्यान्वयन प्रावस्थाओं के आधार पर किया जाना होगा वहां कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

लागू की गई विभिन्न परियोजनाओं का अपना प्रभाव अधिक अनुशासन सब प्रकार से बेहतर कार्य संचालन तथा बल में संतोष की अधिक भावना के रूप में देखने में आता है और यथासमय इसका पूर्ण प्रभाव का भी अनुभव किया जायेगा ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

1833. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वर्तमान ढांचे में संशोधन किया जाना चाहिए और ग्रेड तीन नामक एक नया ग्रेड आरम्भ किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना के सम्बन्ध में आदेश जारी क्यों नहीं किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक नये ग्रेड III के सूत्रपात समेत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन के बारे में आदेश 24 जुलाई, 1969 को जारी कर दिये गये हैं ।

दिल्ली परिवहन की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि

1834. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन की बसों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) पिछले वर्ष तथा उससे पूर्व के दो वर्षों में दिल्ली परिवहन के अधीन ठेके पर कार्य कर रही बसों सहित दिल्ली परिवहन की बसों के साथ कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ग) इस दुर्घटना-दर को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति वाले चालकों को दण्ड देने तथा दुर्घटना रहित रिकार्ड वाले सचेत चालकों को पुरस्कार देने के लिये क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है :

वर्ष	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों से हुये दुर्घटनाओं की कुल संख्या
1968	1291
1967	1426
1966	1336

दिल्ली परिवहन उपक्रम परिचालन के अन्तर्गत निजी बसों से हुये दुर्घटनाओं के पृथक आंकड़े नहीं रखे गये।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(घ) सभी दुर्घटनाएं पुलिस को सूचित की जाती हैं जो जांच करती है। अदालत के जांच परिणाम के आधार पर ड्राइवरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। उपक्रम प्रोत्साहन पद्धति चलाती है ताकि सुरक्षित तौर से चलाने की आदत की प्रोत्साहन मिल सके।

विवरण

दिल्ली परिवहन उपक्रम अपने ड्राइवरों में सुरक्षित चालन के प्रोत्साहन देने के लिये प्रोत्साहन योजना चला रही है। एक ड्राइवर जिसका सेवा का रिकार्ड दुर्घटना मुक्त होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है जो तिमाही अर्जित किया जा सकता है। अन्य उपायों में दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम लिये गये हैं या लिये जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें और सड़क सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सके :

1—**जनता की शिक्षा**

(1) सड़क सुरक्षा शिक्षा, जिसमें सड़क सुरक्षा पर भाषण और यातायात नियमों का पालन शामिल है शिक्षा संस्थानों में दी जाती है जिसमें बाद में व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाता है।

(2) बच्चों के लिए टेलीविजन प्रदर्शनों का भी प्रबन्ध किया जाता है।

(3) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं और हास्य साहित्य बच्चों में बांटा जाता है।

(4) सड़क सुरक्षा पर फिल्में विभिन्न स्कूलों में दिखाई जाती हैं।

(5) सड़क के किनारे के प्राय सभी स्कूलों के निकट मोटर वालों के मार्ग दर्शन के लिये 'स्कूल' चेतावनी संकेत पटल लगा दिया गया है ;

(6) पैदल पारपथों को चिह्नित कर दिये गये हैं और सभी मुख्य सड़कों पर गति प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

(7) इरविन रोड पर यातायात प्रशिक्षण स्कूल कार्य कर रहा है जहां बच्चों को यातायात विनियमों में शिक्षा दी जाती है।

(8) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं परिस्थान देहातों में भी बांटे गये हैं।

(9) शहर में लगभग 25 सिनेमाघरों में हंसी के चित्रों के सहित सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से फिल्में दिखाई जाती हैं।

(10) व्यस्ततम समय में 6 घंटे के लिए प्रतिदिन एक चलती फिरती यातायात शिक्षा गाड़ी कार्य करती रहती है ताकि सड़क प्रयोक्ताओं को स्थान पर ही उनकी त्रुटियों को बताकर शिक्षा दे सकें।

2—इन्जीनियरी सुधार

(11) यातायात पुलिस के सलाह पर, गोल चक्कर हटाये जा रहे हैं, सड़क चौराहा चौड़ा किया जा रहा है, विनियकों, पटरियों, साइकिल मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। सड़क पर चिह्न लगाये जा रहे हैं और बस स्टापों, स्टाल, फेरी वालों, टैक्सी अड्डों को जहां तक सम्भव है भीड़भाड़ के स्थान से हटाये जा रहे हैं। दिल्ली परिवहन उपक्रमों के बस स्टाप फिर से नई जगह पर बनाये गये हैं।

3—परावर्तन उपाय

(12) व्यस्त और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी परिवहन गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ताकि यातायात रुकावट समाप्त हो जाये जब कि कुछ अन्य सड़कों पर व्यस्त समय में उनका आवागमन निलम्बित कर दिया गया है ताकि भीड़भाड़ न हो।

(13) दिल्ली व नई दिल्ली की सड़कों को व्यस्ततम समय में धीरे चलने वाली वाहनों के लिए बन्द कर दिया गया है।

(14) भीड़भाड़ वाली सड़कें एकतरफा पथ के रूप में और भीड़भाड़ वाली सड़कें 'गाड़ी खड़ी न करो' क्षेत्र के रूप घोषित कर दी गयी हैं।

(15) चयनात्मक प्रवर्तन अभियान चलाये जाते हैं।

(16) अतिरिक्त कर्मचारी और परिवहन को स्वीकृति देकर यातायात पुलिस को सशक्त कर दिया गया है। तीन दुर्घटना स्क्वाड हैं जिनके साथ फोटोग्राफ इकाई भी संलग्न है जो घातक दुर्घटनाओं और गहरी चोट पहुंचाने वाली दुर्घटनाओं की जांच करते हैं।

(17) यातायात नियमों व विनियमों के प्रवर्तन के लिये एक पृथक यातायात निरीक्षक तैनात कर दिया गया है। 6 अचल प्रवर्तन स्क्वाड जिनके साथ चलते फिरते मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनके साथ काम करते हैं और निकट का सम्बन्ध रखते हैं और घटना स्थल पर अभियोग लगाया जाता है और विचार किया जाता है। ये यातायात मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त हैं।

(18) 4 चलते फिरते प्रवर्तन स्क्वाड भी हैं जो जीपों पर भिन्न समय पर भिन्न मार्गों पर व्यस्ततम और खाली समय में गस्त लगाते रहते हैं ताकि वे मोटर वालों से उल्लंघन के मामले पकड़ सकें ।

(19) खड़ी हुई गाड़ियां जो यातायात की गति में बाधक होती हैं उनको हटाने के लिए एक ब्रेक डाउन की व्यवस्था की गई है ।

(20) पुलिस कर्मचारियों को सड़क नियमों और विनियमों, नये विचारों और यातायात में नवीन प्रक्रिया और अन्य सहायक मामलों में शिक्षा दी जाती है । इस प्रयोजन से 2 उप निरीक्षक, हेड कान्स्टीबुल रखे गये हैं ।

(21) अगस्त 1968 से 'स्कूल सेफटी पेट्रोल' की एक नई पद्धति शुरू कर दी गई है । इस पद्धति के अधीन अब तक 800 लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं ताकि अपने स्कूलों के बाहर और पूर्व स्कूल के बाद यातायात को नियन्त्रित कर सकें तथा आदेश दे सकें । जिन स्कूल के बच्चों को यह प्रशिक्षण मिला है वे सुरक्षा शिक्षा अपने साथियों को बतायेंगे और उनको स्कूल से जाने व आने के समय सड़क पार करने में मदद करेंगे ।

(22) 1968 में अप्रैल में एक राष्ट्रीय अपराध निवारण सप्ताह मनाया गया । नवम्बर में होम गार्ड और सिविल डिफेन्स की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें यातायात पुलिस ने दो मंडप और बच्चों के लिये यातायात पार्क लगाया था और यातायात पुलिस के लिये दिसम्बर में दूसरे संगठनों की मदद से सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया ।

राज्यों में प्रस्तावित तटीय राजपथों की लंबाई

1835. **श्री द० रा० परमार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में प्रस्तावित तटीय राजपथों की कुल लंबाई क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में मार्च, 1969 तक कुल कितनी लंबाई पूरी कर ली गई है; और

(ग) शेष लंबाई को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य में उन तटीय राज मार्गों की लंबाई जिनके खर्चे की पूर्ति से भारत

सरकार सीमित हद तक संबंधित है, और अब तक पूरी की गयी लंबाइयां नीचे दी जा रही हैं :

राज्य	कुल लंबाई	अब तक पूरी की गयी लंबाई
	मील	
महाराष्ट्र	301	273
गोआ	87	87
मैसूर	175	140
केरल	193	194
गुजरात	22	काम जारी है
तामिल नाडु	25	

(ग) संबंधित सड़कें राज्य सरकार के दायित्व-क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तथापि (क) और (ख) पर दिये गये निर्माण के बकाया निर्माण कार्य के साधनों के अधीन चौथी योजनावधि में पूरा होने की संभावना है।

कांडला पत्तन में गाद का जमा होना

1836. **श्री द० रा० परमार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन में सबसे बड़ा दोष यह है कि वहां वाह्य मात्रा में गाद जमा हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन क्षेत्र में से गाद को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि पत्तन को अच्छी स्थिति में रखा जा सके ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं। परंतु कांदला सरकारी खाड़ी के प्रवेशद्वार के निकट दांडम पर भारी गाद जमा हो गई है। इसके कारण जहाजों के अनुमत डुबाव में 1.2 फुट की कमी हो गई है। इसके बावजूद, लगभग 27 से 31 फुट तक डुबाव के जहाज बन्दरगाह पर ज्वार की स्थिति पर निर्भर करते हुये लाये जा सकते हैं।

(ख) निकर्षण प्रयोजन के लिये पत्तन के निकर्षकों का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है परन्तु इसकी क्षमता प्रवेश जलमार्ग में गाद के लिये पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार के निष्कर्षकों में से एक निकर्षक प्रवेश जल मार्ग में नवम्बर 1968 से मार्च 1969 तक निकर्षण के लिये इस्तेमाल किया गया। गाद के लिये एक अतिरिक्त निकर्षक को प्राप्त करने का प्रस्ताव कांदला पत्तन न्यास के विचाराधीन है।

हालण्ड से तलकर्षक (ड्रेजर) एस० डी० कांडला की खरीद

1837. **श्री द० रा० परमार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैण्ड से 90 लाख रुपये में खरीदा गया तलकर्षक (ड्रेजर) एस० जी० कांडला बेकार पड़ा है और उसने कभी संतोषजनक काम नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस ड्रेजर की खरीद के बारे में किये गये कथित कदाचार के बारे में जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। कांडला तलकर्षक का पहुंच जलमार्ग में अधिकतम प्रयोग किया गया है। परन्तु तलकर्षक के कार्य संचालन में कुछ त्रुटियां आ गई थीं इन त्रुटियों पर जैसे और जैसा आवश्यक हुआ ध्यान दिया गया। तल कर्षक के कार्य सचालन में सुधार करने के प्रश्न पर कांडला पत्तन न्यास जांच कर रहा है।

(ग) इस तलकर्षक के खरीद के बारे में कोई कदाचार सरकार को विदित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रापलरों के निर्माण सम्बन्धी बातचीत

1838. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रापैलरों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा भारी इन्जीनियरिंग निगम के मध्य बातचीत आरम्भ हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची से सम्पर्क बनाये हुए है ताकि वे यह अभिनिश्चित कर सकें कि कब पश्चादुक्त नौदकों का निर्माण प्रारम्भ कर सकेंगे। यह ज्ञात हुआ है कि निगम इस समय स्वतन्त्र रूप से शेफरिंग के निर्माण जिसमें भारी अलोहीय ढली वस्तुएं और विशिष्ट जुड़नार शामिल है, करने में पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है।

Increase in Number of Haj Pilgrims

1839. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of Haj pilgrims has been increasing every year;

(b) whether it is also a fact that the pilgrims do not get seats in the ships of M/s Mogul Line Ltd ; and

(c) if so, whether Government have taken any step to meet the shortage ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) to (c). As per Government decision about 15000 pilgrims are sent to Jeddah for Haj every year. However, the number of applications is larger than this number. The question of increasing the number of pilgrims has been receiving the attention of Government but it has not been possible to do so due to the continued difficult foreign exchange position.

डैनिस आयल टैंकर

1840. **श्री राम चरण** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मई, 1969 को डैनिस आयल टैंकर 'स्टोलिट प्रोग्रेस' ने जब पत्तन में प्रवेश किया और वह बूचर आइलैंड मैरिन आयल टरमिनल में माल उतार रहा था तब उसका बहिष्कार कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विमान चालकों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). डेनमार्क का तेलपोत 'स्टोल्ट प्रोग्रेज' 18-5-69 को बम्बई में पहुंचा। इस पोत की लम्बाई 560 फुट और यहां पहुंचने पर उसका डुबाव 26 फुट था। एजेन्टों ने इसे पीरपो के लिये बुक किया था परन्तु और अधिक डुबाव होने के कारण उसे माल उतारने के लिये वलार्ड पीयर ले जाया गया। माल उतारने के बाद उसे 20-5-69 को पीरपो गोदी पर के लिये बुक किया गया। परन्तु माल उतारने पर कम डुबाव होने पर भी चालकों ने पत्तन न्यास द्वारा उनकी कुछ मांग न स्वीकार करने के विरोध में पोत चलाने से इन्कार कर दिया। तब पोत पत्तन न्यास के हारवर मास्टर द्वारा पीरपो पर ले जाया गया।

(ग) अब बम्बई पत्तन न्यास के न्यासधारियों की एक समिति पाइलटेज सर्विसेज एसोसिएशन के साथ वार्ता कर रही है।

Manhandling of Buddhists by Ladakh Government Employees

1841. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Ladakh Government Servants manhandled the Buddhists and even forced them to change their religion ; and

(b) if so, the steps being taken or proposed to be taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such instance has come to the Government's notice.

(b) Does not arise.

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना

1842. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कितने प्रशिक्षणार्थी इन्जीनियरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये बुलाया गया था ;

(ख) क्या कुछ इन्जीनियरों को प्रशिक्षण के लिये तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरियां दी गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1968-69 के दौरान 10,167 इन्जीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमाधारी व्यावहारिक प्रशिक्षण स्थानों को भेजे गये थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) 9 इंजीनियरी स्नातकों तथा 41 डिप्लोमाधारियों को भारी मृदाही-मशीन के परिचालन और अनुरक्षण में 'कोटा' केन्द्र पर प्रशिक्षण दिया गया था । स्नातकों को सिंचाई तथा विद्युत प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी दिया गया था ।

(घ) इस योजना का एकमात्र उद्देश्य उन्हें लाभपूर्ण रोजगार के लिये व्यावहारिक अनुभव के साथ तैयार करने का है । फिर भी, उन्हें रोजगार प्राप्त कराने के लिये विभिन्न अधिकारियों के जरिए बराबर कोशिशें की जा रही हैं । 10 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिल चुके हैं ।

Central Flying Training School for Pilots

1843. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Sita Ram Kesri :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 6869 on the 18th April, 1969 and state :

(a) whether Government have since taken a final decision on the report of the G.C. Arya Committee in which it was recommended that a Central Flying Training School should be expeditiously set up for the training of the professional pilots ; and

(b) if so, the nature of the decisions taken by Government and the site selected for the said School ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. The report is still under consideration of Government.

(b) Does not arise.

Road Development in Madhya Pradesh

1844. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that so far as the transport facilities are concerned, leaving the hilly areas of Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh is the most backward and that there is only 18 miles of metal road 8½ miles of Asphaltic road per 100 square miles ;

(b) whether it is also a fact that in Madhya Pradesh only Bhopal is covered by the air-route and that many people residing in certain regions have not even seen the trains ;

(c) whether it is a fact that big districts in Vindhya and Chattisgarh regions are situated at a distance of hundreds of miles from the Railway stations ;

(d) if so, whether the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for the purpose of extending transport facilities in Madhya Pradesh is adequate ; and

(e) if not, whether Government propose to allocate additional amount of money for the purpose of extending these facilities ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No, Sir. According to the Basic Road Statistics 1967, the States of J and K and Rajasthan are comparatively more backward than Madhya Pradesh in terms of length of roads per 100 sq. kms. of area. In terms of road length per lakh of population, the States of Bihar, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal are more backward than Madhya Pradesh.

(b) and (c). No, Sir. Besides Bhopal, Indore and Khajuraho are also connected by air in Madhya Pradesh. Statistics about Railway lines are not collected on a State-wise basis. However a comparison of route K. Ms. of Railway lines per lakh of population (1961 Census) in each State shows that Madhya Pradesh has 16.3 route Kilometres which is more than that in the majority of States including Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Mysore, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal. Although railway development is not envisaged on any State-wise or region-wise concept, but on overall development considerations in the national interest. Madhya Pradesh has not at all done badly. For catering to the traffic generated by industrialisation, over 1200 kilometres of trunk rail routes passing through Madhya Pradesh have been doubled during the three Plans. Electrification is also in progress from Rourkela to Durg. Rs. 56 crores were spent on the Bailadilla-Kottavalasa railway lines which were built recently for exporting iron ore deposits in Madhya Pradesh. In addition, the following new lines in Madhya Pradesh are also under construction at present :

(i) Singrauli-Katni (BG. 254.26 Kms. cost Rs. 24.37 crores)

(ii) Guna-Maksi (BG. 192.22 Kms. cost Rs. 9.60 crores)

(d) A provision of Rs. 25 crores has been made for road development in the Fourth Plan of Madhya Pradesh against an expenditure of Rs. 14.70 crores on roads in the State in Third Plan and likely expenditure of about Rs. 8 crores in the three years 1966-69. It is felt that the provision should help to some extent in meeting the more essential needs of the State.

(e) Roads other than national highways are primarily the responsibility of the State Governments concerned. It is, therefore, for the Government of Madhya Pradesh to consider whether they can suggest allocation of more resources for development of roads in the Fourth Plan within the overall resources available for the Fourth Plan of the State.

Election of the Executive Committee of Welfare Association Sector II R. K. Puram, New Delhi

1845. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any order has been issued by the Home Ministry to postpone the election held on 20th April, 1969 of the members of the executive committee of the Welfare Association of Sector II, Rama Krishna Puram, New Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor and whether the orders were issued before or after the elections were held ;

(c) whether any delegation of the residents of Sector II, R. K. Puram called on the Chief Welfare Officer in his Ministry ; and

(d) if so, the steps taken by the Chief Welfare Officer.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) On receipt of complaints from some members of the Association alleging discrepancies in the Voters list etc. on 18th April, 1969, the Association were advised on 19th April, 1969 to postpone the elections scheduled for 20th April, 1969.

(c) and (d). No, Sir. There was no formal delegation as such, but a few members of the Association belonging to one group had gone to the residence of the Chief Welfare Officer early in the morning some days after 20th April 1969 without any prior appointment. The Chief Welfare Officer had told them that it was not correct for them to have held the election on the 20th April in violation of the instructions for postponement which had been issued by Ministry of Home Affairs on 19-4-69 with the object of having the Voters' lists etc. checked about which they themselves had complained on 18th April, 1969. He had also told them that fresh elections will have to be held after the Voters' lists etc. had been verified.

भारत से ट्रिनिडाड के लिये नौवहन मार्ग

1846. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ट्रिनिडाड के बीच सीधा नौवहन मार्ग स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

'कम्बाटा एविएशन' के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1847. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मई, 1969 को कम्बाटा एविएशन के 100 से अधिक

कर्मचारियों ने शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एक दिन की सांकेकित हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों जैसे टी० डब्ल्यू० ए०, वी० ओ० ए० सी० तथा ईरान एयर के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ था ; और

(ग) उनकी सांकेतिक हड़ताल के कारण क्या थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । हड़ताल के कारण कम्बाटा एविएशन द्वारा परिचालित की जा रही विमान सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कार्य का संचालन अनियत मजदूरों (केजुअल लेबर) की सहायता से पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग द्वारा किया जाता रहा ।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि हड़ताल कम्बाटा एविएशन के स्टेशन मैनेजर द्वारा किसी मातहत कर्मचारी के साथ कठोर व्यवहार के कारण हुई ।

Formation of Malapuram District in Kerala

1848. **Shri Prakash Vir Shastri** — **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Shiv Kumar Shastri : — **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : — **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Ram Singh Ayarwal : — **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Hukam Chand Kachwai : — **Shri M. S. Oberai :**
Shri Shardanand : — **Dr. Karni Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any correspondence was exchanged with the Government of Kerala in regard to the formation of a new Muslim-majority District ;

(b) if so, the reaction of the State Government in regard thereto ;

(c) whether it is a fact that the formation of such Districts in a State on the basis of particular community are likely to create reaction in other States as well ; and

(d) the extent to which the Central Government are in agreement with the decision of the Government of Kerala to form a new district ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The State Government have intimated that the Malapuram District was formed purely for administrative reasons and that no other matters such as communal representation etc. were taken into consideration.

(d) The formation of districts is within the competence of the State Governments.

Complaint against Sahitya Akademi

1849. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Charan:
Shri Valmiki Choudhary:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether Government have received certain complaints regarding Sahitya Akademi;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the action taken by Government at their level in this regard so far?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Delhi-Ghaziabad Road

1850. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Charan:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the progress made in regard to construction of two additional roads for connecting Delhi with Ghaziabad.

(b) whether it is a fact that a bridge on Yamuna near Central Revenue Building in New Delhi is ready since long but the work regarding construction of road is held up; and

(c) if so, the reasons therefor and when this road is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh): (a) Out of the two additional roads, the progress regarding the road from Ring Road near 'C' Power Station to the western end of Shahdara on N. H. 24 is as follows:—

The approach on the western side from the bridge to the Ring Road has been completed and open to traffic. The bridge has also been completed. On the eastern side, that is between the bridge and Shahdara, the road could not be constructed for its full length and opened to traffic, because of stay order by the Court regarding land acquisition for a short length. But an alternative road has been built over the existing marginal bund to connect the bridge and N. H. 24 and the traffic is using it.

The progress regarding the other road from Ring Road near Humayun's Tomb to the junction of the approach road with N. H. 24 near Ghaziabad is as follows:

The west end connection from the Ring Road near Humayun's Tomb to the bridge, the bridge and the eastern approach up to Patpar Ganj road are expected to be completed shortly. When this is completed, there will a through connection between Ring Road near Humayun's Tomb and the G. T.—Ghaziabad road. As regards the permanent direct link, it consists of sections in Delhi and in U. P. The section in Delhi is proposed to be sanctioned shortly. The U. P. portion, which is 5 miles long, is now being developed by the State

Government from their own funds. In this length, land is yet to be acquired in 1 mile stretch. In the remaining sections, construction in various stages from earthwork to black-topping is in progress.

(b) and (c). As explained above, the work on a small section of the road connecting marginal bund and Patpar Ganj road is held up on account of Court injunctions but this does not come in the way of using the bridge **via** an alternative route which has been completed. The work on the road between eastern marginal bund and Patpar Ganj Road would be completed in 15 months after the Court order is vacated and the possession of the land is handed over to the Central Public Works Department.

Media of Instruction in Universities

1851. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether requisite progress is not being made in regard to the policy laid down for media of instruction in the universities; and

(b) the reasons for slow progress in this regard?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1484/69]**

कांडला पत्तन की खराबियों की जांच करने के लिये समिति

1852. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन की खराबियों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं तथा समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) सरकार को यह प्रतिवेदन उस पर कार्यवाही आरम्भ करने के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) एक समिति का गठन पहले ही कर लिया गया है जो कांडला पत्तन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की जांच कर सके और उपाय सुझा सके ।

(ख) समिति का गठन और विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :

गठन

1. सचिव, पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय	...	अध्यक्ष
2. चेयरमैन, कांडला पत्तन न्यास	...	सदस्य
3. गुजरात सरकार का प्रतिनिधि	...	सदस्य
4. गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का प्रतिनिधि	...	सदस्य
5. गांधीधाम चेम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का प्रतिवेदन	...	सदस्य
6. विदेशी व्यापार मंत्रालय का प्रतिनिधि	...	सदस्य
7. औद्योगिक, विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय का प्रतिनिधि	...	सदस्य
8. खाद्य विभाग का प्रतिनिधि	...	सदस्य
9. कृषि विभाग का प्रतिनिधि	...	सदस्य
10. रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधि	...	सदस्य
11. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का प्रतिनिधि	...	सदस्य
12. राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि	...	सदस्य

विचारार्थ विषय

समिति निम्नलिखित मामलों की जांच करेगी तथा उन पर सिफारिश करेगी :

(1) कांडला पत्तन सम्बन्धी तकनीकी समस्याएं जैसे तलकर्षक/नौचालन, पोतपरिवहन सुविधाएं इत्यादि ।

(2) कांडला पत्तन से होकर जाने वाला यातायात में गिरावट और उस स्थिति में सुधार करने के उपायों को सुझाना ताकि पत्तन की सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) कांडला—गांधी धाम क्षेत्र के तुरन्त उद्योगीकरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम ।

(ग) समिति की अगस्त, 1969 के अन्त तक सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

विज्ञान के शिक्षण और उसके विकास पर पूंजी विनियोजन

1853. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 20 वर्षों में देश ने विज्ञान के शिक्षण और उसके विकास पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि इस विनियोजन से देश में नवीन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा उद्योग के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने में किस सीमा तक सीधी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार ने पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा 1966-69 के दौरान स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा, तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधीन अन्य वैज्ञानिक संगठनों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पर लगभग 237 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ख) और (ग). इस बात का ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है कि इस विनियोजन से आयात कम करने में देश को परोक्ष रूप में कहां तक मदद मिली है। तथापि, अनुमान है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधानों के परिणामों का दोहन करने के फलस्वरूप लगभग 16.5 करोड़ रु० के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

प्रशासन सुधार आयोग का समय बढ़ाना

1854. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जय सिंह :
श्री अविचल :
श्री कु० म० कौशिक :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग अपना कार्य पूरा नहीं कर सका है और यह सम्भावना है कि वह अपने कार्य को पूरा करने के लिये कुछ और समय बढ़ाये जाने की मांग करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने सरकार को अपने कार्य को पूरा करने की कोई निश्चित तारीख सूचित की है;

(ग) आयोग पर कुल कितनी धन राशि जिसमें कर्मचारियों के वेतन, सदस्यों को किये गये भुगतान, यात्रा भत्ते आदि शामिल हैं, अब तक खर्च की गई;

(घ) कमीशन ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये और उनमें कुल कितनी सिफारिशें की गयी हैं; और

(ङ) सरकार ने अब तक कुल कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया और उन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के कुछ क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन अभी देने हैं। आयोग की स्थापना करने वाले संकल्प में आयोग से सरकार को अपना प्रतिवेदन, जितनी जल्दी व्यवहार्य हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। आयोग ने बताया है कि वह सही तारीख बताना सम्भव नहीं है कि कब तक उसका काम पूरा हो जाने की सम्भावना है किन्तु वह अपना काम यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

(ग) 57,21,013 रु० (मई, 1969 तक)।

(घ) आयोग ने अब तक 13 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं जिनमें 362 सिफारिशें हैं।

(ङ) निम्नलिखित 6 प्रतिवेदनों में समाविष्ट अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय लिए जा चुके हैं :

(1) नागरिकों के शिकायतों के निवारण की समस्याएं।

(2) योजना के लिए व्यवस्था (अन्तरिम प्रतिवेदन)

(3) योजना के लिए व्यवस्था (अन्तिम प्रतिवेदन)

(4) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम।

(5) वित्त, लेखा तथा लेखा-परीक्षा।

(6) आर्थिक प्रशासन इनमें से पहले चार प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों का जो (संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के) स्वीकार कर ली गई थी अथवा अस्वीकार कर दी गई थी अथवा तब तक विचाराधीन थीं, ब्योरा बताने वाला एक विवरण 21-2-69 को तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखा गया था। पांचवे प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय बताने वाले विवरण सदन के सभा-पटल पर 21-3-1969, 16-5-1969 और 22-7-1969 को रखे गये थे। छठे प्रतिवेदन अर्थात् आर्थिक प्रशासन संबंधी प्रतिवेदन पर इसी प्रकार का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर शीघ्र ही रखा जाएगा।

केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के वर्ग में पदोन्नति न होने की स्थिति को समाप्त करना

1855. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 20 वर्ष से सहायक के रूप में कार्य कर

रहे 900 सहायकों में पदोन्नति न होने की स्थिति को समाप्त करने के लिये एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और क्या सहायकों के वेतनमान के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सदस्यों की शिकायतों पर गौर करने और उपचारीय उपायों का सुझाव देने के लिए स्थापित समन्वय समिति ने सहायकों के ग्रेड में सबसे लम्बी सेवा वाले सहायकों द्वारा भरे जाने वाले अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति पदों का एक कोटा निश्चित वर्षों के लिए नियत करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिशें विचाराधीन है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी प्रशासन संबंधी अपने प्रतिवेदन में सहायकों के वेतनमान के संबंध में कोई निश्चित सिफारिश नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का महासंघ

1856. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चीन के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल का महासंघ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं और सीमा पार सन्देशों का आदान-प्रदान चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में बाहरी बन्दरगाह

1857. **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री अदिचन :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में एक बाहरी बन्दरगाह के निर्माण के लिये परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). विशाखापत्तनम पत्तन में बाहरी बन्दरगाह का निर्माण सरकार ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर लिया है यह बन्दरगाह आधुनिक संयंत्र धरा उठाई व्यवस्था के साथ-साथ प्रारम्भ में 100,000 डी० डब्लू० टी० और अन्ततः 150,000 डी० डब्लू० टी० के खनिज लोह वाहकों को संभालने योग्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा। धन लगाने का अंतिम निर्णय लिए जाने के लिये विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के परामर्श इंजीनियरों ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 34.89 करोड़ रुपये है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच के बाद और सरकार द्वारा धन लगाने का अंतिम निर्णय लिये जाने के बाद परियोजना के निष्पादन के लिए समय-पत्रक तैयार किया जायेगा।

प्रक्रियावादी शक्तियों की गतिविधियों पर रोक

1858. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में संगठित विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में तथा उनके विघटन के सम्बन्ध में अपना कर्त्तव्य निभाने में तथा उनके विरुद्ध लोकमत संग्रह करने में असफल रही है और क्या इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को क्या सुझाव दिये हैं और उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कानून के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई शक्तियां नहीं है। अतः राज्य सरकारों को ऐसी कोई सलाह देने का प्रश्न नहीं उठता।

Conference of Youth Leaders

1859. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a conference of the youth leaders of the country was held in April, 1969 in Delhi under his aegis;

(b) if so, the number of representatives of the Youth organisations in the country who attended the Conference, the basis of their participation as also the names of those organisations;

(c) whether it is a fact that the said Youth Conference held in Delhi was to all intents and purposes a conference of the youth wing of the Congress party and whether there is a scheme to spend public money on the expansion of the Congress Youth Organisation ; and

(d) whether steps have been taken by Government to engender the feelings of national unity, secularism and Socialism among the youth of the country with the co-operation of the various youth organisations and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See. No. LT-1485/69]**

Recognition and Facilities to Indian Scientists Staying Abroad

1860. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the concrete suggestion that the Indian scientists residing abroad should be given such recognition and facilities as would place their services at the disposal of the country ;

(b) if so, whether Government are presently in a position to take some steps in this connection ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether Government's failure to solve the unemployment problem has induced Government to take the plea that if some Indians remain outside, that would not accentuate the unemployment problem ; and

(e) if not, the economic benefits accruing to the country by reason of the Indian scientists staying abroad.

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Government is trying to provide whatever facilities are possible to Indian scientists residing abroad so that their services could be utilised in the country. Some of the steps taken are given below :

(i) The University Grants Commission has under consideration a Scheme for visiting fellowships/visiting professorships with a view to inviting distinguished scholars/ scientists of India who are at present working/settled abroad.

(ii) CSIR has sent an enquiry to the leading Indian Scientists abroad to ascertain the type of assistance and facilities they would require.

(iii) A statement showing the steps taken to facilitate the return of Indian Scientists and Engineers from abroad and to encourage them to work and stay in the country is laid on the Table of the House.

(d) and (e). Do not arise in view of reply against parts (a) to (c) above.

Statement

The following steps have been taken to facilitate return of scientific and technical personnel to India :

(i) Creation of a Scientists' Pool to provide for temporary placement of well-qualified Indian scientists and technologists returning from abroad.

(ii) Creation of supernumerary posts in approved scientific institutions to which temporary appointments can be made quickly from among the scientists working and studying abroad.

(iii) The Union Public Service Commission and most of the State Public Service Commissions have agreed to treat Indian scientists and technologists whose particulars appear in National Register as 'Personal Contact' candidates for all posts advertised by them. The Union Public Service Commission have also made arrangements for interviewing Indian scientists and technologists abroad for posts in India.

(iv) Maintenance of a Special Section of the National Register of Scientific and Technical Personnel for enrolment of Indian scientists and technologist abroad and for the circulation of their names to all Ministries, Departments of the Government of India, State Governments, Union and State Public Service Commissions, Universities, Public Sector Industries and large private sector establishments. The names of such personnel are published in the monthly Technical Manpower Bulletin (C. S. I. R.) which is distributed free to about 3000 organisations all over India.

(v) Provision for payment of travel grant to scientists, who, on their selection for appointment in research institutions in India, undertake to serve those institutions for a minimum period of three years.

शहरों में बच्चों तथा युवकों के लिये खुले स्थान तथा खेल के मैदानों की आवश्यकता

1861. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में बच्चों तथा युवकों के लिये खुले स्थान तथा खेल के मैदानों की उपलब्धता तथा आवश्यकता का निर्धारण कर लिया है;

(ख) क्या उन्होंने इसके लिये कोई कसौटी निर्धारित की है कि 1000 की जनसंख्या के लिये कितना न्यूनतम क्षेत्र खेल के मैदान के रूप में हो; और

(ग) क्या सरकार का इन कसौटियों को निर्धारित करने के लिये तथा विकासशील नगरों/क्षेत्रों/इलाकों के लिये खेल के मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के हेतु समुचित कानून पास करने के लिये निगमों/नगर पालिकाओं के महापोरों/अध्यक्षों की एक बैठक बुलाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) नगर आयोजन तथा मास्टर प्लानों का निर्माण तथा नगरों और कस्बों के विस्तृत नक्शों (ले आउट प्लानों) की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बुलाया गया नगर निगमों का सातवां सम्मेलन इस वर्ष के अन्त तक मद्रास में प्रारंभ होगा । नगर निगमों के आगामी सम्मेलन में इस मामले पर विचार करने की सम्भावना की जांच करने के लिए उस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ के साथ बैठक

1862. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पूर्ववर्ती द्वारा अध्यापकों को दिये गये कुछ आश्वासनों को कार्य रूप न दिये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने उनको क्या आश्वासन दिये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली प्रशासन राजकीय स्कूल शिक्षक संगठन का एक प्रतिनिधिमण्डल 17-5-1969 को शिक्षा मंत्री से मिला था लेकिन क्योंकि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, उन्होंने कुछ अन्य मामलों पर विचार विमर्श किया था ।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षकों की समिति

1863. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 14 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षकों की समिति की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । केन्द्रीय सरकार उनसे प्राप्त टिप्पणियों की यथावश्यक कार्यवाही करने के लिये सावधानी से परीक्षा करती है । तथापि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची का विषय होने के कारण इन सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है ।

भारत श्रीलंका पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1864. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि किसी गैर-सरकारा सगठन न भारत-श्रीलका पर्यटन केन्द्र

स्थापित करने के बारे में एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन द्वारा तैयार की गई योजना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

चन्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र

1865. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के चण्डीगढ़ स्थित विश्वविद्यालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद के बारे में विधि मंत्रालय का परामर्श मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय में क्या परामर्श दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख), पंजाबी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को पंजाब के कुछ जिलों में बढ़ाने से संबंधित पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बारे में, विधि मंत्रालय से सलाह ली गई थी । विधि मन्त्रालय का मत है कि चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन, केवल केन्द्रीय अधिनियम के जरिए अथवा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के जरिये किया जा सकता है किन्तु, पंजाब सरकार के विधि विभाग का मत है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत, पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिये पर्याप्त है ।

State Lotteries—Printing of Fake Tickets

1866. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that numerous fake tickets are being printed and published consequent on the issue of Lottery tickets by various State Governments; and

(b) if so, the number of cases that came to light so far and the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Governments of Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal have intimated that no case of fake lottery tickets has come to their notice. Information from the remaining States who are organising lotteries is awaited and will be laid on the Table of the House on receipt.

Madhya Pradesh Road Transport Corporation

1867. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the percentage of capital invested by the Central Government in Madhya Pradesh Road Transport Corporation is less as compared to the investments in the Road Transport Corporations in other States;

(b) whether it is also a fact that due to the meagre capital of Madhya Pradesh Road Transport Corporation the transport service in the State is not as efficient as in other States;

(c) reasons for such discrimination; and

(d) action taken to stop such diparity?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) The percentage of capital invested by the Central Government in the capital of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation is at present less than the contribution to certain other State Road Transport Corporations.

(b) The information required is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha, when received.

(c) The extent of the Central Government's participation in the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation was determined, in accordance with the policy obtaining at the time of participation in that Corporation and keeping in view also the availability of funds for investment in the State Road Transport Corporations in general.

(d) A provision of Rs. 10 crores has been included in the draft Fourth Plan of the Railways for contribution to the capital of the State Road Transport Corporations at a uniform level of $33\frac{1}{3}\%$ of the total in each case, in respect of future contributions commencing from the year 1969-70.

Burhanpur a Place of Tourist Interest

1868. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Burhanpur (M.P.) is an ancient historical and industrial town and it has many places of tourist interest like Ahukhana, Mahalgurda, Khooni Bhandara, Asergarh and Raja Jai Singh Ki Chhatri;

(b) whether it is also a fact that proper arrangements have not been made there by Department of Tourism and Archaeology, as for example a pucca road to Mahalgurda has not been built as a result of which the tourist cannot visit that place during rainy season when it is more attractive for the tourists; and

(c) if so, whether Government are planning to improve these centres of archaeological and historical attractions?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes Sir.

(b) All these places, except Khooni Bhandara, are looked after by the Archaeological Survey of India. Repairs are carried out according to availability of funds. Khooni Bhandara is looked after by the Municipality of Burhanpur. Maintenance of roads is the

responsibility of the State Government. Mahal Gurda and Khooni Bhandara are linked only by fair-weather roads and the State Government has no plans to make these roads pucca. Approach road to Ahukhana and Raja Jai Singh's Chhatri cannot be built because they are surrounded by farm-land which is under regular cultivation. However, there is a jeepable pucca road for going to Asergarh Fort.

Apart from normal repairs by the Archaeological Survey of India, there are no special plans to improve these monuments.

Grant per Student in Madhya Pradesh

1869. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the grants given to Universities of Madhya Pradesh works out to Rs. 100 per student whereas is Rs. 3500 per student in the case of universities in other States; and

(b) if so, the reasons for not fixing the maximum limit of grant per student ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Expect in a few schemes, the grants sanctioned by the University Grants Commission are not related to the enrolment. These are determined on the basis of a number of factors such as the stage of development of the university, it needs, and the programmes to be undertaken by it.

Uniform Policy in Madhya Pradesh

1870. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the reaction of the Madhya Pradesh Government to the request of the Central Government to adopt a uniform policy in respect of Primary education in accordance with the recommendations of the Education Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : No specific reference has been made to the Madhya Pradesh Government by the Central Government. The National Policy on Education has laid down that it will be advantageous to have a broadly uniform educational structure in all the parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges of both, according to local conditions. As such, no change in the structure of education at the Primary stage is contemplated. Rigid uniformity in various aspects of the education at Primary stage is neither practicable nor desirable.

तेलंगाना आन्दोलन के दौरान केन्द्रीय सरकार को सम्पत्ति को हुई हानि

1871. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री राम चरण : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्रेमचन्द वर्मा : **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :**
श्री विश्व नारायण शास्त्री **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तेलंगाना राज्य की स्थापना के आन्दोलन में हुए उपद्रवों के कारण आन्ध्र

प्रदेश में 15 मई, 1969 से अब तक केन्द्रीय सरकार की कितनी सम्पत्ति को क्षति हुई तथा कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ;

(ख) केन्द्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये संविधान के अन्तर्गत कितने अवसरों पर उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया अथवा राज्य सरकार को कितने निदेश जारी किये गये ; और

(ग) उन पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 15 मई, 1969 से 15 जुलाई, 1969 तक तेलंगाना आन्दोलन में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को 74,000 रुपये तक की क्षति पहुंचाई गई है ।

(ख) 8 नवम्बर, 1967 को सभी राज्य सरकारों का ध्यान संविधान के उन उपबन्धों की ओर आकर्षित किया गया था जिनके अधीन राज्य सरकारों का दायित्व केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों और कार्यालयों के सही संचालन को और विविध राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति, प्रतिष्ठापन तथा संस्थानों की रक्षा को सुनिश्चित करना है । संविधान के अनुच्छेद 256 अथवा अनुच्छेद 257 के अधीन कोई निदेश देने के लिये कोई अवसर नहीं आया है ।

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा के लिये प्रबन्ध करती रही है ।

जनगणना-कार्य

1872. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 की जनगणना-कार्य के लिए अब तक कौन से आरम्भिक प्रम्बन्ध किये गये हैं ;

(ख) क्या जनसंख्या के बारे में भारी आंकड़ों का ब्योरा इस बार इक्ट्ठा किया जायेगा ; और

(ग) क्या जनगणना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का कोई विशेष अध्ययन किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जन-गणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अनुसरण में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 1 मार्च, 1971 का सूर्योदय संदर्भ तिथि मानकर भारत की जनगणना करने के सरकार के इरादे की घोषणा की गई है । अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना-संचालन अधीक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है तथा क्षेत्रीय स्थापनाओं में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई

जा रही है। 1971 की जनगणना में सूचना एकत्रित करने वाली प्रस्तावित अनुसूचियों को, जनगणना सामग्री का प्रयोग करने वालों आदि के साथ कई बार सम्मेलन करने तथा उनकी क्षेत्र में पूर्व-परीक्षा के बाद, अन्तिम रूप दिया गया है। आवश्यक प्रपत्रों तथा प्रश्नावलियों की छपाई के लिए भी उपाय किए गए हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। जनगणना कार्य के भाग के रूप में ऐसा अध्ययन करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से प्रथम श्रेणी के (5-स्टार) होटलों के निर्माण का प्रस्ताव

1873. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से बम्बई में तथा भारत के अन्य बड़े नगरों में कितने प्रथम श्रेणी के (5-स्टार) होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है ;

(ख) सरकार के विचाराधीन आवेदन-पत्रों का ब्योरा क्या है तथा उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) विदेशी सहयोगियों तथा भावी संभावित सहयोगियों के नाम क्या हैं तथा सहयोग की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं ;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन होटलों के द्वारा कितने व्यक्तियों के ठहरने की अतिरिक्त क्षमता हो जाएगी ; और

(ङ) देश में बढ़ते हुए पर्यटक यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बढ़ी हुई क्षमता किस सीमा तक पर्याप्त होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अब तक अनुमोदित किये गये विदेशी सहयोग विषयक करारों के आधार पर चौथी योजना की अवधि में बम्बई में तीन लग्जरी होटल स्थापित किये जायेंगे।

(ख) फिलहाल सरकार के पास विदेशी सहयोग से होटल स्थापित करने के बारे में कोई भी आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं पड़े हैं।

(ग) बम्बई में होटल प्रायोजनाओं के तीन सहयोगों का विवरण नीचे दिया गया है :—

	इन्टरकांटिनेन्टल होटल्स कारपोरेशन, अमरीका के सहयोग से इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा)	शेराटन इन्टरनेशनल इनकारपोरेटेड, अमरीका के सहयोग से ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड (ओबराय)	हिल्टन होटल्स इन्टरनेशनल, अमरीका के सहयोग से मेट्रोपौलिटन होटल्स लिमिटेड (शिव सागर एस्टेट्स)
1. प्रायोजना की अनुमानित लागत	190.00 लाख रु०	625.50 लाख रु०	325.00 लाख रु०
2. होटल का आकार	450 कमरे	400 कमरे	400 कमरे
3. विदेशी पक्ष का धन विनियोजन	16,00,000 रु० (रुपयों में)	52,50,000 रु० (700,000 डालर) विदेशी मुद्रा में	30,00,000 रु० (400,000 डालर) विदेशी मुद्रा में
4. टेकनिकल सहायता शुल्क	1,70,000 डालर योग 20,000 डालर प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए	90,000 डालर अधिमान शेयरों के रूप में	50,000 डालर प्रति वर्ष
5. प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत	कोई उल्लेख नहीं है	50,000 डालर	**
6. प्रचार और आरक्षण के लिए सदस्यता शुल्क	कुल राजस्व का 3% अर्थात् 1,10,000 डालर प्रति वर्ष के लगभग कर लगेगा।	150 डालर प्रति कमरे की दर से अर्थात् 60,000 डालर प्रति वर्ष।	यथानुपात भारत को वास्तव में लागू होने वाली राशि, जमा कुल परिचालन लाभ का 25% उस हालत में जब कि ऐसा लाभ लागत पूंजी के 8% से अधिक नहीं बैठता है; लाभ के

** मूल्य-ह्रास, पट्टा-किराया, नगरपालिका के कर, बीमा और ब्याज इनके सम्बन्ध में कटौती करने के बाद ही कुल परिचालन लाभ ज्ञात किया जा सकता है।

विदेशी पक्षों को दी जाने वाली राशियों पर भारतीय कर सम्बन्धी कानून लागू होंगे।

	इन्टरकांटिनेन्टल होटल्स कारपोरेशन, अमरीका के सहयोग से इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटा)	शेराटन इन्टरनेशनल इनकारपोरेटेड, अमरीका के सहयोग से ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड (ओबराय)	हिल्टन होटल्स इन्टरनेशनल, अमरीका के सहयोग से मेट्रोपोलिटन होटल्स लिमिटेड (शिव सागर एस्टेट्स)
			विनियोजित पूंजी के 8-12% होने की दशा में ऐसे लाभ का 50%, और लाभ के विनियोजित पूंजी के 12% से बढ़ जाने की दशा में $33\frac{1}{3}$% बशर्ते कि लाभ कुल राजस्व का कम से कम 5% हो जो कि राजस्व विदेशी मुद्रा की आमदनी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
7. करार की अवधि	10 वर्ष, जिसे कुल 20 वर्ष तक की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है।	10 वर्ष, जिसे 10 वर्ष के लिये और आगे नवीकृत किया जा सकता है।	10 वर्ष, जिसे एक समय पर 5 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(घ) लगभग 2000 शय्याएं।

(ङ) इन लग्जरी होटलों की स्थापना से तथा देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में अन्य होटल प्रायोजनाओं के निर्माण से बढ़ती हुई होटल आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की काफी पूर्ति हो जाने की सम्भावना है।

राज्यों द्वारा आवश्यक सेवा संचरण अधिनियम को लागू करना

1874. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक आयोग के प्रतिवेदन

में राज्य सरकारों द्वारा अत्यावश्यक सेवा बनाये रखना अधिनियम 1968 स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले में विचार करना और कोई निर्णय लेना मुख्यतया राज्य सरकारों का काम है ।

पंजाब में सप्ताह में पांच दिन कार्य

1875. **श्री रा० की० अमीन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने सप्ताह में केवल पांच दिन काम करने की प्रणाली को अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रणाली केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य उद्योगों के लिए भी व्यवहार्य है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). किसी कानून के अधीन, जो विशेष क्षेत्र में लागू हो, अपने कर्मचारियों के काम के घंटे नियत करना सम्बन्धित राज्य सरकारों और उद्योगों का काम है । केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रत्येक महीने के द्वितीय शनिवार सहित सप्ताह में छः दिन काम करने की प्रणाली है । किन्तु उनके मामले में प्रति सप्ताह काम के घंटों की औसत संख्या वही है जो पंजाब सरकार के कार्यालयों के मामले में है, जिन्होंने सप्ताह में पांच दिन काम करने की प्रणाली को अपनाया है । वर्तमान प्रबन्धों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

Classification of Places of Tourist Interest

1876. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Commission on tourism to examine and classify the places of tourists interest in the country and to bring out a tourist-guide so that the tourists may visit these places conveniently according to their own choice ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

गंगा नदी को अरबसागर से तथा दक्षिण की नदियों को एक दूसरे से मिलाना

1877. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय नौवहन तथा सिंचाई के विकास के लिये गंगा नदी को अरबसागर से तथा दक्षिण की नदियों को आपस में एक दूसरे से मिलाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). गंगा को नर्मदा बरास्ता सोन, नर्मदा को गोदावरी बरास्ता बैनगंगा (गोदावरी की सहायक नदी) और तापी को गोदावरी से मिलाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कुछ प्रारम्भिक अध्ययनों की पहल कर दी गई थी। अन्तर्देशीय जल परिवहन की खोखले समिति (1959) जिसने इन प्रारम्भिक अध्ययनों की जांच किया था उनकी सिफारिश की थी कि नदियों को मिलने के प्रश्न पर आगामी 30 वर्षों में जबकि नदियां उस समय से एक बड़ी सीमा तक नौचालन योग्य बना दी जायेंगी विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद विचार किया जाये। इन अध्ययनों पर आधारित अभी कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई है।

Development of Roads in Rural Areas

1879. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Bhagaban Das :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Road Congress in its seventy-first meeting has recommended a six point programme for the development of roads in the rural areas ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the estimated expenditure involved ; and

(d) the reaction of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) No estimate of the expenditure involved has been given by the Indian Road Congress as their recommendations cover a number of fields such as priorities, organisation, etc.

(d) Rural Roads primarily fall within the sphere of State activities. The recommendations of the Indian Road Congress regarding planning, priorities, organisation, etc. have to be implemented by the State Governments, and the expenditure involved in the development of these roads has to be met by them as part of their plans. The Fourth Five-Year Plan does not provide for any "earmarked" Central assistance for rural roads.

Statement

Recommendations made by the Indian Roads Congress at the 71st Session of its Council at Bhubaneshwar in respect of development of roads in the rural areas:

(i) State Governments should earmark specially for rural roads at least 25% of the State Plan allocation for roads. Of this 25%, 40% may be met with by the Government of India ;

(ii) The Ministry of Food and Agriculture, Government of India, should be requested to set apart a portion of their allocation for rural roads connecting villages with markets ;

(iii) Amounts earmarked for rural roads should in no case be diverted to any other projects ;

(iv) Particular emphasis should be laid on the completion of roads connecting villages with markets ;

(v) All the rural works in a State should be looked after at least by a separate engineering organisation and where work load is sufficient by full fledged engineering department preferably headed by a Chief Engineer and in matters concerning execution of works, the opinion of technical staff should generally be accepted; and

(vi) High level Boards in each State for examining the broad aspects of planning, fixing priorities allocation of funds as well as for evaluating the progress made should be set up.

कन्नड़ की पुस्तकों का अनुवाद

1880. **श्री स० अ० अगडी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नड़ की अनेक पुस्तकें, जिनका भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जाना था, गत कई वर्षों से साहित्य अकादमी के पास पड़ी हुई हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) इसी प्रकार भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की कितनी पुस्तकें जिनका कन्नड़ में अनुवाद किया जाना था, गत कई वर्षों से अकादमी के पास पड़ी हैं ;

(ग) क्या इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये कोई उपाय किये गये है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ङ) क्या अनुवाद कार्य सौंपते समय क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से परामर्श किया जाता है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । विभिन्न भाषाओं में चार कन्नड़ पुस्तकों का अनुवाद कार्य, फिलहाल, निलम्बित पड़ा हुआ है ।

(ख) चार भारतीय श्रेण्य ग्रन्थों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद कार्य फिलहाल, निलम्बित पड़ा हुआ है ।

(ग) और (घ). सम्बन्धित अनुवादकों को समय समय पर याद दिलाया गया है और सम्बन्धित भाषा के सलाहकार बोर्ड को, उपयुक्त समय पर स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक भाषा में अकादमी का अपना साहित्यिक सलाहकार निकाय है । इन सलाहकार मण्डलों में प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक और आलोचक हैं तथा अनुवाद कार्य सिफारिश के आधार पर ही दिया जाता है ।

Certificates for Freedom Fighters

1881. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India have decided to issue certificates in favour of India's freedom fighters ;

(b) the measures adopted by Government to bring about uniformity in the scale of assistance or pension being given to the patriots by the State Governments throughout the country ; and

(c) the provision made by the Central Government in respect of the Union territories in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) Relief and rehabilitation of freedom fighters is primarily the responsibility of the State Government and the Union territories. The conditions for treating a person as a freedom fighter followed by the Government of India have been communicated to them.

(c) Apart from grant of educational concessions to the children of freedom fighters under the scheme formulated by the Ministry of Education, provisions for grants to freedom fighters have been made in the current year's budgets for following Union territories ;

Delhi	Rs. 19,000/-
Himachal Pradesh	Rs. 40,000/-
Goa, Daman and Diu	Rs. 50,000/-

Discretionary Grants of the Administrators, Chief Ministers of Pondicherry and Tripura are also utilised for giving such grants. Besides, grants from Home Minister's Discretionary Grant are given to freedom fighters in need in all Union territories also.

भारतीय भाषाओं का विकास

1883. **डा० रानेन सेन :** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र अपनाये जाने के बाद भी केन्द्र ने हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय अथवा अन्य सहायता देने के प्रयत्न नहीं किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में प्रचलित भारतीय भाषाओं की प्रगति के लिये धन की सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में अकुशलता को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने के सुझाव दिये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य में प्रचलित भाषाओं के विकास हेतु सहायता के लिये राज्यों की सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भारत सरकार ने अपनी ओर से भारतीय भाषाओं के विकास के लिये कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं ।

2. उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार द्वारा 1968-69 से छः वर्षों तक प्रति वर्ष प्रत्येक उस राज्य सरकार को एक करोड़ रुपया देना है जिसके अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय हैं । राज्य सरकारों ने यह कार्य अपने विश्वविद्यालयों के सहयोग से आरम्भ किया है और 1968-69 में विभिन्न राज्य सरकारों को 34,47,828 रुपये दिये गये थे और चालू वर्ष में 4 लाख रुपये प्रत्येक राज्य सरकार को पहले ही दे दिये गये हैं । उनसे कहा गया है कि यदि उन्हें और राशि चाहिये तो वह उनके द्वारा मांगने पर उपलब्ध की जा सकती हैं ।

3. चूंकि उर्दू बिना किसी राज्य की होते हुए एक महत्वपूर्ण भाषा है भारत सरकार ने 'तरक्कीए उर्दू बोर्ड' की स्थापना की है जो उर्दू में शैक्षणिक साहित्य तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा ।

4. क्षेत्र से बाहर की भाषाओं को पढ़ाने को बढ़ावा देने के लिये मंत्रालय की एक अन्य योजना के अनुसार उन स्वैच्छिक एजेन्सियों के 75 प्रतिशत तक व्यय को सहन करना है जो क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषा के पढ़ने वालों को वे भाषाएं पढ़ायेगी । यह गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में गैर-हिन्दी भाषाओं पर लागू होता है ।

5. हिन्दी में गैर-हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों द्वारा लेखन को प्रोत्साहित करने

के लिये मंत्रालय ने एक योजना चालू की है जिसके अनुसार प्रतिवर्ष चुने हुए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों पर पुरस्कार दिये जायेंगे ।

6. भाषा अध्यापन के मामले में व्यक्तियों और उपकरणों की कमी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने देश के चार क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है । इनमें अल्पकालीन और पूरे समय के विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होगी । आरम्भ में इनमें यह हिन्दी भाषा के अध्यापकों के गैर-हिन्दी भाषाओं में प्रशिक्षण तक सीमित होगा । परन्तु इसकी व्यवस्था भी होगी गैर-हिन्दी अध्यापक अपनी भाषा में गैर-हिन्दी भाषा सीख सके ।

7. सरकार ने हाल में भारतीय भाषाओं के लिये एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की है । यह संस्थान मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में इतिहास, शब्दावली, शब्द भंडार, पारस्परिक सम्बन्ध, व्याकरण, सांस्कृतिक तथा साहित्यक विषयों में एकता का पता चलायेगी । यह कबीलों की भाषाओं, उनकी भाषाओं को पढ़ाने आदि का कार्य देखेगी । उर्दू तथा सिंधी जो किसी राज्य की भाषाएं नहीं हैं की ओर भी केन्द्रीय भाषा संस्थान द्वारा विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बम्बई स्थित कर्मचारियों की शिकायतें

1884. **डा० रानेन सेन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बम्बई स्थित कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा यूनिफार्म की सप्लाई के प्रश्न के बारे में गम्भीर शिकायतें हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी हैं ; जो अधिकारियों द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). बम्बई में 30 मई, 1969 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष हुई समझौते की संयुक्त बैठक के दौरान एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन ने निम्न विषय उठाये :

1. श्री मिश्र, क्लीनर, से सम्बन्धित 137 रुपये की यात्रा-भत्ते की वसूली ।
2. ग्रेड 3, 6 में मकैनिकों के पद की रिक्ति ।
3. प्रवरता सूची की शुद्धि ।
4. श्री मिराण्डा, केजुअल क्लीनर, की सेवा की समाप्ति ।
5. वर्दी देने में विलम्ब ।

6. प्रोग्रेस क्लीनरों को ड्यूटी भत्ता ।

7. कटौतियों की वापसी ।

8. यूनियन कर्मचारियों को नये टर्मिनल भवन में प्रवेश के लिये पास जारी करना ।

इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग के समझौते की कार्यवाही के दौरान 1,4 और 8 वीं मांगे स्वीकार कर लीं । माल सप्लाई करने वालों से माल प्राप्त न होने के कारण कुछ एक वर्ग के कर्मचारियों की ग्रीष्मकालीन वर्दियां बांटने में कुछ विलम्ब हुआ है, जिसके लिये प्रबन्धक-वर्ग यूनियन से खेद प्रकट कर चुके हैं । शेष चार मांगों पर यूनियन के साथ समझौते की कार्यवाही चल रही है ।

बाद में यूनियन ने कार्पोरेशन को 49 मदों की एक सूची प्रस्तुत की जिसमें उपरोक्त 8 मांगों सहित 64 मांगें पेश की गईं । इन मांगों की कार्पोरेशन द्वारा बतायी गई स्थिति इस प्रकार है :

विचाराधीन	..	..	21
अमान्य, जिनकी सूचना यूनियन को दे दी गई है	..	..	18
मान ली गई मांगें	..	..	10
जांच की जाने वाली नई मांगें	..	..	15
	योग	..	64

Intimation to applicants regarding disposal of their applications

1885. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the vacancies for the various posts falling vacant in various Ministries and their Attached Offices are advertised in newspapers and Postal Order worth Rs. 2/-, Rs. 5/- or Rs. 10/- is demanded along with each application;

(b) whether it is also a fact that intimation regarding the application is not given to all the candidates, whereas the U.P.S.C. gives every kind of information and some percentage of money deposited with the application is refunded to those candidates whose applications are rejected;

(c) if so, the reasons why other Ministries do not follow the same procedure as followed by the Union Public Service Commission ; and

(d) the steps taken by Government to check this kind of anomaly?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). Generally, recruitment to the posts in various Ministries and attached

offices is either made through U.P.S.C. or through Employment Exchange/DGE & T. Where recruitment is made through UPSC, the application fee payable by candidates who apply for posts filled by selection is fixed at Rs. 2/- in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates and at Rs. 8/- in respect of other candidates. The fee (which includes application fee and examination fee) paid by candidates for various examinations held by the UPSC ranges from Rs. 3/- to Rs. 20/- in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates and from Rs. 12/- to Rs. 80/- in case of other candidates.

The UPSC refund fees only in the following cases:

(a) Full application fee in the case of selection and full fee (including application fee) in the case of Examination is refunded to the candidates when:

(i) applications from the candidates are not considered owing to late receipt, or for any reason ; or

(ii) examination is cancelled ; or

(iii) selection is cancelled where such cancellation is done before interviews for selections are held by the Commission.

(b) In the case of examinations, while the application fee is not refundable, three-fourths of the examination fee is refunded in the case of candidates whose applications are rejected on grounds of ineligibility or where they are permitted to withdraw.

In the case of recruitment through Employment Exchanges/DGE & T the posts may be advertised, if suitable candidates are not available with the Employment Exchanges. Where recruitment to posts in Ministries/Attached Offices is made by advertisement issued by the DGE & T, no application or examination fee is charged. Applications received by the DGE & T in response to advertisements after scrutiny are forwarded to the employing establishments for their consideration. The general practice in Government organisations is to inform the persons who are not called for interview that they have not been selected for the post. However, since no examination or application fee is charged recruitment to posts in the Ministries and their attached offices, advertised by the DGE&T, the question of refund of such fees to the candidates does not arise.

रायल्टी पर बसों को किराये पर लेने की प्रणाली का पुन: लागू किया जाना

1886. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री भगवान दास :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० सी० एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री शशि भूषण :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन कर्मचारी संघ ने रायल्टी पर बसों को किराये पर लेने की प्रणाली के पुन: लागू किये जाने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन में उठाई गई बातों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों के लिये अनुदान

1887. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने आठ गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान देने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो कालेजवार कितने अनुदान की मंजूरी दी गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता का रांची, गया तथा पटना होकर काठमांडू के साथ विमान सम्पर्क स्थापित करना

1888. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता का रांची, गया तथा पटना होकर काठमांडू के साथ विमान सम्पर्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको कब अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइन्स पहले से ही कलकत्ता से काठमांडू सप्ताह में तीन दिन सीधी, और सप्ताह में छः दिन पटना के मार्ग से विमान सेवा परिचालित कर रहे हैं । कलकत्ता और दिल्ली के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की दैनिक 'फ्रेन्डशिप' सेवा पर रांची एक अनुसूचित विराम है और रांची से यात्री पटना उतर कर काठमांडू जा सकते हैं ।

नवम्बर, 1969 से इण्डियन एयरलाइन्स का गया को कलकत्ता और पटना के साथ विमान मार्ग पर मिलाने का प्रस्ताव है । तब गया से यात्री पटना होते हुए काठमांडू जा सकेंगे ।

Arrest of Foreign Spies

1889. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7624 on the 25th April, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the number of foreign spies arrested in the

country during the last three years as referred to in parts (a) and (b) of the question, has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which the same will be collected and laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Based on the information furnished by the State Governments, a statement is laid on the Table of the House. Information from Jammu and Kashmir and Assam Government is awaited.

Statement

State	Year	No. of foreigners arrested on suspicion of espionage	Countries with which they are connected
Punjab	1966	5	Pakistan
	1967	15	,,
	1968	13	,,
Delhi	1966	..	
	1967	1	,,
	1968	1	,,
Bihar	1966	1	,,
	1967	..	
	1968	..	
Tripura	1966	..	
	1967	..	
	1968	3	,,
NEFA	1967	4	China
	1968	1	,,
Rajasthan	1966	..	
	1967	3	Pakistan
	1968	1	,,
West Bengal	1966	2	,,
	1967	..	
	1968	..	

2. Information from Jammu and Kashmir and Assam Governments is awaited.

3. In the remaining States and Union Territories no foreigners were arrested on suspicion of espionage during the period 1966—68.

Gandhi Centenary Celebrations

1890. **Shri Valmiki Choudhary:**

Shri Sradhakar Supakar:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the details of programmes chalked out for celebrating the Gandhi Centenary Year;

(b) the nature of Government's contribution in the implementation of those programmes and the amount likely to be spent by them;

(c) whether any special programme would be organised to eradicate the unemployment among the educated and trained persons; and

(d) if so, the details thereof and the amount of expenditure which Government would incur thereon?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) A statement giving the information is laid on the Table of the House.

(b) The National Committee for the Gandhi Centenary is in charge of programmes for the celebration of the Centenary. During the period 1965-66 to 1969-70 (so far) grants amounting to Rs. 1,22,00,000 have been paid to the National Committee. A further amount of Rs. 75,00,000 is likely to be paid to the National Committee during the current financial year. An aggregate amount of Rs. 1,97,00,000 is expected to be spent for the celebration of Centenary.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

Constructive programmes on which Mahatma Gandhi laid emphasis are being re-vitalized and will be implemented throughout the country by the National Committee for the Gandhi Centenary through the agency of its various sub-committees and by the State Gandhi Centenary Committees. The programmes chalked out by the National Committee for the Centenary are the following:

(i) **Gandhi Darshan**

An international exhibition known as "Gandhi Darshan" projecting Gandhiji's life, message and philosophy will be held at Rajghat Samadhi, Delhi, from the 2nd October, 1969 to the 22nd February, 1970. Two Gandhi Darshan trains will also tour the country.

(ii) **Seminars**

Seminars have been held in many Universities on the theme "Relevance of Gandhiji for our time". Similar seminars will be held by other Universities and educational institutions during the year. An international seminar on Gandhiji will be held by the National Committee in India in January 1970. UNESCO has decided to hold an international symposium in Paris from 14th to 17th October, 1969 to discuss the subject "Truth and Non-Violence in Gandhi's Humanism".

(iii) **Bibliography**

A comprehensive bibliography of whatever has been written so far by Gandhiji or about Gandhiji in every language of the world is being compiled. It is likely to be published in 1972.

(iv) **Mass Contact**

In order that Gandhiji's message and teachings reach every home in the country, camps for mass contact have been held and a large number of calendars, badges, pictures, folders etc. have been and are being distributed on an all-India basis.

(v) **Media of Mass Communication**

In order to disseminate information regarding Gandhiji's life and message, the AIR is broadcasting speeches, talks and other programmes on Gandhiji. The Press Information

Bureau is releasing articles and photographs to the Press and the Directorate of Advertising and Visual Publicity is distributing badges, diaries, calendars, etc. Twenty titles of books on Gandhiji are planned to be brought out during the Centenary Year and several thousand copies of two books "Message of Mahatma Gandhi" and "Lessons from Gandhiji" are being distributed free. The 30,000 feet film "Mahatma" has been released and commentaries are being dubbed in the various regional languages. A series of other films on Gandhiji's relevance to India's life today are under preparation.

(vi) **Social Programme**

Under social programmes, the main emphasis is on Bhangi Mukti and Prohibition. The State Governments have been requested to amend the municipal bye-laws so that no new construction is allowed without the provision of water-borne latrines. Camps and conferences, including one seminar, have been held to create a favourable social climate for Bhangi Mukti. Work has been and is being undertaken to influence public opinion in favour of prohibition, in active co-operation with the All India Prohibition Council.

(vii) **Constructive Programme**

To create an appropriate climate for the successful implementation of the triple objective of promotion of Khadi; Bhoodan and Shanti Sena, Seminars, camps and conferences are being held. Twelve folders, eight posters and eight book-lets have been brought out to popularise gramdan and other constructive activities. Three sets of a mobile exhibition and a photo exhibition of 50 photographs are being displayed.

(viii) **National Integration**

In order to promote national unity and integration, an anthology of selections from the literature in each of the Indian languages is being published in English and Hindi. A collection of representative National Songs in the regional languages is being compiled. Action is being taken to popularise among children books having a bearing on Gandhiji or Nationalism. National Integration Samitis established in universities and public undertakings are continuing activities for organisation of symposia, study circles, exhibitions, dramas, cultural programmes, exchange of visits between students of different universities, lectures on literature, history and culture of regions other than those in which the Samitis are located, etc.

(ix) **Welfare of Women and Children**

As the Gandhi Centenary Year is also the birth centenary of Kasturba Gandhi, it is being celebrated as the Ba-Bapu Centenary. The programmes undertaken include fighting social evils such as Dowry, Child marriage, Immoral traffic, Untouchability etc., conducting study centres, tackling problems of beggary and child labour, setting up of balwadis in backward areas and creches-cum-balwadis at Mohalla level, nutrition programme etc.

(x) **Basic Amenities for Human Living**

It is proposed to undertake operations for providing drinking water wells in at least one lakh villages by the 2nd October, 1970. Volunteers will be enlisted to survey the places requiring drinking water facilities. Offers for digging 25,000 wells have been received.

(xi) **Gandhi Centenary Abroad**

About 93 countries are participating in the observance of the Gandhi Centenary. 333 exhibition kits on Mahatma Gandhi containing books by and on Gandhiji, photographs, film strips, tape records, statuette of Gandhiji, replica of Sabarmati Ashram and hut, charkha and takli, have been distributed in foreign countries. The number of books and phatographs so far sent is 27603 and 39170 respectively. Two copies of the film 'Mahatma' have been sent abroad and more films will follow. Fifty photographic exhibitions on Gandhiji will be despatched to foreign countries in September 1969. Several countries have and are bringing out stamps in honour of Gandhiji. In some countries streets are being named after him and his statue is being installed.

Arms Recovered in J & K, Rajasthan, Assam and Naga Hills

1891. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7620 on the 25th April, 1969 and state :

(a) whether the information in regard to the arms and ammunition, recovered in Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam and Naga Hills has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the same will be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A statement containing the required information in respect of Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam and Nagaland, is laid on the Table of the House.

Statement

(a) whether it is a fact that a large quantity of foreign arms and ammunition has been recovered from Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam and Naga hills areas;

(b) if so, the details of the arms and ammunitions recovered from these areas from the 1st January 1965 to date ; and

(a) and (b). The following arms and ammunition were recovered from the areas in question during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1968 ;

Jammu and Kashmir	Revolvers	5
	Rifles	11
	Hand grenades	37
	Pistols	1
	Rounds	1,074
	Guns	30
	2″ Mortar bomb/Shell	3
	Gun powder	12 Kgs.
	Live mines	3
	Small tin containing explosives	1
	H. C. Detonators	3
Rajasthan	No arms or ammunition was recovered.	
Assam	Cartridges	1,308
	Special gelatine	164
	Percussion caps	100
	Rifle barrels	25
	Gun powder (exact quantity not given)	Some
	Revolver	1
	Plastic bomb	1
	Correstive cap	1
	(these are excluding the arms and ammunition recovered by security forces from Mizo hostiles).	
Nagaland	Truncheon Gun	1
	Pistol	1
	Sten gun	1
	SBBL 12 Bore gun	2
	LMG	3
	Rifles	4

	Rocket Launcher	1
	60 mm Mortar	1
	7.62 mm SLR	2
	V. Light Pistol	1
	K-52	93
	DAC-51	47
	Cartridges	36
	7.62 ammunition	420
	Ammunition for rifle	16
	Hand grenades	31
	60 mm bombs	3
	Rockets	4

(c) the number of Indian and foreign citizens arrested in this connection and the action taken against them ?	**Jammu and Kashmir**	48 persons were arrested and 48 cases were registered against them. Out of these 4 cases ended in conviction, 13 cases are sub-judice, 29 cases are under investigation and 2 cases were closed as not admitted.
	Assam	Besides Mizo hostiles 15 persons including one foreigner were arrested. Out of them one (foreigner) was prosecuted and convicted. Cases against 7 Indians are pending in court and cases against 7 Indians are under investigation.
	Nagaland	948 persons including 3 suspected Pak Nationals and 10 Burmese Nationals were arrested.

Financial Assistance to Security Force Personnel Killed by Hostile Nagas and Mizos

1892. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 7619 on the 25th April, 1969 regarding Financial Assistance to Security Force Personnel killed by hostile Nagas and Mizos and state :

(a) whether Government have since collected the information in this regard ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which same will be collected and laid on the Table of House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The families of the five persons who were killed as mentioned in the answer to the Unstarred Question No. 1758 dated 22. 11. 1968 were given family pension and gratuity and also paid a total sum of Rs. 2,000 from the Army Relief Fund.

(c) Does not arise.

Bringing Back to India Original Manuscript of 'Geet Govinda'

1893. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the original manuscript of 'GEET GOVINDA' written by the poet Shri Jaidev is in England ;

(b) whether Government are considering any such proposal under which it could be brought back to India and placed at his place of birth, Kenduli ; and

(c) if so, the steps Government propose to take for acquiring the original manuscript and the time by which it is likely to be received ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Government have no information in the matter.

(b) and (c). Do not arise.

अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ विदेशी सहयोग

1894 **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक पर्यटकों के आकर्षित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखला के साथ विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). क्योंकि विदेशी पर्यटकों के लिये भारत में उपयुक्त होटल आवास स्थान की अत्यधिक कमी है, अतः प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के सहयोग से होटलों का खुलना विदेशी पर्यटन विकास के लिये मूल्यवान देन है। किसी भी सहयोग प्रस्ताव के प्राप्त होने पर उसकी पर्यटन को होने वाले लाभ और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, उसके गुण-दोषों के आधार पर जांच की जाती है। अब तक ऐसे चार सहयोगों को अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यटन विकास के लिये राज्यवार धन का आवंटन

1895. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास के लिये राज्यवार (एक) पहली (दो) दूसरी (तीन) तीसरी (चार) चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये राज्यवार तथा कितने-कितने धन का आवंटन किया गया है ;

(ख) (एक) पहली, (दो) दूसरी, (तीन) तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में

राज्यवार, पर्यटन विकास के लिये कितना-कितना धन वस्तुतः व्यय किया गया ; और

(ग) कलकत्ता में भारत सरकार का पर्यटन कार्यालय क्या कार्य कर रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पहली पंच-वर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिये कोई धन की व्यवस्था नहीं की गई थी। बाद की योजनाओं में पर्यटन के लिये किये गये धन विनियतन तथा राज्यवार व्यय संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1486/69]**

(ग) भारत सरकार के अन्य पर्यटन कार्यालयों की तरह कलकत्ता का कार्यालय भी एक सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय है, जिसका मुख्य दायित्व पर्यटकों को सूचना प्रसारित करना तथा पूर्वी क्षेत्र में यात्रा व्यवसाय के विभिन्न खण्डों एवं राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना है।

'यू० एस० फैक्ट्स स्पीक अबाउट एड एण्ड एजूकेशन' नामक पुस्तक

1896. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी साम्राज्यवादी घुसपैठ विरोधी मोर्चा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई 'यू० एस० फैक्ट्स स्पीक अबाउट एड एण्ड एजूकेशन' (सहायता तथा शिक्षा के सम्बन्ध में अमरीकी तथ्य) नामक शीर्षक वाली पुस्तिका की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार के पास 'फोर्ड फाउण्डेशन' और 'राकफेलर फाउण्डेशन' के बारे में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है जिनकी दिल्ली में गतिविधियों के बारे में उक्त पुस्तिका में टीका-टिप्पणी की गई है। जहां तक भारतीय अनुसंधान तथा विद्वानों की अपनी उपयोगी परियोजनाओं के लिये विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम करने का आम प्रश्न है, 14 मई, 1969 को लोक सभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास का प्रस्ताव

1897. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिफारिश पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 1964 में विकास सम्बन्धी प्रस्ताव बनाने के लिये एक छोटा योजना दल बनाया था ;

(ख) क्या दो अमरीकी व्यक्ति विशेष निमंत्रण पर इस योजना दल में थे ; और

(ग) यदि हां, तो उन दो अमरीकियों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां, ऐसे आयोजन दल का गठन, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की दीर्घकालीन योजनाओं, विशेष रूप से चौथी आयोजना के लिये योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय के विकास की कुछ विशिष्ट समस्याओं पर सलाह देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा 1964 के बाद बहुत से विशेषज्ञ आमंत्रित किये गये थे। आयोजन दल की बैठकों में जिन अमरीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया वे हैं :

1. डा० वी० एम० हनचर (फोर्ड प्रतिष्ठान सलाहकार)
2. प्रो० सी० गिल पैट्रिक (दर्शन-शास्त्र में विजिटिंग प्रोफेसर)
3. डा० ई० सी० वाटसन (केलिफोर्निया भौतिकीविद्)
4. डा० रोबर्ट गौहीन (प्रधान, प्रिन्सटन विश्वविद्यालय)
5. डा० एफ० सी० वार्ड (फोर्ड प्रतिष्ठान का अमरीकी शिक्षा कार्यक्रम)
6. डा० मालकम एम० बिल्ले (उच्च शिक्षा के विषय में फोर्ड प्रतिष्ठान के सलाहकार)
7. श्री जान मासलैण्ड (कार्यक्रम सलाहकार शिक्षा प्रतिष्ठान)
8. श्री जे० डी० बेटमेन (शिक्षा सलाहकार, फोर्ड प्रतिष्ठान)
9. श्री जान ब्रेसनेन (फोर्ड प्रतिष्ठान, न्यूयार्क का अधिकारी)
10. श्री लिओनार्ड सी० मीड (वरिष्ठ शिक्षा सलाहकार, फोर्ड प्रतिष्ठान)

राष्ट्रीय फिटनेस कोर निदेशालय में नियुक्तियां

1898. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिटनेस कोर निदेशालय में नई नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के बावजूद भी महा-निदेशक, निदेशक, वरिष्ठ अधीक्षक (बन्द हुए प्रशिक्षण केन्द्र के पदों को स्थानान्तरित करके), ड्राइवर तथा चौकीदार के पद भरे गये हैं : और

(ख) प्रथम दो पदों को काफी लम्बे समय से तदर्थ आधार पर जारी रखने के क्या कारण हैं तथा क्या वे इन पदों के लिये बनाये गये भर्ती नियमों की शर्तों को पूरा करते हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) ये नियुक्तियां जन-हित में तथा सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से की गई थीं।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद पर महानिदेशक की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई थी, किन्तु निदेशक, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद पर नियुक्ति भर्ती के नियमों के अनुसार नियमित रूप से की गई थी। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के प्रशासन को विकेन्द्रीकरण करने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लेने तक, दोनों पद चलेंगे।

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा नेफा सचिवालय की फाइलों का जब्त किया जाना

1899. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 नवम्बर, 1968 को कलकत्ता के "दि हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" समाचार-पत्र में प्रकाशित हुए "नेफा में असंगतियों" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने नेफा सचिवालय के पूर्ति विभाग से सम्बन्धित कुछ फाइलों को जब्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो फाइलों को अकस्मात जब्त किए जाने के क्या कारण हैं और क्या केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नेफा की इन असंगतियों के बारे में जांच नहीं की जा रही है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि नेफा के परामर्शदाता आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं और यदि हां, तो क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्, किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा फाइलें जब्त करने के बारे में कोई समाचार नहीं हैं। फिर भी, यह सच है कि सम्भरण विभाग, नेफा की कुछ फाइलें एक जांच के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ली गई हैं।

(ख) सम्भरण व परिवहन विभाग, नेफा द्वारा सम्भरण के आदेश जारी करने में कदाचारों के आरोपों से सम्बन्धित एक जांच के दौरान फाइलें ली गई थीं। योजना के अनुसार जांच चल रही है।

(ग) जांचाधीन मामले में असम के राज्यपाल के सलाहकार के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।

मसकी (मैसूर राज्य) में खुदाई कार्य

1900. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के रायचूर जिले में मसकी स्थित ऐतिहासिक स्थान की गत 15 वर्षों में खुदाई की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो मसकी में किस वर्ष में खुदाई की गई थी, प्राप्त हुई वस्तुओं का ब्योरा क्या है और वे किस शताब्दी की हैं तथा खुदाई पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या यह सच है कि मसकी खुदाई पूरी नहीं हुई थी और धन की कमी के कारण बीच में ही छोड़ दी गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1953-54 में ।

खुदाई का उद्देश्य 1947 में ब्रह्मागिरि की खुदाई के समय प्राप्त सांस्कृतिक क्रम की जांच करना तथा उसे और स्पष्ट करना था । आदि निवासियों का सांस्कृतिक उपस्कर ताम्र-पाषाणिक प्रकृति का था जैसा कि लघुअश्म (सर्का 1500-1300 ई० पू० दिनांक तक) के साथ तांबे की वस्तुओं के पाये जाने से सिद्ध होता है । द्वितीय वास से, काले और लाल मिट्टी के बर्तन समेत कब्र के फर्नीचर सहित एक परिपूर्ण लौह कालीन महापाषाण संस्कृति (सी० तीसरे से पहली शताब्दी ई० पू०) का पता चला । वास के अन्तिम काल को 'आंध्र काल' (प्रथम-द्वितीय शताब्दी ए० डी०) के नाम से पुकारा जाता था जैसा कि सातवाहन सिक्कों और सुविख्यात भूरे रंग के रोगन किये हुए बर्तनों के मिलने से सिद्ध होता है । खुदाई पर 9,000 रुपये खर्च किये गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

मैसूर राज्य स्थित बनवासी में पाये गये पुरावशेषों की जांच

1901. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के उत्तरी कनारा जिले के बनवासी स्थान पर हाल में पाये गये पुरावशेषों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा चुकी है और क्या इसका निश्चय हो गया है कि वे किस शताब्दी के हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाये गये पुरावशेषों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां । पुरावशेषों की भारतीय पुरातत्वीय विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है । उस स्थान पर पाये गये मिट्टी के बर्तन तथा सिक्के सर्का तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ए० डी० के काल के अन्तर्गत आते हैं ।

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर क्षति

1902. **श्री पी० पी० एस्थोस** : **श्री नम्बियार** :
श्री वि० कु० मोडक : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लड़कियों के बारे में विशेष निर्देश देते हुए प्राथमिक स्तर पर क्षति की समस्या के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष की ओर से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। राष्ट्रीय परिषद् ने निम्नलिखित सिफारिश की है :

"अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि लड़कियों की निम्न प्राइमरी शिक्षा की 70 प्रतिशत बरबादी इसलिये होती है क्योंकि लड़कियों को घर पर परिवार के छोटे बच्चों की मुख्य रूप से देखभाल करने के लिये रोक लिया जाता है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने प्रत्येक जिले में एक प्रायोगिक परियोजना लागू करने की सिफारिश की है जो प्राथमिक पाठशालाओं की बालवाड़ी तथा बालगृहों से सम्बद्ध हो ताकि छोटे बच्चों की देखभाल ठीक-ठीक हो सके तथा बड़ी लड़कियों को स्कूलों में जाने का अवसर मिल सके। यह उचित ही होगा यदि बालवाड़ियों तथा बालगृहों को देखभाल का कार्य भी स्थानीय महिलाओं, समाज सेविकाओं अथवा स्थानीय महिला मण्डल और/अथवा अध्यापिकाओं के संरक्षण में कुछ विशेष भत्ता देकर कराया जाये। इस प्रायोगिक परियोजनाओं के लिये पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था की जानी चाहिये, और स्कूलों में लड़कियों की प्रगति, दाखिले और उपस्थिति पर इस प्रयास का कितना प्रभाव होता है इसका पुनरीक्षण करना चाहिये।"

(ख) और (ग). यह सिफारिश सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वयन के लिये भेज दी गई है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रायोगिक परियोजना को चालू करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

अमरीकी सरकार द्वारा मुकाबले की क्रांतिकारी शक्ति आन्दोलनों के मुकाबले के लिये सहायता

1903. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी सरकार अब अमरीकी श्रमिक संघ संगठन को अविकसित देशों में क्रान्तिकारी शक्ति आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए उसके विश्वव्यापी कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत में उन कार्मिक संघों की जांच करने का है, जिसको अमरीकी श्रमिक संघ संगठन से वित्तीय सहायता मिल रही है ; और

(ग) उन श्रमिक संघों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गांधी शताब्दी तथा गालिब शताब्दी समारोह

1904. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी के लिये सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है तथा जनता से कितना धन एकत्र किया गया है ;

(ख) गालिब शताब्दी के लिये सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है तथा जनता से कितना धन एकत्र किया गया है ;

(ग) गालिब शताब्दी को इतनी धूमधाम तथा उत्साह के साथ मनाने के क्या कारण हैं ;

(घ) भारत में उर्दू पढ़ने वालों की तथा गालिब के उर्दू काव्य को समझने वालों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) गालिब शताब्दी समारोह पर इतना अधिक धन खर्च करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) गांधी शताब्दी समारोह का उत्तरदायित्व एक राष्ट्रीय समिति का है, जो एक पंजीकृत सोसायटी है। सरकार ने गांधी शताब्दी संबंधी राष्ट्रीय समिति को अब तक 1.22 करोड़ रुपये का सहायता-अनुदान दिया है। गांधी शताब्दी को मनाने के लिये राष्ट्रीय समिति जनता से धन एकत्रित नहीं कर रही है।

(ख) इस मन्त्रालय ने अखिल भारतीय गालिब शताब्दी समिति को कुल 20 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, जिसमें से, 15 लाख रुपये गालिब स्मारक के निर्माण के लिये थे तथा शेष 5.00 लाख रुपये समारोहों के लिये थे। समिति ने अब तक अपने साधनों से 10,23,048.05 रुपये एकत्रित किये हैं जिसमें 31,000 रुपये राज्य सरकारों से भी सम्मिलित हैं।

(ग) और (ङ). महान कवि गालिब की शताब्दी अखिल भारतीय गालिब शताब्दी समिति द्वारा मनाई गई थी। समिति को सम्बन्धित अनुदान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये दिया गया था कि गालिब एक भारतीय कवि था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। वह जन समूह का कवि था। वह निःसन्देह एक महान साहित्यिक प्रतिभा थी तथा उनमें मानव जीवन का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करने की तथा स्वतंत्रता संग्राम के समय में विद्यमान वातावरण और परिस्थितियों को प्रस्तुत करने की असाधारण योग्यता थी।

(घ) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं जो भारत में उर्दू पढ़ते हैं तथा जो गालिब की उर्दू कविता को समझते हैं।

गांधी हत्या काण्ड की जांच

1905. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अपराधियों को दण्डित करने के लिये गांधी हत्या सम्बन्धी जांच पर

कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) एक सदस्य वाले कपूर आयोग पर अब तक व्यय किए गए धन का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत की संविधान सभा (विधान) में 7 दिसम्बर, 1949 को तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर में बताया गया था कि महात्मा गांधी हत्या संबंधी मामले में 9,64,338 रु० 3 आने का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 686 पौंड 19 शि० 7 पै० प्रिवी कांउसिल में अपील की कार्यवाहियों पर खर्च किये गये। कुछ फीस प्रिवी काउन्सिल में सुनवाई के दौरान आशुलिपि में नोट की पूरी प्रतिलिपि तैयार कर लेने पर भी खर्च की गई।

(ख) 31-7-69 तक जांच आयोग (महात्मा गांधी हत्या मामला) पर 1,70,614 रु० 18 पै० की एक रकम अध्यक्ष और स्टाफ के सदस्यों के वेतन, और भत्ते तथा टी० ए०/डी० ए० के रूप में तथा गवाहों के टी० ए० इत्यादि के रूप में खर्च की गई।

Riots in Indore

1906. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the assistance provided by his Ministry to the State Government in regard to communal riots that broke out in Indore ;

(b) the outlines of the orders issued to the Government of Madhya Pradesh in regard to the implementation of the National Integration Committee's suggestions ;

(c) whether arrangements are being made to send there a special study team of the National Integration Committee to take some effective steps in this regard ;

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ;

(e) whether the National Integration Committee have worked out a scheme for taking steps on such occasions ; and

(f) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The maintenance of public order being a subject in the State List, necessary action in the matter was taken by the State Government. The Central Government remained in touch with the State Government regarding the situation.

(b) The recommendations of the National Integration Council were forwarded on 20th July, 1968 to all State Governments with the request that they may initiate appropriate action on the recommendations.

(c) and (d). No, Sir. The situation in Indore is now normal. The State Government have appointed a Commission to inquire into the causes and causes of the disturbances in Indore.

(c) and (f). The Committee on Communal Aspects of the National Integration Council had recommended **inter alia** the constitution of citizens' committee as consultative bodies at the State, district and thana levels to promote and maintain communal harmony. The Sub-

Committee of the National Integration Council on Communalism, in its meeting on 22nd May 1969 also recommended the constitution of standing committees to deal with group tensions, to prevent occurrence of incidents and to ensure communal harmony in pockets where communal riots leading to loot and arson are chronic. The Home Minister has on 7th July, 1969 written to all Cheif Ministers to take immediate action to implement the recommendation of the Sub-Committee.

Welfare Association Sector II, R. K. Puram, New Delhi

1907. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the elections of Office bearers of the Residents Welfare Association of Sector II, R. K. Puram, New Delhi have not been conducted for the last five years in accordance with the constitution of the Association which has been approved by the Chief Welfare Officer of his Ministry ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the amount of ad hoc grants provided to the above Association during the last five years, the basis on which it was provided and on whose recommendation ;

(d) whether any dispute is going on between the residents of this Government colony and the office bearers of the Association ;

(e) if so, the steps taken by the Chief Welfare Officer and the Regional Welfare Officer to resolve this dispute ; and

(f) whether any delegation of this colony saw the Chief Welfare Officer in this regard and if so, the suggestion made by the latter to the former ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The association was sanctioned the following amounts of grants-in-aid :

1964-65	Rs. 100/-
1965-66	Rs. 815/-
1966-67	Rs. 569/-
1967-68	Rs. 464/-
1968-69	Rs. 954/-

The grant in aid was based on the annual subscription realised from the regular members during the preceding year. Since all the members are Class IV employees, the association is entitled to an amount equal to three times the subscription realised by them. A cut of 10% and 20% was made for late submission of accounts in 66-67 and 67-68 respectively.

(d) Yes, Sir.

(e) The complaints have been enquired into by the Area Welfare Officer and on the basis of his recommendations action was initiated to shift two residents from the colony in the larger interest of peace in the colony.

(f) No Sir. There was no formal delegation as such, but a few members of the Association belonging to one group had gone to the residence of the Chief Welfare Officer early in the morning some days after 20th April, 1969 without any prior appointment. The Chief Welfare Officer had told them that it was not correct for them to have held the election on the 20th April in violation of the instructionsf or postponement which had been issued by Ministry of Home Affairs on 19th April, 1969 with the object of having the Voters' lists etc. checked, about which they themselves had complained on 18th April, 1969. He had also told them that fresh elections will have to be held after the Voters' lists etc. had been verified.

देशान्तर्गत परिवहन के लिये तमिलनाडु में बकिंघम नहर का प्रयोग

1908. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री राम मूर्ति :
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशान्तर्गत परिवहन के लिये बकिंघम नहर को प्रयोग में लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है, और उसके बारे में केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). बकिंगघम नहर अन्तर्राज्यीय नहर है और आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में चलती हैं। अन्तरदेशीय परिवहन के लिये प्रयुक्त करने की दृष्टि से इस नहर को सुधारने का प्रश्न बहुत पहले से इन दो राज्यों के विचाराधीन था। इस पर 1959 में गोखले समिति (अ० ज० प० समिति) ने भी विचार किया था और अन्य बातों के अलावा यह सुझाव दिया था कि मर्म स्थलों पर इस नहर के प्रयोगात्मक निकर्षण किये जायं। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से खरीदे गये निकर्षकों द्वारा ये दोनों राज्य सरकार ऐसे निकर्षण करवा रही है।

बकिंगघम नहर का समाकलित विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों से परियोजना का प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले नहर के भाग के परिवहन सर्वेक्षण पर आधारित लागत—लाभ विश्लेषण करने के लिये कहा गया था जिससे इस परियोजना की तकनीकी और आर्थिक शक्यता निश्चित की जा सके। समाकलित विकास के लिये मौजदा यातायात और उसके विकास की क्षमता/गहराई और डुबाव के बाबत अपनायी जाने वाली आम विशिष्टियां, नहर में कम खर्चीले परिचालक के लिये उचित प्रकार के जलयानों/इत्यादि, की जांच करने की आवश्यकता होगी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपेक्षित अध्ययन कर लिये हैं और वे उनके परिणामों की जांच कर रहे हैं।

बड़ी स्कीम पर विचार होने तक तमिलनाडु सरकार मदरास शहर की सीमा के अंतर्गत पड़ने वाले नहर के भाग के अनुरक्षण के लिये कुछ सुधार कर रही है।

Bombs Found in Najibabad near Meerut

1909. **Shri Bhola Nath Master :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether police have recovered bombs bearing foreign markings in Najibabad near Meerut ;

(b) the action taken by Government in this regard so far ; and

(c) the reaction of Government on the recovery of bombs bearing foreign markings?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information received from the Government of Uttar Pradesh is as under :

Four wooden crates of high explosives bearing the markings of Indian Explosives Ltd. were recovered in Najibabad, District Bijnor in Uttar Pradesh on 31st May, 1969/1st June, 1969. These explosives did not have any foreign markings.

The explosives were duly inspected by the Explosives Inspector and have been destroyed. The State Police are conducting investigation in the matter.

Persons Killed in Road Accidents in Delhi

1910. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of persons killed and injured, separately, in road accidents in Delhi during 1968 and in the first half of 1969 ;

(b) the causes for the increase in the number of accidents and the number of accidents which took place due to D. T. U. buses, dilapidated roads and uncovered manholes separately ; and

(c) the steps being taken to check accidents which are increasing ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) 400 persons were killed and 3,316 injured in road accidents in Delhi during 1968, while 189 persons were killed and 1,716 injured in the first half of 1969.

(b) The main cause of the increase in the number of accidents involving injuries is the increase in the number of vehicles (including bicycles) as well as the population, which has resulted in dense and mixed traffic.

993 and 405 accidents took place on account of the Delhi Transport Undertaking buses in 1968 and in 1969 (upto 30-6-69) respectively.

No accident took place due to dilapidated roads in Delhi during the above period. However, one non-injury accident took place during 1968, on account of an uncovered manhole. No such accident took place during the first half of 1969.

(c) Among other measures, the following steps have been, or are being, taken by the Delhi Administration to prevent road accidents and to ensure road safety :

I. Education of the Public

(i) Road safety education, including lectures on road safety and observance of traffic rules, is imparted in educational institutions. This is followed by practical demonstrations.

(ii) Television shows are being arranged for children.

(iii) Pamphlets and comics on road safety are distributed among children.

(iv) Films on road safety are shown in various schools.

(v) Cautionary "school" sign boards have been fixed near almost all schools falling on road side for the guidance of the motorists.

(vi) Pedestrian crossings have been marked and speed restrictions imposed on all important roads.

(vii) A traffic Training School has been functioning at Irwin Road where training in traffic regulations is given to children.

(viii) Pamphlets on road safety have also been distributed in the surrounding villages.

(ix) Cinema slides on traffic safety are being shown regularly in about 25 cinemas in the city with burlesqued figures.

(x) A mobile traffic education van functions daily for six hours during peak hours to educate road users on the spot by pinpointing their mistakes.

II. Engineering improvements

(xi) On the advice of the traffic police, roundabouts are being removed, road crossings widened, channelisers, footpaths and cycle tracks provided, road marking made and bus stops, stalls, vendors, taxi stands, etc. removed from congested areas, as far as possible. A number of Delhi Transport Undertaking bus stops have been resited.

III. Enforcement measures

(xii) Movement of heavy transport vehicles has been stopped altogether on busy and congested areas to avert traffic bottle-necks while, on a few other roads, their movements have been suspended during peak hours to avoid congestion.

(xiii) Busy roads of Delhi and New Delhi have been closed for slow moving vehicles during the peak hours.

(xiv) Congested roads have been declared as 'One way' and thronged roads as 'No Parking' zones.

(xv) Selective enforcement drives are conducted.

(xvi) The traffic police has been strengthened by sanctioning additional staff and transport. There are three accident squads, with photographic units attached to them, which investigate fatal accidents and accidents resulting in grievous injuries.

(xvii) A separate Traffic Inspector has been detailed for enforcement of traffic rules and regulations. 6 static enforcement squads, accompanied by mobile magistrates, work under him, in close liaison, for on-the-spot prosecutions and trial. This is in addition to 8 traffic magistrates.

(xviii) There are also 4 Mobile Enforcement Squads which patrol on jeeps at different hours and on different routes, both during peak and idle hours, to detect violations by motorists.

(xix) One break-down van has been provided for the removal of abandoned vehicles which hinder free flow of traffic.

(xx) Education is imparted to the police staff in road rules and regulations, in new ideas and innovations in traffic and other allied matters. For this purpose, 2 Sub-Inspectors and 1 Head Constable have been kept.

(xxi) Since August, 1968, a new system of "School Safety Patrol" has been introduced. Under this system, about 800 boys and girls have been trained uptill now to control and direct traffic outside their schools before and after the school hours. The school children receiving this training would further disseminate road safety education to their school mates as a regular feature and also assist them in crossing the road at the time of their entry and exit from the school.

(xxii) During 1968, a National Crime Prevention Week was held in April, an Exhibition of Home Guards and Civil Defence was held in November, in which the traffic police had put up two stalls and a traffic park for children, and a Road Safety Week was organised by the traffic police, with the help of other organisations in December.

आई० सी० एस० अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

1911. **श्री भगवान दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार तथा मंत्रालयवार सामान्य परिस्थितियों तथा असाधारण परिस्थितियों के अन्तर्गत कितने मामलों में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है :

विवरण

वर्ष	मंत्रालय	राज्य सरकार	भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	अन्य विवरण
1966		योजना आयोग	1	साधारण परिस्थितियां
		महाराष्ट्र	1	साधारण परिस्थितियां
		उत्तर प्रदेश	1	साधारण परिस्थितियां
1967		लोहा तथा इस्पात मंत्रालय	1	साधारण परिस्थितियां
1968		मंत्रिमण्डल सचिवालय	1	साधारण परिस्थितियां
		कुल ..	5	

नर-बलि

1912. **श्री भगवान दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1969 के 'स्टेट्समैन' में कथित 'नर-बलि' शीर्षक

से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से उस घटना के पूरे ब्योरे का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). समाचार में उल्लिखित स्थान मध्य प्रदेश में है । मध्य प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा

1913. **श्री भगवान दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 और 28 अप्रैल, 1969 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुई लेखमाल की ओर दिलाया गया है, जिसमें दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा के बारे में लिखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कनाट सर्कस में 1967 में नये वर्ष के पूर्व संध्या को हुई गुंडागर्दी में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). जब कभी पुलिस को महिलाओं से छेड़खानी के बारे में शिकायतें की जाती हैं तो वह कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करती है । भीड़ को आकर्षित करने वाले सम्भावित क्षेत्रों में पुलिस के सिपाहियों को ड्यूटी पर तथा गश्त लगाने के लिये नियुक्त करके निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाती है । यह सच नहीं है कि राजधानी में स्त्रियों के लिए अकेले इधर-उधर जाने के लिये पूर्ण असुरक्षा है ।

(घ) उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में 15 मामले दर्ज किये गये थे और 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उनमें से 5 को न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया और 4 को मुक्त रिहा कर दिया गया ।

उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई है जिनको मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने पर अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाया गया ।

Explosion of a Balloon in Madhya Pradesh

1914. **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a balloon exploded over Amla in Madhya Pradesh during the first half of June, 1969 and a photograph of Chiang Kai Shek and a few letters written in Chinese language were recovered therefrom;

(b) whether a thorough inquiry has been held in this connection; and

(c) if so, the information revealed and the articles recovered therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

Hindi as Medium of Instruction in Delhi University

1915. **Shri Valmiki Choudhary:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the scheme to introduce Hindi as medium of instruction and examination in Delhi University from July this year has been shelved following a direction from his Ministry; and

(b) if so, the nature of the direction and the circumstances under which it was issued?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल

1916. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी ने दो मकानों के अलाटियों के विरुद्ध आरोप की जांच की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मकानों के अलाटियों ने यह अनुरोध किया था कि उक्त क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी को छोड़ कर किसी अन्य अधिकारी से यह जांच-पड़ताल करवाई जाये, परन्तु उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी ने इन दो क्वार्टरों के अलाटियों को रामाकृष्णपुरम सेक्टर 2 के समाज सदन में बुलाया था जबकि उस सेक्टर की तथाकथित कल्याण समिति के पदाधिकारी पहले से ही वहां उपस्थित थे और इन दो अलाटियों के किसी भी पड़ोसी को पूछताछ के लिये नहीं बुलाया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्, क्योंकि क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को जांच-पड़ताल का कार्य सौंपने के लिये कोई औचित्य नहीं था।

(ग) और (घ). जांच समाज सदन में की गई थी। कल्याण समिति के कुछ पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। इन दो अलाटियों के विरुद्ध यह शिकायत थीं कि उनका आचरण पड़ोसियों

के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के प्रतिकूल था। क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी ने उनके बिलकुल नजदीक के पड़ोसियों को बुलाना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि मामले का सम्बन्ध सारी कालोनी से था।

पर्यटक व्यापार प्रशिक्षण संस्थान

1917. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान स्थापित किया जाये जिसमें पर्यटक व्यापार प्रशिक्षण की व्यवस्था हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग ऐसे संस्थान की स्थापना की आवश्यकता के प्रति जागरूक है, और इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा मंडल की स्थापना

1918. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) यह दल कब तक अपना प्रतिवेदन सरकार को देगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल का गठन तथा मुख्य विचारार्थ विषय नीचे दिये गये हैं :

गठन

(1) प्रो० के० टी० मरचन्ट, बम्बई	...	अध्यक्ष
(2) श्री हिम्मतलाल वि० गांधी, बम्बई	...	सदस्य
(3) श्री वी० एन० लाहिरी, (उ० प्र० पुलिस के सेवा निवृत्त महानिरीक्षक) इलाहाबाद	...	सदस्य
(4) श्री इन्द्र कान्त पटेल, बड़ौदा	...	सदस्य
(5) श्री दिलिप के० सेन, बैरिष्टर, कलकत्ता	....	सदस्य

श्री के० जी० सुब्रामनियम, वेस्टर्न इन्डिया आटोमोबाइल, बम्बई के सचिव दल के अवैतनिक सचिव नियुक्त किये गये हैं।

विचारार्थ विषय

(1) भारत में राजमार्गों पर तथा शहरी क्षेत्रों दोनों में सड़क दुर्घटनाओं के आपतन की जांच करना, ऐसे दुर्घटनाओं के कारणों को अभिनिश्चित करना और ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के लिये उपयुक्त संगठित ढांचे का सुझाव देना, और

(2) सड़क सुरक्षा में सड़क प्रयोक्ताओं के लिए शिक्षा के लिए उपाय सुझाना, यातायात नियमों तथा विनियमों का सुचारु प्रवर्तन और जैसा आवश्यक हो सड़कों पर अधिकार सम्भव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सड़कों के सुधार की सिफारिश करना।

(ग) दल से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट अपनी यह प्रथम बैठक से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करे। इसने अभी अपना कार्य शुरू नहीं किया है।

केरल में मुस्लिम-बहुल जिले के निर्माण के विरोध में आन्दोलन

1919. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंघ केरल में मुस्लिम-बहुल जिले के निर्माण के विरोध में देशव्यापी आन्दोलन करने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार केरल में जनसंघ ने मालापुरम जिले के बनाये जाने के विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ किया है। आन्दोलन के भाग के रूप उसके स्वयं सेवक कोजीकोडे में कलेक्टोरेट और त्रिवेन्द्रम् में सचिवालय के दरवाजों पर धरना दे रहे हैं। केरल में आन्दोलन में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से स्वयं सेबकों के दल भी भेजे गये थे।

(ख) केरल सरकार ने बताया है कि यह जिला केवल प्रशासनिक कारणों से बनाया गया था और यह कि कोई अन्य बातें जैसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व आदि ध्यान में नहीं रखी गई थीं। जिलों का बनाया जाना राज्य सरकारों के साधिकार में है।

मैसूर राज्य में हाम्पी मन्दिरों की जीर्णावस्था

1920. **श्री शंकरानन्द :**

श्री स० अ० अगड़ी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर से प्रकाशित होने वाले 12 जून, 1969 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसूर राज्य में बेल्लारी जिले में हांपी मंदिर जीर्णावस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारकों की रक्षा के लिये पुरातत्वीय विभाग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। हाम्पी के केन्द्र संरक्षित स्मारकों की आवश्यकताओं के बारे में सरकार पूरी तरह से जागरूक है। हाम्पी के निम्नलिखित स्मारकों पर वर्तमान वर्ष के दौरान विशेष संरक्षण उपायों के रूप में 13,000 रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है :

(1) पट्टाभिरमा मंदिर	—	7,500 रुपये
(2) कृष्ण मंदिर	—	3,000 रुपये
(3) चन्द्रशेखर मंदिर	—	2,500 रुपये

शिव सेना

1921. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में शिव सेना की समाज-विरोधी गतिविधियां अभी बन्द नहीं हुई हैं;

(ख) क्या शिव सेना के लोगों ने बम्बई नगर निगम कार्यालय के सामने भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं पर हाल ही में आक्रमण किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने में सरकार क्यों असफल रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार हाल में बम्बई में शिव सेना की कोई असामाजिक गतिविधियां देखने में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसी साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता पर प्रहार नहीं किया गया बल्कि 19 जून, 1969 को नगर निगम के सामने साम्यवादी दल के एक सदस्य और शिव सेना के एक प्रदर्शनकारी के बीच एक विवाद में साम्यवादी दल के सदस्य को धक्का लग गया था। उसने पुलिस को कोई शिकायत करने से इंकार कर दिया और प्रदर्शनकारियों में से वह किसी को नहीं पहचान सका।

कलाकृतियों आदि के विक्रय पर प्रतिबन्ध

1922. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों ने सरकार से कलाकृतियों तथा प्राचीन वस्तुओं को गैर-सरकारी रूप से बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है जिससे इन बहुमूल्य वस्तुओं को विदेशियों द्वारा चोरी छिपे देश से बाहर ले जाये जाने से रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिजो विद्रोहियों तथा मनीपुर राइफल्स के बीच मुठभेड़

1923. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र कुकी तथा मिजो विद्रोहियों और मनीपुर राइफल्स के बीच 30 मई,

1969 को खिजांग के समीप गंभीर मुठभेड़ हुई थी और मनीपुर राइफल ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कुछ दस्तावेज भी बरामद किये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मनीपुर राइफल्स के कितने जवान मारे गये और कितने विद्रोही मारे गये/पकड़े गये/घायल हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर राइफल्स और तीन मिजो-कुकी विद्रोहियों के एक गिरोह के बीच एक मुठभेड़ हुई थी। एक विद्रोही घायल हुआ और अपने अग्न्यस्त्र के साथ पकड़ा गया और उससे कुछ कागज पत्र भी बरामद किये गये। मनीपुर राइफल्स में कोई हताहत नहीं हुआ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तैनात करना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें;

"केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में तैनात करना।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्रीमान्, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम 1968 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन का काम शुरू किया गया है। केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों तथा उसके निगमित उपक्रमों के और अच्छे संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए अच्छी प्रकार प्रशिक्षित, कुशल तथा अनुशासित लोगों का एक संगठन तैयार करने के उद्देश्य से इस दल का गठन किया जा रहा है।

इस सामान्य योजना के एक अंश के रूप में यह निर्णय किया गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाये। इस उपक्रम के सभी विद्यमान पहरा व निगरानी कर्मचारियों को इस बल में भर्ती के लिए आवेदन देने को कहा जायेगा और यदि वे शारीरिक स्वस्थता की अपेक्षित शर्तों को पूरा करते होंगे, तो उन्हें सब को ही उक्त बल में भर्ती कर लिया जायेगा। जो शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ पाये जायेंगे, उन्हें अन्यत्र यथोचित काम पर लगाया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय बल के बारे में मैं उच्च न्यायालय के 'कलकत्ता वीकली नोट्स' से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "राज्य में प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पुलिस का रखा जाना असंवैधानिक और अवैध है।" आन्तरिक सुरक्षा के लिए सेना के बुलाये जाने के बारे में उसमें लिखा है कि "जब भी इस कार्य के लिए सेना बुलाई जाती है, तो वह राज्य सरकार के निर्देश पर काम करती है केन्द्रीय निर्देश पर नहीं।" मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक समकक्ष पुलिस रखना चाहती है। औद्योगिक सुरक्षा बल केन्द्रीय पुलिस ही है। इसका विरोध न केवल विपक्षी दलों ने बल्कि कांग्रेस के मुख्य

मंत्रियों ने भी विरोध किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था के संरक्षक राज्यों के इस अधिकार को न छीने। क्या सरकार राज्यों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अपने लम्बे भाषण में केवल एक प्रश्न ही पूछा है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बल पुलिस नहीं है। यह तो पहरा और निगरानी करने वाला एक बल है। माननीय सदस्य ने उच्च न्यायालय के जिन निर्णयों का उल्लेख किया है वे इस मामले पर लागू नहीं होते। इस्पात मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार का भी अन्य राज्य सरकारों के साथ इस प्रश्न पर मत लिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह बल केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक संस्थानों की रक्षा के लिए है फिर इसे सबसे पहले दुर्गापुर में ही क्यों रखा गया है ? क्या इससे यह समझा जाये कि पश्चिम बंगाल में विधि-व्यवस्था ठीक नहीं है ? केन्द्रीय रिजर्व पुलिस इस कार्य के लिए पहले से ही विद्यमान है, इस बल का पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों ने विरोध किया है, इस बल को रखने से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धों में अधिक तनाव आयेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस अधिनियम को लागू न करने पर विचार करेगी ? क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा करने में कभी अपनी असमर्थता प्रकट की थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : चूंकि यह विधेयक पास किया गया है, इसलिए इसे क्रियान्वित तो अवश्य ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न मत होने की गुंजाइश नहीं है। इस तर्क में अधिक बल नहीं है कि यह सबसे पहले दुर्गापुर में क्यों रखी गई। यह बात तो प्रत्येक अन्य स्थान के लिए भी कही जा सकती है जहां भी इसे सबसे पहले रखा जाता। इस बारे में जो करणीय था वह हमने कर लिया था, और वह काम था पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में सलाह लेना।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यदि औद्योगिक सुरक्षा बल को राज्यों में सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जायेगा तो राज्य सरकारें इसे अपने ऊपर एक अंकुश के रूप में मानेगी तथा इससे यह समझा जायेगा कि राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ है। पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों के विरोध को देखते हुए क्या सरकार राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके कोई ऐसा निर्देशक सिद्धान्त करेगी जिसके अनुसार यह निश्चित किया जा सके कि किस प्रकार की परिस्थितियों में इस बल का प्रयोग किया जा सकता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि यह पुलिस नहीं जो विधि-व्यवस्था के प्रश्न से सम्बद्ध होगी। हम किसी भी दशा में राज्य सरकारों के किसी भी अधिकार को वापस नहीं लेना चाहते। यह कोई एक दम नई चीज नहीं है। औद्योगिक संस्थानों में अब भी सुरक्षा करने वाले कर्मचारी हैं। प्रत्येक उपक्रम में अब पहरा और निगरानी कर्मचारी है जिन्हें अब एक औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से संगठित किया जा रहा है।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणी) : दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रखने से भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है ..... [**अन्तर्बाधाएं**]

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गाड़ी छूट चुकी है जिसे वापस मोड़ना कठिन है।

हम सब जानते हैं कि कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विषय है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस औद्योगिक सुरक्षा बल को वहां रखने का विरोध किया है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निर्णय को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारें सिद्धान्तः इस प्रकार के बल के रखने के विरुद्ध हैं। परन्तु इस विशेष मामले में उन्होंने कुछ बातों पर सहमति प्रकट की है।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा कक्ष में पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई लूट खसोट

RE: RANSACKING OF WEST BENGAL ASSEMBLY HOUSE BY POLICEMEN

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सदस्यों से कल पश्चिमी बंगाल में हुई घटना के बारे में जानने के लिये संदेश प्राप्त हुये हैं। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व घटना है जिसमें पुलिस वालों ने विधान सभा पर हमला किया। मैं समझता हूं कि हमें ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव पेश करने पर विचार करना चाहिए और हम इस पर किसी अन्य समय वाद-विवाद करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is a very important subject. The Hon. Home Minister may be asked to make a statement by this evening. The situation can become complicated if it is delayed.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय को कम से कम वक्तव्य तो देने के लिए कहा जाये। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है अतएव सभा को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आप किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

Shri Tulsidas Jadhav: You do not entertain any point of order when it is raised from this side. You allow other side to raise this. You do not give us permission to raise point of order but if someone defies your order then he can go on speaking for five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी, श्री बनर्जी और अन्य सदस्यों ने मुझको लिखा था, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहने दिया। अगर कोई बोलना चाहे तो मैं उसे बुलाऊंगा परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि कोई अन्य सदस्य किसी की तरफ से बोले।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे। इसमें न केवल यह बताया जाये कि क्या हुआ है बल्कि यह भी बताया जाये कि क्या कार्यवाही की जाएगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने आपको, कलकत्ता के विधान सभा में जो कुछ हुआ था, उसके बारे में लिखा था। यह एक गम्भीर मामला है। परन्तु मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह राज्य सरकार का मामला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभा में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए ताकि हम यह बता सकें कि संयुक्त मोर्चा सरकार को उलटने वाले षड़यन्त्रकारी कौन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है, मैंने उसको ध्यान में रख लिया है।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष नगर) : मेरा निवेदन है कि आप उन सब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दें जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए पूर्व सूचना दी है। हमें आशा है कि आप हमें इस पर वाद-विवाद करने के लिए समय देंगे हालांकि यह घटना राज्य में हुई है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, अतएव आप मुझे इस पर बोलने का अवसर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, श्री बनर्जी ने कहा है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु जब पंजाब विधान सभा में पुलिस घुसी थी तो हमने इस पर चर्चा की थी। क्या सभा इस मामले में चुप रह सकती है ? मैं नहीं समझता कि संविधान निर्माताओं का इस प्रकार का आशय था। गृह मंत्री सब तथ्यों के उपलब्ध हो जाने पर वक्तव्य देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आज ही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह गृह मंत्री पर छोड़ता हूं। मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि वहां अध्यक्ष पर घातक हमला करने की कोशिश की गई। मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें राज्य सरकार से संक्षिप्त सूचना प्राप्त हुई है। उसके आधार पर मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि जो कुछ बंगाल विधान सभा में हुआ था, वह पूर्णतया पाशविक है। पुलिस वालों ने जो यह किया, वह निन्दनीय है। हमें इस मामले के विभिन्न पहलुओं को देखना है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार से तथ्य प्राप्त करने के लिये कुछ समय दिया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वे सोमवार की सुबह इस पर वक्तव्य दें और हम दोपहर के बाद इस पर चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा। मैं इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार कर रहा हूं। चर्चा के बारे में हम बाद में विचार करेंगे।

Shri M. A. Khan (Kasganj): It is my request that this House should not be the monopoly of only ten or fifteen members. Only one question was completed in the Question Hour and the second question was left incomplete and afterwards the calling attention notice was taken up. Are you going to confine the proceedings of this House only to ten or fifteen members?

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सब सदस्य सहयोग नहीं देंगे तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना कठिन हो जायेगा। मैंने यह नियम रखा है कि दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को बुलाया जाये।

Shri Rabi Ray (Puri): You have not called Shri Madhu Limaye. I do not understand what is this all happening....**(Interruption)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस पक्ष के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न काल के बारे में प्रश्न उठाया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया था। अगर आप वक्तव्य देना चाहते हैं तो मुझे लिखें.... **(व्यवधान)**

श्री रवि राय : उन्होंने आपको लिखा था, फिर भी आपने उनको नहीं बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)****

श्री मधु लिमये मेरे साथ इस विषय पर बात चीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे चैम्बर में मिल सकते हैं .... **(व्यवधान)**

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): We can raise No Confidence Motion against you. Shri Madhu Limaye has written to you and inspite of this you are not calling him. **(Interruption)**

Shri Madhu Limaye (Monghyr): You have called other members. Why are you refusing me?

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुख्य सम्पादक द्वारा क्षमा याचना
APOLOGY BY EDITOR-IN-CHIEF OF HINDUSTAN TIMES

उपाध्यक्ष महोदय: 27 जुलाई, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'दि वीक इन पार्लियामेंट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख में उपाध्यक्ष पर लगाए आक्षेपों के बारे में श्री तेन्नेटी विश्वनाथम ने 28 जुलाई, 1969 को एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। सभा के निर्णय के अनुसार समाचार पत्र के सम्पादक से इस सम्बन्ध में अपना बयान देने को कहा गया था।

इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रमुख सम्पादक का मुझे पत्र मिला है जिसमें कहा गया है :

"सम्बद्ध सम्बाददाता श्री सेन ने बैंकिंग कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण विधेयक पर 25 जुलाई को श्री मसानी द्वारा दिये गये भाषण को स्वतंत्र पार्टी संसदीय कार्यालय द्वारा बनाये गये सारांश, जिसे उसी शाम श्री ए० पी० जैन के हस्ताक्षरों सहित प्रकाशनार्थ भेजा गया था,

---

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

पर भरोसा किया। उसकी एक प्रति भी संलग्न है। भाषण के संक्षिप्त रूप में ही वह विशिष्ट उल्लेख निहित हैं जिन पर आपत्ति उठायी गई है। जैसे यह मामला लोक सभा में उठाया गया, हमने सरकारी रिकार्ड देखा तथा हमें उसकी एक प्रति आपके पत्र के साथ भी मिल गयी। सरकारी रिकार्ड में वे शब्द या वाक्यांश नहीं हैं और ये श्री सेन ने गैर सरकारी रूप से तैयार किये गये भाषण के सारांश का विश्वास करके उसी से लिये थे। वास्तव में सभा की कार्यवाही को विकृत करके प्रकाशित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी और न ही श्री सेन की ऐसी कोई कामना थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के विषय में जो भी कुछ कहा गया है, वह सब अज्ञानवश हुआ है।

ऐसी स्थिति में हमें इस बात का अत्यन्त खेद है कि अनजाने में कुछ ऐसी बातें प्रकाशित हो गई हैं जिनकी सरकारी रिकार्ड से कोई संगति नहीं है तथा जिससे अध्यक्षपीठ पर आक्षेप लगते हैं।

मेरा निवेदन है कि इस स्पष्टीकरण को माननीय उपाध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिया जाय तथा मैं उनसे नितान्त अज्ञानवश हुए इस अपराध की स्पष्ट क्षमायाचना करता हूं।"

चूंकि समाचार पत्र के प्रमुख सम्पादक ने स्पष्ट क्षमायाचना की है अतः यदि सभा स्वीकृति दे तो सम्पादक से इस स्पष्टीकरण को पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करने को कहा जाय तथा उसके उपरान्त इस मामले को समाप्त कर दिया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मेरा निवेदन है कि समाचार पत्र ने यह विषयवस्तु स्वतंत्र पार्टी द्वारा बांटे गये इश्तिहारों से ली है जिसके पास सरकारी कार्यवाही नहीं होती। अतः स्वतंत्र पार्टी ने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं और यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विशेषाधिकार का उल्लंघन पाया गया तो मामले को विशेषाधिकार समिति को प्रस्तुत किया जायगा। किन्तु जहां तक इस समाचारपत्र का सम्बन्ध है, यह मामला समाप्त हो गया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति यह मामला उठाता है कि किसी दल की किसी एजेंसी ने अनधिकृतरूप से कोई ऐसी बात फैलाई है जिससे आक्षेप लगते हैं तो मैं क्षमा नहीं कर सकता।

संसद् के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध दिल्ली के उच्च न्यायालय में मुकदमे के बारे में

RE : SUIT AGAINST FORMER SPEAKER AND OTHER MEMBERS OF PARLIAMENT IN DELHI HIGH COURT

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, it is learnt that the Judge of Delhi High Court has requested the Chief Justice to constitute a larger Bench for hearing the suit against the former speaker and other Members of the Parliament. He has reportedly, mentioned that this matter is of much importance. In the circumstances, I want to seek your permission to discuss this matter in the House because this matter is becoming more serious.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! इस मामले का सम्बन्ध मुझसे भी है। आज के समाचारपत्र 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस मुकदमे का शीघ्र निबटारा किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के आग्रह का समाचार प्रकाशित हुआ है। भारत सरकार के वकील ने निवेदन किया है कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए क्योंकि इसमें भूतपूर्व अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं और उनको कांग्रेस दल की ओर से राष्ट्रपति के पद के लिये खड़ा किया गया है।

समाचारपत्र में यह भी कहा गया है कि वादियों के वकील ने सरकार की प्रार्थना का विरोध किया है। न्यायाधीश ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य न्यायाधीश से दो या तीन न्यायाधीशों की बैंच नियुक्त करने का निवेदन किया है।

इन सभी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि हमें इसी समय यह निर्णय करना चाहिए कि कोई भी संसद् सदस्य तथा श्री रेड्डी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। मुकदमे की सुनवाई की तिथि सम्भवत: 7 होगी। अत: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ने अभी यह प्रश्न उठाया है और मुझे आशा है कि विधि अधिकारी छोटे न्यायालयों को विधि के सम्बन्ध में उपयुक्त बातें बतायेंगे। रिकार्ड से ज्ञात होता है कि इस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हम इस मामले को सोमवार को उठायेंगे। मैं आपका वक्तव्य भी जानना चाहूंगा।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : महोदय ! मैंने सरकारी वकील को यह आदेश दिये थे कि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत करे तथा उसमें स्पष्ट करे कि चूंकि यह मामला संसद् की कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है अत: इस मामले को आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत बरखास्त कर दिया जाय। यह कार्य किया जा चुका है। जिस न्यायाधीश के मातहत यह मामला है, उसने कहा है कि यह मामला महत्वपूर्ण है अत: इसे दो न्यायाधीशों की बैंच के समक्ष रखने की सिफारिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सभा में उठाये जाने के पक्ष में हूं।

श्री गोविन्द मेनन : सरकार ने इस सम्बन्ध में हर आवश्यक कार्यवाही की है। मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि यदि न्यायालय ने कुछ कार्यवाही नहीं की तो सभा इस मामले पर विचार कर सकती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति, 1968, के प्रतिवेदन की

एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1473/69]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1444 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1445 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1632 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) विनियम, 1954, में 1969 का सातवां संशोधन जो दिनांक 19 जुलाई, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1633 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1634 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969 का छठा संशोधन जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1635 में प्रकाशित हुआ था।
[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-1474/69]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अधीन संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1969, की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1433 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1475/69]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय ! मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1967 में लोक-सभा द्वारा 23 जुलाई, 1969 को किये गये संशोधनों से राज्य सभा अपनी 30 जुलाई, 1969 की बैठक में सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 29 जुलाई, 1969 की बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969 को पास कर दिया है ।

(तीन) कि लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1969 को पास किये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1969, से राज्य सभा अपनी 30 जुलाई, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(चार) कि राज्य सभा ने अपनी 29 जुलाई, 1969 की बैठक में विदेशी विवाह विधेयक, 1969 को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन् ! मैं निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969

(2) विदेशी विवाह विधेयक, 1969

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

इक्यासीवां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्था, एरनाकुलम—के बारे में प्राक्कलन समिति के 38वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 81वां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं आपका ध्यान डा० भरतराम द्वारा इण्डियन एयर-लाइन्स निगम की अध्यक्षता से त्याग-पत्र दिये जाने की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय तथा डा० भरतराम के बीच हुये पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखा जाय ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING BANARAS HINDU UNIVERSITY INQUIRY COMMITTEE REPORT

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : जैसा कि सदन को मालूम है, राष्ट्रपति ने बनारस विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से, विश्वविद्यालय में असंतोष तथा आन्दोलन की स्थिति की जांच करने और उस स्थिति को दूर करने के बारे में सिफारिशें करने के लिये डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1968 में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 जुलाई, 1969 को विजिटर को प्रस्तुत की थी जिसमें उसने दूरगामी किस्म के उपाय सुझाए हैं।

2. समिति ने अपनी सिफारिशों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहली सिफारिश विश्वविद्यालय कैम्पस में सामान्य स्थिति का वातावरण पैदा करने में मदद देने के सम्बन्ध में है ताकि विश्वविद्यालय किसी अशान्ति, रुकावट, हिंसा अथक हिंसा की धमकी के बगैर अपना सामान्य काम-काज चला सके। दूसरे वर्ग की सिफारिशें कुछ अधिक व्यापक हैं और उनमें विश्वविद्यालय के स्वरूप और कार्य-संचालन में विशेषकर उसके अखिल भारतीय रूप को बनाये रखने की दृष्टि से व्यापक सुधार की व्यवस्था है।

3. तत्काल कार्यान्वियन के लिए समिति द्वारा यह सिफारिश की गई है कि जिस अधिनियम के अन्तर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का फिलहाल संचालन हो रहा है उसमें संशोधन किया जाये। शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति समेत विद्यमान निकायों को, जो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये जिम्मेदार हैं, भंग कर दिया जाये और एक 'नामजद' कार्यकारी परिषद्, एक 'नामजद' न्यायालय, और एक नये कुलपति की नियुक्ति के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाएं। समिति ने यह भी बताया था कि यह वांछनीय होगा कि समिति की सिफारिशों को, यदि सम्भव हो, तो ग्रीष्मावकाश के बाद विश्वविद्यालय के पुनः खुलने से पहले ही कार्यान्वित किया जाये। क्योंकि इन सिफारिशों में महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन शामिल हैं, यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें संसद के समक्ष रखा जाये। यह निर्णय किया गया था कि जब तक विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति कायम करने के सम्बन्ध में संसद आवश्यक विधान पर विचार करें। इसी बीच, एक अध्यादेश जारी किया जाये जिसमें विजिटर को विश्वविद्यालय के पुनः खोलने की तारीख को स्थगित करने का अधिकार हो ताकि विश्वविद्यालय के कैम्पस में कोई झगड़ा न हो। उक्त अध्यादेश 17 जुलाई, 1969 को जारी कर दिया गया था और विजिटर ने विश्वविद्यालय के पुनः खोलने की तारीख 28 जुलाई से 1 सितम्बर, 1969 तक स्थगित करने के लिये 19 जुलाई को कुलपति को निर्देश दे दिया था।

4. सरकार, वर्तमान सत्र के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये संसद में एक विधेयक पेश करेगी और मुझे आशा है कि इस सदन के तथा दूसरे सदन के सहयोग से विधान को बहुत शीघ्र ही संविधि का रूप देना सम्भव हो सकेगा। श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रख रहा हूं ताकि इस

सदन के सदस्य समिति द्वारा लिये गये निष्कर्षों और सुझाए गये उपायों से अवगत हो जाएं। इससे सदन को यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकार ने किन कारणवश बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

5. मैं यह बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने, समिति के निष्कर्षों से अपनी असहमति प्रकट करते हुये, कुलपति के पद से इस्तीफा देने का निर्णय किया है क्योंकि वह विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति पैदा होने में रुकावट नहीं बनना चाहते। वह आज से छुट्टी पर जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा उनकी अर्जित छुट्टी समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। विजिटर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि यह उनकी अर्जित छुट्टी समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा।

6. जहां तक समिति द्वारा की गई दूरव्यापी सिफारिशों का सम्बन्ध है, ये बहुत व्यापक और दूरगामी प्रकृति की है और इनका विस्तार से तथा गहन अध्ययन आवश्यक है। चूंकि इन दीर्घकालीन सिफारिशों में से बहुत-सी आमतौर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये भी उपयुक्त हैं, इनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान तथा विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों से परामर्श करना होगा। इसलिए, सरकार फिलहाल इन सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती, किन्तु विस्तृत जांच तथा विचार-विमर्श पूरा हो जाने के बाद ऐसा किया जायेगा।

7. इस आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि अब तत्काल ही जिन उपायों को अमल में लाने का प्रस्ताव है उनसे विश्वविद्यालय के कैम्पस में फिर से सामान्य स्थिति कायम हो जायेगी और विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में एक शिक्षा निकाय के रूप में सरल और सुचारु रूप से कार्य करेगा। क्या मैं उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, राजनीतिक दलों के नेताओं तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भविष्य में रुचि रखने वाले महानुभावों से अपील कर सकता हूं कि वे हमारी एक महान संस्था जो हमारे लिये एक महानतम राष्ट्रीय विरासत है, और जिस महान उद्देश्य और स्वप्न को लेकर जिसकी स्थापना हुई थी, उसके योग्य बनी रह कर उसी के अनुरूप फिर कार्य शुरू कर दे उसके लिए अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

Shri Rabi Ray (Puri): Nothing has been said regarding those students who have been rusticated unless these students are taken back how can we expect the law and order situation being maintained there. (**Interruptions**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों को रिहा करने की मांग की जा रही है तथा सरकार इस बारे में विचार करे। मंत्री महोदय इन मामलों की जांच करें।

डा० वी० के० आर० वी० राव : समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है तथा

प्रत्येक सदस्य को उसकी प्रति उपलब्ध है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1476/69] माननीय सदस्य प्रतिवेदन का अध्ययन करें तथा उसके उपरान्त जो कुछ कहना चाहें कहें।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 4 अगस्त, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :

(1) सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(2) स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री कंवर लाल गुप्त तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जायेगा, पर विचार।

(3) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968, में रूपभेद के लिये प्रस्ताव पर, जो श्री नन्दकुमार शाल्वे द्वारा 16 मई, 1969 को पेश किया गया था, आगे विचार।

(4) दण्ड तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में। (आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)

(5) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनको पारित करना :
दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1968
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
शपथ विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(6) गृह-कार्य मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर दल-बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अंतिम मद किस दिन ली जायेगी ?

श्री रघुरामैया : यह सब मदें अगले सप्ताह में ली जायेंगी किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इनका क्रम यही रहे।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : विगत सत्र से मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि तेलंगाना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा हो। कार्य मंत्रणा समिति

में भी यह प्रश्न उठाया गया था तथा इसके लिये कुछ समय देने की सहमति भी मिली थी। मेरा निवेदन है कि तेलंगाना की समस्या पर चर्चा होनी चाहिये क्योंकि वहां एक प्रकार से पुलिस राज्य है।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): May I know whether the Hon. Prime Minister would like to make a statement, regarding her talks with the President of U.S.A. during his recent visit to India?

Shri Randhir Singh (Rohtak): In the light of the acute shortage of the tractors in the country, may I know whether the Minister of Food and Agriculture will make a statement regarding the proposal, if any, of setting up plant for manufacturing tractors in the country?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): So many events of international importance, such as Sino-Soviet dispute, Indo-Pak relations etc., have occurred during these days.

I request that an opportunity should be given to hold discussions on the international situation next week. The Bill on Members Salaries and Allowances should not be taken up immediately as there is sharp difference of opinion over this Bill and priority should be given to the social legislation like Foreign Marriages Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : तेलंगाना की स्थिति पर तत्काल विचार होना चाहिये क्योंकि वहां सम्पूर्ण कालिजों तथा स्कूलों को जेलों में परिणत कर दिया है। सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के विधेयक को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि जनमत इस विधेयक के विरुद्ध है। 34 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से लिखित मांग की है कि उन बरखास्त कर्मचारियों को क्षमा प्रदान करके उन्हें दुबारा काम पर बहाल किया जाए जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था तथा उनके संघ को मान्यता दी जाए। सरकारी आयुध कारखानों में पूरे काम की क्षमता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने चार आयुध कारखानों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे परन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अतः माननीय मंत्री जी एक वक्तव्य दें कि वहां से कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I request the Hon. Minister for Parliamentary Affairs to include the question of increasing subversive and violent activities in the country in the list of business and this question must discussed next week. I also request that the question regarding use of foreign money during the political election campaign of India may be taken up for discussion in the House next week positively.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : राजस्थान नहर निर्माण कार्य की प्रगति पर सदन में चर्चा होनी चाहिये क्योंकि इस परियोजना पर हो रहे काम में धनाभाव के कारण ढील आ गई है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): A Bill on the Khudabakhsh Oriental Library is pending since last session in the House. I request that this Bill may be taken up for discussion now.

Secondly, the non gazetted employees of Bihar State went on strike twice. The Bhola Shastri Government in Bihar at that time had decided to give them five days' salary but despite a request made by fifty members of Parliament to the Hon. Home Minister,

Shri Chavan the same has not been given to the employees. Apart from this, workers working in the college industry there have been on the hunger strike since last May because they have been rendered unemployed. Therefore discussion should be made in this House on these issues so that the feelings of resentment may be removed from the workers and State Government employees.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I want to know whether the Hon. Prime Minister had discussions with U.S. President Shri Nixon on the international situation including the fighting going on between El-Salvador and Honduras, and if so, the details thereof?

Secondly, whether the Asian countries have been invited to attend the Geneva disarmament Conference, whether Yugoslavia has been invited and Yugoslavia, India and U.A.R, are all members of neutral summit. When Yugoslavia has been invited in the Geneva disarmament conference what are the reasons that India has not been invited? Government must make a statement in this connection in the House.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद): श्री बाकर अली मिर्जा के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गए मामले पर पूर्ण उत्तर तथा उस पर महाभिकर्ता के मत पर विस्तार से वक्तव्य देने के लिये मैंने कल माननीय विधि मंत्री से अनुरोध किया था।

नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये विषय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MATTER UNDER RULE 377

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I object to this matter having been laid on the Table. There has been a great constitutional impropriety in this matter. (**Interruptions**)

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये मामले पर मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दे दिया है और इस मामले को नहीं उठाया जा सकता। इसमें दो महत्वपूर्ण सांवैधानिक मामले हैं। श्री दांडेकर ने कल यह सुझाव दिया था और आपने उसका समर्थन किया था कि इस मामले पर वाद विवाद होना चाहिये। अब इस मामले पर हम सलाहकार समिति में विचार करेंगे।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम): राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र की संवैधानिकता के सम्बन्ध में 31 जुलाई 1969 को श्री मधु लिमये द्वारा उठाए मामले पर मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1477/69**]

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर दस मिनट म० प०
तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दस मिनट म० प०
पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Ten Minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तान्तरण) विधेयक जारी

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—(Contd)

खण्ड 11

सभापति महोदय : सदन अब खण्ड 11 पर विचार करना आरम्भ करेगा ।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनमर) : मैं अपने संशोधन 287 तथा 288 पर वक्तव्य देना चाहता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व यह बता दिया जाए कि सदस्यों में प्रसारित इन संशोधनों में से किनको प्रस्तुत कर दिया है और किनको नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I support Shri D. N. Patodia, we must know the amendments which the Government like to put up.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अन्य खण्डों के साथ और अनेक संशोधन है परन्तु सरकार उनमें से पांच या छः से अधिक प्रस्तुत नहीं करेगी । अतः एक विशेष खण्ड को लेने के पूर्व ही मैं यह बता दूंगा कि अब हम कौन-सा संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नारायण दांडेकर : यदि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि आप किन संशोधनों पर विचार करने जा रहे हैं तो हम तत्काल उन्हीं संशोधनों की महत्ता पर विचार करके उनकी संगति अथवा असंगति का निर्णय कर लेंगे ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The amendments which we moved here have not been circulated to us, and until and unless they are circulated to us how can we discuss the matter ? Therefore the amendments which we have moved should be circulated first and only after that the matter be proceeded.

सभापति महोदय : इस सम्बन्ध में मैं पुनः यह बता दूं कि हम आज खण्ड 6 तथा 7 पर विचार नहीं करेंगे परन्तु अध्याय चार में खण्ड 11, 12 तथा 13 पर विचार करेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : इसके साथ हमें यह भी बता दें कि सरकार के कौन से संशोधन हैं ।

सभापति महोदय : सरकारी संशोधनों को प्रसारित कर दिया गया है । अब हम खण्ड 11 पर हैं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि खण्ड 6,7,8 तथा 9 में सरकारी संशोधन कौन से हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जायेगा तथा वे भी जिनको प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ?

सभापति महोदय : यह मामला सरकार के समक्ष है तथा सरकार किसी समय पर इसकी स्थिति को समझा देगी ।

श्री नारायण दांडेकर : खण्ड 11 तो केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श के पश्चात् नीति के उन विषयों के बारे में है जिनमें लोक हित का प्रश्न है । ऐसे निदेशों को जारी करना अधिकार देने से सम्बन्धित है और इसके उपखण्ड (2) में यह उल्लिखित है कि यदि यह प्रश्न उठे कि क्या कोई निदेश किसी नीति के ऐसे विषय से सम्बद्ध है जिसमें लोक हित का प्रश्न आता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जायगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का निश्चय अन्तिम होगा । खण्ड 11 के उपखण्ड (2) को समाप्त करने के लिए मेरा संशोधन है अतः मैं उपखण्ड (2) पर चर्चा करना चाहूंगा ।

मेरा सुझाव है कि यह कहना तो नितान्त असंगत है, क्योंकि समय-समय पर उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपने न्यायाधिकार का प्रयोग किया है, और इस बात का निर्णय किया है कि अमुक बात लोक हित के लिए है अथवा सरकार की कोरी कल्पना और वहम मात्र है । अतः न तो विधि मंत्री जी और न ही सरकार अथवा सरकार का कोई मंत्रालय इस बात का अन्तिमरूप से निर्णय कर सकता कि क्या चीज लोकहित में है अथवा नहीं । भूमि अधिग्रहण जैसे अन्य मामलों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और अब सरकार किसी प्रकार का निर्णय करने के लिए अपना यह परमाधिकार नहीं जता सकती कि जो भी निदेश दिया गया है, वह लोक हित में है और उस निर्णय पर न्यायालय में अपील नहीं हो सकती ।

इस विधेयक पर आम बहस के दौरान माननीय विधि मंत्री जी ने, मेरी जो बात खण्डित की है, उससे मैं सहमत तो हूं परन्तु यह एक उदाहरण है कि क्या बैंककारी विनियमन अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् रिजर्व बैंक को यह निर्णय करने का अधिकार है कि क्या बात लोकहित में है परन्त यहां खण्ड 11 को देखते हुए यह बात बिल्कुल उलटी है ।

अत: मैं इसको इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं :

कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दूसरे शब्दों में कि इस अधिनियम के विशिष्ट उपबन्ध इसी सीमा तक बैंककारी विनियमन अधिनियम से पृथक होंगे कि :

"....बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व जैसे वर्तमान बैंकों पर लागू होते हैं, तदनुरूप नए बैंकों पर भी लागू होंगे।"

मेरी इच्छा है कि इसे इसी विशेषरूप में रखा जाए। उस रूप में नहीं जिस रूप में खण्ड 25 में इसे रखा गया है। इसलिए जहां तक सम्भव हो सके बैंककारी विनियमन अधिनियम के सम्पूर्ण उपबन्धों को लागू किया जाए। बैंककारी विनियमन अधिनियम की विशिष्ट उपबन्धों का धारा 51 के उपबन्धों द्वारा निरसन कर दिया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 6 (1) में बताया है कि तदनुरूप नए बैंक किस प्रकार के आनुषंगी कार्य करते हैं, परन्तु अधिनियम की धारा 6(2) में निषेधात्मक कथन है कि कोई भी बैंककारी कम्पनी अपने आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित न हो। धारा 6 की उपधारा (1) का तदनुरूप नए बैंकों पर विनियोग इस धारा की उपधारा (2) के निषेधात्मक उपबन्धों पर लागू नहीं होगा जो वास्तव में निषेधबोधक कि कोई बैंककारी कम्पनी उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यों से अन्य किसी प्रकार के कार्य नहीं करेगी।

वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत तदनुरूप नए बैंक साधारणतया बैंककारी कार्य कर सकते हैं। जब तक मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया जायेगा तब तक इसके लिये कोई निषेधबोधक उपबन्धों की व्यवस्था नहीं हो सकती।

बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 8 इस विशिष्ट विधेयक के खण्ड 25 के परिसीमित उपबन्धों के द्वारा, तदनुरूप नए बैंकों पर लागू नहीं होती। धारा 8 के अनुसार वर्तमान बैंक व्यापार कार्य नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये नये बैंक वे कार्य नहीं कर सकते जिनको धारा 6 (1) के निषेधात्मक उपबन्धों तथा धारा 8 के अवैकल्पिक उपबन्ध के द्वारा निषिद्ध घोषित किये गये हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम में अन्य अनेक उपबन्ध हैं जिनको नये बैंकों पर लागू किया जाना चाहिए। यदि इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि वर्तमान बैंकों के बैंककारी व्यापार को अधिग्रहीत करके तदनुरूप नये बैंकों को सौंपा जाए तो इस अधिनियम को खण्ड 25 में उल्लिखित उपबन्ध इस अधिनियम का विनियोग करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए इस विधेयक के खण्ड 11 के उपखण्ड (1) में संशोधन किया जाये जिससे केवल उपक्रमों के स्वामित्व में परिवर्तन आए तथा उन उपक्रमों का उपयुक्त प्रबन्ध हो। इसलिए इस विधेयक में दो संशोधन लाये जाएं, एक तो बैंककारी विनियमन अधिनियम का विनियोग तथा दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार से, इस बात के निर्धारण करने का कि कौनसी बात लोक हित में है। तदनुसार अधिकार वापस लिए जाएं। इस बात का निर्णय करने का अधिकार तो केवल न्यायालयों को होना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I have made a submission that word 'rural' may be inserted before the word 'involving' and after the word 'public' in sub-clause (i) of clause 11. You have mentioned in the objects and reasons of this Bill that more facilities will be given to the farmers and villagers, but now you have mentioned public interest. The preposition 'public interest' means every one including big businessmen, Industrialists and the Rajas. They are the only persons who have been getting these facilities since long. I want that the money should be spent on the development and improvement of the rural areas, villagers and the farmers. Even after the nationalisation of the banks this is not done and the money is allowed to be floated in the hands of big capitalists. The rural areas of the country will not develop and you will not be able to face the resolution having been brought by the increasing leftist forces in the country. You can only face these leftist forces if you give facilities to the villagers and farmers, you give them employment. These villagers and farmers are poor, they have no sources of income, and employment. I again request that the money of the nationalised banks should be spent for the development of the poor villagers and farmers. Therefore my amendment for inserting the word 'rural' as requested above may be considered.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : खण्ड 11 के उपखण्ड (1) में 'लोकहित' शब्द आया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस उक्ति का कौन निर्णय देगा कि यह मामला लोकहित में है । इसी प्रकार उपखण्ड (2) के विषय में कौन विवाद उठाएगा ? क्षेत्राधिकार नए बैंकों को दिये जायेंगे जो भारत सरकार के निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे । ऐसी स्थिति में कौन विवाद उठायेगा कि यह लोकहित में है अथवा नहीं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): इसका लक्ष्य बिलकुल साफ बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है । व्यापक सामाजिक उद्देश्य को देखते हुए तथा कृषि, लघु उद्योगों, तथा पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति एवं विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कुछ बैंककारी संस्थाओं का अर्जन किया है । इस लक्ष्य को देखते हुए यह खण्ड बहुत महत्वपूर्ण है । यदि इस खण्ड में कोई अन्य मत प्रस्तुत किया गया तो इसके उद्देश्य की क्षति हो जायेगी । यह कहा गया है कि कृषकों के लिये 25 प्रतिशत धन की व्यवस्था की जाए । परन्तु कृषकों के लिये इससे भी अधिक धन की व्यवस्था की जा सकती है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये, तथा कृषकों के लिये और अधिक धन का आवंटन किया जायेगा ।

यदि प्रस्तावित संशोधनों के स्वरूप के किसी अन्य बात को स्वीकार किया गया तो जिस उद्देश्य के लिए इस खण्ड की व्यवस्था की गई है उसकी हानि हो जाएगी । अत : मेरा अनुरोध है कि इन सब संशोधनों को अस्वीकार किया जाए ।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : I rise to support the amendment moved by Shri Madhu Limaye. The Bill should clearly spell out the percentage of the funds of these banks to be made available for agriculture and industry. During the last twenty years, no percentages were fixed for agriculture and small scale industries and the loans advanced to them were rather negligible. Now nationalisation of 14 major banks has been effected and if certain percentages are not fixed and no guidelines laid-down for the purpose, agriculture would not receive any better treatment in the future also. The Government should, therefore, accept this suggestion and assure that a substantial percentage of the amount would be given for utilisation in the rural areas for the benefit of agriculturists.

श्री गोविन्द मेनन : ये 14 नये बैंक सांविधिक निगम हैं। विधेयक का खण्ड 11 स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 18 (1) तथा उप-धारा (2) की ठीक नकल है। इस उपबन्ध को विधेयक में समाविष्ट करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि सामान्य चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने मांग की कि इन बैंकों की राशि के एक विशेष प्रतिशत भाग का उपयोग ग्रामीण आबादी के लिये किया जाना चाहिए। जब तक सरकार को इस मामले में निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त न हो, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद जैसा कि प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है, यह सुनिश्चित करना है कि इन बैंकों की राशियां पिछड़े क्षेत्रों के लिये, दलित क्षेत्रों के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये, लघु उद्योगों के लिये तथा अपने निजी व्यवसायों में लगे लोगों आदि के लिये उपलब्ध किये जायें। यदि ये मामले पूरी तरह उन्हीं लोगों पर छोड़ दिये जायें जो बैंकिंग व्यवसाय के तरीकों में प्रशिक्षण-प्राप्त हैं, तो सरकार का इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अतः यह उपबन्ध आवश्यक है।

यदि सरकार को प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों के पूर्णतः अननुरूप निदेश देती है अथवा देने का विचार करती है, तो उसे कोई भी नागरिक, क्योंकि सार्वजनिक धन अन्तर्ग्रस्त है तथा खुद बैंक ही उसे चुनौती दे सकता है। इस प्रकार यह ऐसा मामला है जिसमें अन्तिम फैसला सरकार का ही होना चाहिए। लेकिन हम रिजर्व बैंक से परामर्श ले रहे हैं। सरकारी शक्ति के प्रयोग के मामलों में हम उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च-न्यायालय से परामर्श नहीं करते। आखिर ये निदेश जन-कल्याण के लिये हैं।

श्री प्र० चं० सेठी के संशोधन को, जो कि मौखिक संशोधन है, छोड़कर, मैं उन सभी सदस्यों से जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, अपने संशोधन वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री रणधीर सिंह : माननीय मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए कि इन बैंकों की राशि की पर्याप्त प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिये दी जायेगी।

श्री गोविन्द मेनन : विधेयक का उद्देश्य ही ग्रामीण लोगों को पर्याप्त सहायता देना है।

श्री नारायण दाण्डेकर : मंत्री जी ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या ये बैंक गैर-बैंकिंग क्रियाकलाप तथा व्यापार कर सकते हैं।

श्री गोविन्द मेनन : बैंकिंग निगम केवल बैंकिंग तथा सम्बद्ध कार्य ही कर सकता है। हम इन बैंकों को व्यापार करने के लिये अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं।

सभापति महोदय : जैसा कि प्रस्तावकों ने इच्छा व्यक्त की है, संशोधन संख्या 113, 76, 148, 179 तथा 288 सभा के मतदान के लिये पृथक-पृथक रखे जायेंगे।

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक संशोधन संख्या 179 का सम्बन्ध है. मैं उसके भावार्थ से सहमत हूं लेकिन विधेयक में इतने कठोर उपबन्धों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से उसे वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 179 वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 179 वापस लिया गया।

Amendment No. 179 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 148 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 148 मतदान के लिये रखा गया
तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 148 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 76 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 76 मतदान के लिये रखा गया
तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 76 was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 113 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 113 मतदान के लिये रखा गया
तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 113 was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 288 को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 288 मतदान के लिये रखा गया
तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 288 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 129 को छोड़कर शेष सभी संशोधनों को सभा के मतदान लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 129 को छोड़कर अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये
रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All amendments except No. 129 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 129 को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 13—

Page 6, line 13—

(एक) "कृत्य" **के स्थान पर** "कृत्यों" **रखिये**

(i) **for** "function" **substitute** "functions"

(दो) "निदेश" **के स्थान पर** "निदेशों" **रखिये** ।

(ii) **for** "direction" **subsitute** "directions"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खंड 12

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 12 लेंगे । खण्ड 12 के सम्बन्ध में संशोधन पेश किये जा सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 के **बाद, निम्नलिखित जोड़िये—**

"(3) The Advisory Board shall include representatives of bank employees, farmers, workers and artisans".

["(3) सलाहकार बोर्ड में बैंक कर्मचारियों, किसानों, श्रमिकों तथा कलाकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।"] (**संशोधन संख्या** 9)

श्री देवेन सेन : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपना संशोधन संख्या 77 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं अपना संशोधन संख्या 102 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 114 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं अपना संशोधन संख्या 164 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मैं अपना संशोधन संख्या 170 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 200 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 213 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 228 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपना संशोधन संख्या 229 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 289, 290 तथा 291 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 325 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 346 तथा 369 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Madhu Limaye: My amendment seeks to include representatives of bank employees, farmers, workers and artisans in the Advisory Board. There are several undertakings in the public sector where no basic change is bing effected in their working and functioning. What we wanted was the Board of Directors of the Advisory Boards, as the case may be, should not consist only of these persons belonging to the party in porwer. The Hon. Law Minister during the discussions on social control of.....

श्री गोविन्द मेनन : मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : धन्यवाद । अब भाषण की कोई आवश्यकता नहीं ।

सभापति महोदय : अब समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिये नियत है । मुझे अभी संसद-कार्य मंत्री से सुझाव मिला है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को 4 बजे लिया जाय और इस कार्य को तब तक जारी रखा जाये । सुझाव सभा के समक्ष है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं । हम अधिक समय तक बैठना नहीं चाहते । ऐसी स्थिति नहीं है कि विधेयक पर वाद-विवाद आज ही समाप्त हो जाये । उस पर सोमवार को फिर विचार करना है इसलिये मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को आज और अधिक समय दिया जाये और गैर-सरकारी सदस्यों का बिजीनेस 4 बजे आरम्भ किया जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, we have our engagements in the evening and as such it would not be feasible for us to sit any longer on this Bill today. Moreover, on Monday we have to take it up again. Therefore, private Member's business should not be shifted to 4 O'clock.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संसद कार्य मंत्री के सुझाव का पूरी तरह समर्थन करता हूं । इस सम्बन्ध में उन्होंने हमसे विचार-विमर्श भी किया था और हमने भी यही महसूस किया कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प तथा विधेयक यदि 4 बजे लिये जायें, तो उसमें कोई हानि नहीं । इस बारे में मैंने अन्य तथा सम्बन्धित सदस्यों से भी परामर्श किया था । उनकी राय भी यही थी । दूसरी बात, पश्चिम बंगाल विधान-सभा में जो घटना घटी है, उस बारे में गृह-कार्य मंत्री जैसा कि आज संकेत मिला है, सोमवार को एक वक्तव्य देंगे और उस स्थिति में सभा के पास

इस विधेयक पर विचार करने के लिये अधिक समय नहीं रहेगा। इसलिये इस विधेयक पर चर्चा 4 बजे तक चलनी चाहिए। यदि सभा को यह सुझाव मंजूर न हो तो, फिर हमें कल शनिवार को बैठना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री बनर्जी ने जो कहा है मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यह महत्वपूर्ण विधेयक है अतएव मेरा प्रस्ताव है कि इस पर विचार करने के लिये कल सदन की बैठक हो।

सभापति महोदय : यदि सभी सहमत हों तो हम एकमत से निर्णय ले सकते हैं। दलीय नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया इसलिए मामले को आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री गोविन्द मेनन : कल सदन की बैठक बुलाई जाये।

सभापति महोदय : आप प्रस्ताव रखें हम विचार करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

51वां प्रतिवेदन

श्री सोमचन्द सोलंकी (गान्धी नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 30 जुलाई, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 51 वें प्रतिवेदन से, जो 30 जुलाई, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

निजी थैलियां समाप्त करने सम्बन्धी संकल्प—जारी
RESOLUTION RE : ABOLITION OF PRIVY PURSES—Contd.

सभापति महोदय : अब सदन में श्री रबि राय के 9 मई, 1969 के निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी :

"इस सभा की राय है कि भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों की कर-मुक्त अदायगी को तथा उनके विशिष्ट विशेषाधिकारों को जारी रखना संविधान में उल्लिखित लोकतन्त्रीय तथा मानवीय समानता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, और इसलिये सरकार से सिफारिश करती है कि इन अदायगियों के उत्पादन-कार्य को पूरा करने के लिये कार्यपालिका तथा विधायी दोनों प्रकार के सभी आवश्यक कदम उठायें परन्तु सीधे पुनर्वास हेतु निजी थैली की

वार्षिक रकम की सात गुना अथवा दस लाख रुपये की इकमुश्त अदायगी, जो भी कम हो, 2 अक्तूबर, 1969 तक कर दे।"

श्री नारायण दांडेकर (जाम नगर) : भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 की धारा 7 के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा देशीय राज्यों के साथ की गई सभी संधियां समाप्त हो गईं। प्रभुसत्ता राजाओं को प्राप्त हो गई। उस अधिनियम का प्रारूप अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ परामर्श के पश्चात तैयार किया गया।

तत्पश्चात सभी राज्यों के साथ यथास्थिति करार स्थापित करने का उपक्रम चला। यह गौरव की ही बात थी कि सभी राजाओं ने उक्त करार पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

उसके बाद अनेक राज्यों को भारत में मिलाने के करार हुए, जो कि ऐच्छिक थे। अन्ततः विस्तृत वार्ताओं के आधार पर राज्यों का भारतीय क्षेत्र में पूर्ण विलय सम्भव हो सका। कुछ राज्य भारत के प्रान्तों में विलय किये गये तथा कुछ राज्यों को मिलाकर 'राज्यों के संघ' बना दिये गये। उन करारों के अन्तर्गत, राजाओं को प्रिवी-पर्स आदि कुछ विशेषाधिकार दिये गये थे। संविधान से पूर्व सत्यनिष्ठ करार किये गये थे। उन्हीं करारों के आधार पर हमारा काश्मीर तथा कच्छ आदि पर दावा स्थापित हुआ। यह करार एक प्रकार से प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के साथ की गई संधियां थीं। मेरा सुझाव है कि सत्यनिष्ठा से किये गये इन करारों का हमें आदर करते रहना चाहिये।

निजी थैलियों के उन्मूलन के पक्ष में, संविधान की समता एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लिया जाता है। परन्तु उसी प्रकार इन करारों के परिणाम भी हमारे संविधान में दिए गये हैं। दोनों बातों को समान संवैधानिक महत्व प्राप्त है।

माननीय सदस्यों को इस सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए इन करारों का आदर करना चाहिए। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Randhir Singh (Rohtak): This is an important resolution and I feel proud that my party initiated it, but I also feel that the other party members who have moved it want to get some credit for this. Any how I urge upon the Home Minister to expedite the matter. The system of Privy Purses does not exist anywhere else in the World. Our poor country cannot afford crores of rupees on Privy Purses. Pensions are given in view of services rendered. But these people have not rendered any service. These can neither be described as pay, nor pension, nor jagirs, nor gifts. What else are these then?

In case an agreement goes against the public policy it becomes void. We should adhere to the saying, 'one who does not work, shall not eat'. So the question of moral obligation does not arise. There is a directive from the Congress to the Prime Minister and the Home Minister to perform this job. These rulers should become patriots and should earn their livelihood henceforth with their own efforts. I request the Hon. Minister to take immediate steps to abolish Privy Purses.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): When the British entered India, Indian States faced them bravely. But after the establishment of British rule these princely states were helping the British rulers to retain their hold on this land. After independence states tried to attain separate identity for themselves. But they could not stand against the upheaval of the people.

Lord Mountbatten had written to our Prime Minister not to abolish the Privy Purses. Will the Minister of Home Affairs intimate what reply was given to Lord Mountbatten?

The continuance of these Privy Purses is a great impediment in the way of our democracy. Should we hope that the Home Minister will make an announcement today declaring abolition of Privy Purses during the current session? These people possess all sorts of wealth and it will not hit them if Privy Purses are abolished.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

We shall welcome voluntary announcements by Dr. Karn Singh and Shri Dinesh Singh that they shall not accept Privy Purses.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): At the time when decision to give Privy Purses was arrived at, my party was not in existence. But the members of Congress party who were mainly framers of the Constitution are bound by the constitutional provisions. No doubt times have changed but no one-sided decision can be taken in the matter.

The decision taken by the ex-Princes at the time of partition with regard to the merger of their states into the Indian Union was full of patriotism. While praising the ability and diplomacy of Sardar Patel we should also appreciate the patriotism of the ex-rulers.

The Britishers while leaving India gave the right of joining any dominion to the States or to remain independent. Had the rulers been bent upon creating some mischief, as few had tried to do, we would have been in new danger. Therefore, I would say that we should welcome the spirit shown by rulers in merging their States with the Indian Union. Two former rulers of States in Gujarat created many difficulties for us by taking a wrong decision. These things should be kept in mind while taking a decision on the abolition of Privy Purses.

I have also read the statement of Shri Dharangdhra. It appears to me that they are anxious to have discussions on this matter with the Government. He has stated in his statement that 'the anxious concern of rulers like that of other citizens is that the essential things which affect the life and well-being of society must commend the prime attention, thought and energy of Government, especially at the critical time through which the country is passing. In this as in matters touching national interest, the rulers like other citizens are duty bound to serve and sacrifice as occasion requires'. This statement should be welcomed. I would say that we should not force any decision on them rather we should make them agree to leave their purses and privileges through negotiations.

My Hon. friend Shri Rabi Ray has given an alternative suggestion in his resolution. He has suggested in his resolution that to solve the rehabilitation problem of some of the ex-rulers to give them seven times the amount of their annual purse or ten lakh rupees whichever is less lump-sum.

I request the Government not to take any unilateral decision and hold discussions with the rulers on this matter.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli): It looks as the House has been divided in two camps on this matter. It is not good. Twenty-two years back the rulers merged their States into Indian Union on the inspiration of Sardar Patel. We should again pursuade them to change according to changed circumstances. The question of moral obligation should not be raised keeping in view the prevailing conditions of the country. It is the demand of the nation that the purses of the rulers should be abolished. I would, therefore appeal to the rulers that they should at their own declare that they will not enjoy privileges and take Privy Purses. The question of rehabilitation of some of the rulers or other details can be settled through

negotiations. I once again appeal to the ex-rulers to leave the Privy Purses and privileges at their own otherwise the country is not going to tolerate them any more. The whole nation is against these purses and privileges.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : श्रीमान जी, संविधान सभा के दिनों से ही समाजवादी दल निजी थैलियां समाप्त करने की मांग करता रहा है। कांग्रेस इन 22 वर्षों में निजी थैलियां बन्द करने के बारे में नाटक करती रही है। $1\frac{1}{2}$ वर्ष पहले एक प्रश्न के उत्तर में गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या कारण हैं कि इतने महीने बीत जाने पर भी उन्होंने नहीं बताया कि निजी थैलियां बन्द करने से क्या बात उन्हें रोक रही है।

हमारी मांग यह है कि निजी थैलियां बिलकुल बन्द कर दी जानी चाहियें। यदि कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह सामाजिक उद्देश्यों के लिए वचनबद्ध है तो उसे निजी थैलियां तुरन्त समाप्त कर देनी चाहियें। कांग्रेस का साथ देने वाले नरेश इस आशा से उसका साथ दे रहे हैं कि वह निजी थैलियां बचा पायेंगे। परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब यह कुछ दिनों की बात है। जनता की इच्छा कांग्रेस को थैलियां बन्द करने के लिए बाध्य कर देगी।

कहा गया है कि नरेश देशभक्ति के कारण 1947 में भारत संघ में शामिल हुए परन्तु वास्तविकता यह है कि 1947 में जनता में भारी उत्थान के कारण उनके लिये और कोई चारा ही नहीं रह गया था। उस समय कांग्रेस को निजी थैलियां पूर्णतया बन्द कर देनी चाहिये थीं। जहां तक प्रतिकर देने का सम्बन्ध है, प्रतिकर केवल उन नरेशों को मिलना चाहिए जो आम जनता की भांति निर्धन हों। गृह-कार्य मंत्री को वह तिथि स्पष्ट बतानी चाहिये जब निजी थैलियां बन्द कर दी जाएंगी।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मेरे लिये यह संकल्प स्वीकार करना कुछ कठिन है क्योंकि इनमें कुछ प्रतिकर देने का सुझाव है जिससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री दांडेकर का यह कहना गलत है ये राजे महाराजे देशभक्त हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हथठोके हैं। कांग्रेस सरकार उन्हें गत 22 वर्षों से धन दे रही है। उन्हें कोई धन नहीं दिया जाना चाहिये था। ये नरेश राज द्रोही हैं।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : इस सभा के कुछ सदस्य नरेश हैं और माननीय सदस्य उनकी आलोचना कर रहे हैं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : On a point of order, Sir. The words used against ex-rulers are unparliamentary. Those words should be withdrawn.

सभापति महोदय : कृपया किसी सदस्य पर कोई आक्षेप न किया जाये।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ लोग देशद्रोही हैं। आप इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें अथवा उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री नम्बियार : उन्होंने कुछ और बात कही है ।

सभापति महोदय : यदि उन्होंने "देशद्रोही" शब्द प्रयोग किया है तो उन्हें इसे वापिस लेना चाहिये ।

श्री बृजराज सिंह (झालावाड़) : यदि राजे महाराजे देशद्रोही थे तो सरकार को उनको देशद्रोहियों की भांति गोली मार देनी चाहिये । परन्तु इन्हें उनको देशद्रोही नहीं कहना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ मेनन : मैंने वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । मैंने कहा था कि 1947 के समझौते से पूर्व ये महाराजा लोग स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे ।..... (**व्यवधान**)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ मेनन : आप चाहते हैं तो मैं वापिस लेता हूं । परन्तु मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि यह राजा लोग देश की आजादी के विरुद्ध थे । 22 वर्ष तक हमने उन्हें निर्धन लोगों का धन दिया है । इनके पास बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां हैं ।

मैं चाहता हूं कि इस संकल्प को प्रतिकर वाले खण्ड बिना पारित कर दिया जाये । कांग्रेस ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है । सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व यह कार्य करना चाहिये था । इसका समूचे देश पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता ।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस वाले वास्तव में समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें आज ही राजाओं की निजी थैलियों को समाप्त करने की घोषणा कर देनी चाहिये । राजनीति के झगड़ों में न पड़कर ऐसा कर दिया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This discussion is not against any body. I know that many princes, who are the Members here, are very decent persons. They are great patriots. We are not against them. Our differences are on principles.

Shri Vajpayee has drawn our attention to the sanctity of agreements made with the princes in the past. I am surprised at this. We should take into consideration the plight of 50 crores of poor people of our country. There is a provision of fundamental rights in our Constitution. Article 14 says:

> "The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India." Thus the framers of our Constitution gave the highest place to the fundamental rights.

I had raised discussion on this subject two years ago. I had written to the Prime Minister on this subject. On that the Hon. Home Minister had said that Government agreed with this in principle. He had agreed to consider this and take a decision. Now Government has nationalised 14 banks but has not taken any decision on this.

I have been told that decision has not been taken because Lord Mountbatten had written a letter to Shrimati Indira Gandhi, because there are many Maharajas in her Cabinet. I want to know why Government is not taking necessary steps in the matter.

Government did not enter into negotiations with Zamindar and shareholders of banks. Now what is the need of entering into negotiation with princes for abolishing the Privy Purses. It is a matter concerning our country. Lord Mountbatten has no concern with this now. I urge this Government to fix deadline before which a decision would be taken.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : सभी को समान दर्जा और अवसर के मूल अधिकार के समक्ष राजाओं के विशेषाधिकार एक परस्पर विरोधी बात है । पंडित नेहरू ने राजाओं से अपील की थी कि वे अपनी निजी थैलियों में कटौती करें। उसका कोई असर नहीं हुआ था । कांग्रेस पार्टी ने भूतपूर्व राजाओं की थैलियां समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है । अब यहां श्री राय इसे एक गैर-सरकारी संकल्प के रूप में लाये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं । अब सरकार समाजवाद की प्राप्ति की दिशा में अधिक दृढ़ता से कदम उठा रही है, तो इस कार्य को भी अभी कर दिया जाना चाहिये ।

सरकार इस बारे में बात चीत कर रही है । अतः इसके लिये समय सीमा निर्धारित करने की विशेष आवश्यकता नहीं है । वैसे सरकार को इस दिशा में शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I support the views expressed by my Hon. friend Shri Madhu Limaye. I respect Congressmen also because they have been my colleagues. Now it is a question of principle. We should respect all those who have love for the country These princes are patriots of the first water. It was a Maharani who got the maximum number of votes—more than the Prime Minister. It show how popular they are among the masses.

I want to submit to the Hon. Ministers that they should honour the word of Sardar Patel, who was their leader and Home Minister of the country. It was he who had entered into the agreements with princes after negotiations.

Many princes had contributed substantially in the struggle for the freedom of country. We cannot forget heroic roles of Maharajas of Alwar and Nabha and Bikaner.

Then the money which the princes receive is spent on establishment of servants of princes. If Privy Purses are abolished, a large number of persons will be thrown out of employment. The B. K. D. has come out with support for continuing the purses.

श्री पीलु मोदी**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमद नगर) : मैं जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने हमें जो आश्वासन दिया था कि वह बातचीत करेंगे तो क्या वह बातचीत असफल रही है अथवा वह अभी चल रही है ? यदि बातचीत असफल रहती है तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया

**Not recorded.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur). At the time of London Round Table Conference, the representative of princes had promised that states would be prepared to merge with Indian Union, if India was granted freedom. This showed their patriotism at that time. Then according to the Independence of India Act princely states were given a free hand to remain independent, but the states showed their readiness to merge with independent India on the call of Sardar Patel.

The princely states constitute about 47 per cent of the total area of India. It was great statesmanship of Sardar Patel that all states except one were integrated. Sarder Patel had promised them that these privy purses and had assured that these would be honoured. An assurance to that effect can be seen in the proceedings of the Constituents Assembly. I want to quote from the last paragraph of Sardar Patel's speech.

"यदि शासकों के साथ शान्ति-वार्ता के फलस्वरूप यह समझौता नहीं हो पाता, तो वे कितनी मुसीबतें खड़ी कर देते, इसका अनुमान आज नहीं लगाया जा सकता। हमें उनके साथ न्याय करना चाहिये।.....शासकों ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया—अपनी शासन-सत्ता अन्तरित कर दी तथा अपनी रियासतें भारत में विलय कर दी हैं। अब इन समझौतों के दूसरे भाग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है अर्थात इस ओर से आश्वस्त होना कि प्रिवी पर्स सम्बन्धी दी गई हमारी गारंटी सच्ची उतरे।.....

In this way Government is also morally bound to honour the assurance of a former Home Minister of India. If Government goes against those assurances, many retrograde steps could be taken by it and declared as justified. Tomorrow it can go back on its promise given in currency notes.

Our Government in getting huge amounts as loan from foreign countries. Can it go back on the question of repaying it back? I have moved an amendment to this resolution. It should be accepted.

In the end again, I want to say that we should honour the assurance given by Sardar Patel to the princes.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों के बारे में पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मैंने सरकार की ओर से प्रमाणिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया था।

सरकार ने भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त करने को सिद्धान्त-रूप में स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व शासकों से बातचीत की जा रही है और आशा है बातचीत के जल्दी ही परिणाम निकलेंगे। उनके विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सों को समाप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार उनको दिये वचनों का पालन नहीं कर रही है। अब देश की स्थिति बदल रही है। और अब यह आवश्यक है कि हमने जो निर्णय पहले लिये थे उन पर पुनः विचार किया जाये। उनसे हुई बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें अस्थायी भत्ते दिये जायेंगे। भूतपूर्व शासकों से की गई बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है और यह बातचीत उच्चतर स्तर पर फिर की जायेगी। उनकी देश भक्ति की भावना की मैं सराहना करता हूं। हमारे इस वार्ता में विलम्ब करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा इस बातचीत को इस वर्ष के अन्त

तक समाप्त करने का है। यह मामला काफी पेचीदा है और हम इस समस्या का उचित भावना से हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं श्री रवि राय से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें।

Shri Rabi Ray (Puri) : We have no ill feelings towards the rulers. These rulers are have been paid 105 crores of rupees during the last twenty two years in the form of privy purses. I want to know whether this is the idea of socialistic pattern of society ? All the privileges given to the rulers should be abolished.

Prime Minister has done a praiseworthy work by nationalizing the banks.

It would have been better had we promised to remove disparity and poverty in Gandhi centenary year, beginning from 2nd October, 1969.

Gandhiji also raised his voice against economic disparity. Today its importance cannot be neglected. It was then that Gandhiji gave us the weapon of 'Satyagrah' to fight against inequility, disparity and injustice. This slogan of socialism is merely a fraud and an excuse. The House should adopt this resolution. I am not prepared to withdraw my resolution, because it is a matter of principle. I hope that the House will pass my resolution with a majority vote.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से संशोधन प्राप्त हुए हैं। पहले मैं उनके विषय में निर्णय करूंगा और फिर मुख्य संकल्प को चर्चा के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 श्री सूपकार ने प्रस्तुत किया है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 2 और 3 श्री रणजीत सिंह ने प्रस्तुत किये हैं।

श्री रणजीत सिंह : मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

Amendment Nos. 2 and 3 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 4 श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रस्तुत किये हैं। क्या वह अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री के संशोधन संख्या 4 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 4 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री रणजीत सिंह अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री रणजीत सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 7 वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 7 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रताप सिंह ।

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No 8 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 10 वापिस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 10 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 10 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य संकल्प को सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियों की कर-मुक्त अदायगी को तथा उनके विशिष्ट विशेषाधिकारों को जारी रखना संविधान में उल्लिखित लोकतंत्रीय तथा मानवीय समानता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, और इसलिये सरकार से सिफारिश करती है कि इन अदायगियों के उत्सादन-कार्य को पूरा करने के लिये कार्यपालिका तथा विधायी दोनों प्रकार के सभी आवश्यक कदम उठाये परन्तु सीधे पुनर्वास हेतु निजी थैली की वार्षिक रकम की सात गुना अथवा दस लाख रुपये की इकमुश्त अदायगी, जो भी कम हो, 2 अक्तूबर, 1969 तक कर दे ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में	:	33
Ayes	:	33
विपक्ष में	:	176
Noes	:	176

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

विदेशी व्यापार, सामान्य बीमा आदि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : NATIONALIZATION OF FOREIGN TRADE, GENERAL INSURANCE Etc.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair]

श्री तारकेश्वरी सिन्हा : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि समाजवादी सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो कि सरकार की घोषित नीति है, सरकार अविलम्ब आवश्यक उपाय करे, अर्थात्—

(क) वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमे और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण;

(ख) भारत में समस्त विदेशी पूंजी नियोजन को अपने हाथ में लेना;

(ग) नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करना;

(घ) विमुद्रीकरण द्वारा काला धन समाप्त करना ।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरी इस बारे में संवैधानिक आपत्ति है ।

Mr. Chairman : An Hon'ble Member while raising a point of order should quote relevant rules without which it would not be valid. As the Hon'ble Member has not quoted any rule there is no point of order.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : संवैधानिक आपत्ति के कारण इसके विरुद्ध व्यवस्था देना उचित नहीं । यह अनुच्छेद 19,14 और 31 के विरुद्ध है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : क्या उनके विचार में यह सर्वोच्च न्यायालय है ?

Mr. Chairman : As already stated by me the Hon'ble Member should quote the relevant rule under which the point of order is being raised.

श्री लोबो प्रभु : मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । यह संकल्प असंवैधानिक है ।

Mr. Chairman : Before admitting any Motion the Hon'ble Deputy Speaker and Lok Sabha Secretariat should examine it whether the same is constitutional or unconstitutional. It has been admitted because it is constitutional. The Hon'ble Member can oppose it while making a speech and not now.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने कांग्रेस दल की ही नहीं, इस देश की जनता की इच्छाओं की पूर्ति के लिये इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने 1967 के चुनाव के लिये दस सूत्री कार्यक्रम बनाया था और उसकी बहुत सी बातें इस संकल्प में समाविष्ट की गई हैं । वे दस बातें हैं बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, सरकार द्वारा धीरे-धीरे एक के बाद एक वस्तु का निर्यात एवं आयात व्यापार अपने हाथ में लेना, अनाज का राजकीय व्यापार, सहकारी समितियों का विस्तार, नियमित रूप से एकाधिकार को समाप्त

करना, लोगोंकी कम से कम आवश्यकताओं की व्यवस्था, शहरी भूमि के मूल्यों में अनुपार्जित वृद्धि को नियमित करना, देहाती निर्माण कार्यक्रम और भूमि सुधार और अन्त में उसमें भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार की बात को सम्मिलित किया गया था । जहां तक अन्तिम बात का सम्बन्ध है श्री चह्वाण ने घोषणा की है कि दिसम्बर, 1969 में बातचीत समाप्त होगी । हमने जो निर्णय किया है, हम उस पर कायम हैं । उसके बाद हमारे दल तथा देश की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है । अब समाजवाद के बिना इस देश का अस्तित्व नहीं बना रह सकता, इस देश की प्रगति के लिये समाजवाद की गति तेज करना आवश्यक है ।

यदि हमें अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं है तो हम नष्ट हो जायेंगे । यह देखा गया है कि गत 15 वर्षों से धनवान तथा निर्धन के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है । डा० मैटल ने लिखा है कि निःसंदेह भारतीय समाज में विषमता है । योजना से इस बात का पता नहीं चलता कि अधिक समानता लाने के लिये आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाना चाहिये । योजना में केवल वित्तीय कार्यवाही तथा आर्थिक निर्णय का उल्लेख किया गया था ।

अतः मैं चाहती हूं कि इस संकल्प पर विचार किया जाये । इस बहस से आज नहीं तो कल हम अपने लक्ष्य के निकट आ जायेंगे । परन्तु कुछ सदस्य इस बात पर विश्वास नहीं रखते और न ही समझते हैं... (**व्यवधान**) । मुझे पता है कि ये लोग किनके हाथों में खेल रहे हैं और क्यों बाधा डाल रहे हैं । अब देश में जागृति आ चुकी है । अतः हमें 20 वर्षों में किये गये कार्य का मूल्यांकन करना चाहिये, तभी हम प्रगति कर सकते हैं । इस संकल्प पर विचार करने से मूल्यांकन में समय कम लगेगा अन्यथा इस कार्य में कई वर्ष लग जायेंगे । अब समय पहले से अधिक मूल्यवान है ।

कांग्रेस दल ने एक संकल्प पारित किया है । यह कोई क्रान्तिकारी पग नहीं है । हमने पहले भी इस प्रकार के पग उठाये हैं । मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि हमने लोगों को वचन दिया था और उन्होंने हम पर विश्वास किया था परन्तु दुविधा की स्थिति हमने पैदा की है । हमने जो नीति निर्धारित की थी, हमने उसे कार्यरूप नहीं दिया । अतः यदि प्रधान मंत्री ने अपने नोट में इस बात का उल्लेख किया तो मुझे इस संकल्प में उस बात का उल्लेख करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती । हमारा समय अभी दूर है और इस लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिये ही मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

अब हमें इस देश के भाग्य की दिशा नये सिरे से निर्धारित करनी है । यदि इस कार्य में हमें सफलता मिली जो मुझे विश्वास है अवश्य मिलेगी, तो हम किसी व्यक्ति-विशेष के प्रभाव से अपने को बचा सकने में समर्थ होंगे ।

Mr. Chairman : Hon. Member may continue her speech next time.

**औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति

**INDUSTRIAL LICENSING POLICY ENQUIRY COMMITTEE

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के विस्तृत

** आधे घन्टे की चर्चा

**Half an Hour Discussion

प्रतिवेदन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पद्धति द्वारा जिन बातों से बचना चाहिये था, वही हुई है।

हमारे औद्योगिक विकास की चार कमियां रहीं हैं। आर्थिक शक्ति का कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाना पहली बात है। दूसरे, एक तरफ तो औद्योगिक कार्यविधियां अपर्याप्त हैं जबकि दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों को इतने अधिक लाइसेंस दिये गये हैं कि उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा। तीसरे, क्षेत्रानुसार औद्योगिक विकास में एकरूपता नहीं लाई जा सकी। चौथे, उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात की दृष्टि से संतोषजनक औद्योगिक विकास नहीं हो पाया।

हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य उपर्लिखित चार दोषों को दूर करना नहीं रहा है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति निर्धारित करते समय किसी तरह का भी मार्ग-दर्शन, निदेशन तथा कोई भी सामाजिक अथवा आर्थिक लक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

प्रतिवेदन में सरकार की भूलों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों का अधिक विस्तार रोकने के लिये लाइसेंस नीति का उपयोग नहीं किया गया। योजनाओं की अग्रताओं के अनुसार उद्योगों का विकास हो, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। कम आवश्यकता वाले उद्योगों का विस्तार रोकने तथा अनिवार्य उद्योगों के विकास को बढ़ाने में भी सरकार असफल रही है। आश्चर्य की बात है कि सरकार की नीति एवं उससे कार्यान्वयन की भरपूर आलोचना करने के पश्चात भी लाइसेंस पद्धति को कुछ सुधारों के साथ और भी दृढ़ता से चालू रखने की सिफारिश की गई है।

प्रतिवेदन में व्यक्त किया गया है कि बड़ी बड़ी कम्पनियों ने 66.03% लाइसेंस प्राप्त किये।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की लाइसेंस नीति 1956 के औद्योगिक नीति के संकल्प को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से निर्धारित की जाती है अथवा नहीं ? क्या सरकार स्वीकार करती है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन एवं निदेशन करने में सरकार विफल रही है ? क्या दोषपूर्ण लाइसेंस पद्धति के कारण ही बड़े-बड़े उद्योग पतियों को अपने उद्योगों का अधिक विस्तार करने का अवसर मिला ? क्या यह सच है जिन उद्योगों से लाइसेंस हटा लिए गये हैं, उनका उत्पादन बहुत बड़ा है ?

क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर नए प्रबन्धक संवर्ग की स्थापना पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं माननीय सदस्य की इस विषय में रुचि के लिए आभारी हूं। प्रतिवेदन बहुत लम्बा

है इसलिए उसका अध्ययन पूरा नहीं हो सका । विभिन्न मंत्रालयों को उनसे सम्बन्धित टिप्पणियां भेजी गई हैं । जब तक मंत्रालयों के तथा योजना आयोग के विचार हमें मिल नहीं जाते, मैं इस विषय पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सकता । सरकार द्वारा निश्चय लिए जाने के पश्चात इस मामले पर सदस्यों के विचार अभिव्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रतिवेदन के अधिक विस्तृत होने के कारण मैंने केवल कुछ सामान्य प्रश्न ही पूछे हैं ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारे औद्योगिक नीति संकल्प के दो उद्देश्य थे । एक यह कि औद्योगिक विकास संतोषप्रद ढंग से हो, तथा दूसरे यह कि उत्पादन के साधनों पर कुछ ही व्यक्तियों का नियन्त्रण न रहे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने पूछा था कि क्या लाइसेंस पद्धति औद्योगिक नीति संकल्प को कार्य रूप देने के लिए अपनाई गई थी, अथवा नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कई उपायों में से एक है ।

'क्या हम प्रतिवेदन कि सिफारिशों को स्वीकार करेंगे', इस बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

जहां तक लाइसेंस नीति का सम्बन्ध है, सरकार औद्योगिक नीति लाइसेंस जांच समिति के प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के अतिरिक्त एकाधिकार जांच आयोग, हजारे समिति तथा योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखेगी तथा वर्तमान लाइसेंस नीति में जो भी सुधार करना होगा, करेगी ।

माननीय सदस्य का चौथा प्रश्न यह है कि जिन उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, क्या उनका उत्पादन बढ़ा है । इस बारे में मेरा निवेदन है कि ऐसे सभी उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ा है । कागज तथा सीमेंट उद्योग से लाइसेंस हटाया गया था किन्तु इन दोनों उद्योगों ने देश की आवश्यकता को अभी तक पूरा नहीं किया है । अतः यह कहना सच नहीं है कि लाइसेंस हटाने से उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है या उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । इसके विपरीत पिछले दिनों सिलाई मशीनों का उत्पादन करने वाले मुझसे मिले तथा अनुरोध किया कि इस उद्योग से लाइसेंस हटाये जाने के निर्णय को वापस ले लिया जाय । उन्होंने बताया कि एक देशी कम्पनी अपनी मशीनें सिंगर के नाम से बेच रही है । जब इनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उषा से प्रतियोगिता करने के कारण ऐसा किया जा रहा है । इस विषय में बहुत सी जटिल समस्याएं हैं । अतः मेरा निवेदन है, इन प्रश्नों को उपयुक्त अवसर पर ही उठाया जाय ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I appreciate the recommendations made by the Industrial Licensing Enquiry Committee and the Government should also accept them. It has been observed that big business houses are being accused for the concentration of wealth in their hands but I realise that no one else but the Government are responsible for this thing. Policies are framed by the Government and if they had been interested in preventing the concentration of wealth they would have made suitable policies in this regard and got them

implemented. I feel the vested interest and Government, and their senior officials have a some sort of collusion with each other and what is being done here is being done with the connivance of the Government. As a result of this the gap between the poor and the rich is becoming wider and wider. The Hon. Prime Minister has stated that the nationalisation of banks has been undertaken with the view to facilitate the progressive industrialists. But who are the progressive industrials ? They are invariably those persons who have an access to the Government. Thus I think if the entire story is examined carefully we will find the Government is the culprit.

In this regard may I know whether the Government will take certain specific steps to curb the concentration of wealth within the period of six months or so and if so, whether the report in regard to the achievements attained thereby will be placed before the House ?

Secondly, may I know to what extent this licensing policy had been conducive in bringing down the prices of the consumer goods ? Are the Government of the opinion that the licences will be given to different industries strictly in accordance with their specific categories as laid down in the report ?

Thirdly, may I know whether the Government will give protection to the small scale industries with the view that these industries are unable to compete with the large scale industries ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, in view of the valuable recommendations made by the Hazare Committee, the Monopoly Enquiry Commission and the Dutt Committee and in view of the confession of the Government regarding the protection and the reservation of certain industries to be undertaken in the public sector, may I know whether the Government propose certain radical changes to be made in their licensing policy ? The Industrial Policy Resolution was passed in 1956 and it was decided by the Government that the private sector undertakings will not be allowed to establish certain types of industries. May I know whether the Hon. Minister will take certain specific steps which may indicate that the Government are interested in the socialistic pattern of the society which may help in eradicating the economic imbalances between the rich and the poor ?

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : क्या सरकार ने इस पहलू पर भी सोचा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात, लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार, यदि किसी उद्योग पर लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाती है तो उसे राष्ट्रीयकृत क्षेत्र से आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी । क्या सरकार ने इस विचार से अपनी लाइसेंस नीति की परीक्षा की है ? यह समस्या सरकार के सामने बहुत पहले से वर्तमान थी । जैसा कि स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि छोटे उद्योगपतियों की सहायता करनी है तथा क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को समाप्त करना है अतः सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये लाइसेंस नीति में क्या परिवर्तन लाना चाहती है ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : Sir, I am constrained to state that when the report in question has not been published and made available to us as yet there were no possibilities of implementing the recommendations made in this report ?

Shri F. A. Ahmed : Sir, the report has been sent to the press and the copies of the report will be give to the Hon. Members as soon as these are published.

It has been asked if the numerous recommendations made by the Committee will be accepted by Government. I may state that several departments are concerned with these recommendations and after the discussions with the different departments and ministries we will take the decision which will be implemented.

We have no objection to the suggestion that the performance regarding the implementation of the Government decision should be discussed on the floor of the House after a period of six months or so. By doing so the Government would be benefited by the experience of the Hon. Members. The lapses, if any, committed by the Government would be pointed out and thus we would be able to rectify them.

We are much interested in providing subserviance to the small scale industries. The monopoly should be curbed and a co-ordinated policy for the financial, licencing and other kind of institutions should be framed and adhered to by these institutions. The small entrepreneurs are to the given incentives and the Government will certainly consider this aspect.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 4 अगस्त, 1969/13 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 4, 1969/Sravana 13, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 22-11-69—600.